



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

तीसरी
THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2018-2019

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

फरवरी, February, 2019

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा बैच 2018-2019.

Subject : Third Batch of Supplementary Demands for Grants, 2018-2019.

वर्ष 2018-19 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 72 अनुदान मांगें तथा 6 विनियोग हैं। ₹198831.36 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹51433.28 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹147396.87 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹121 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The Third batch of Supplementary Demands for Grants for 2018-19 includes 72 Grants and 6 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹198831.36 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹51433.28 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 147396.87 crore. Besides, token provision of ₹ 121 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(क) 1. पादप किस्मों और किसान के अधिकारों के संरक्षण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.27 करोड़), सामान्य घटक (₹17 करोड़) और बीज एवं पौधरोपण सामग्री पर उपमिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगना घटक (₹3.71 करोड़), 2. (i) राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत (₹5.13 करोड़), (ii) एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकीय स्कीम के अंतर्गत पेंशन के बकायों के भुगतान के लिए कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र (₹4.50 करोड़), (iii) एकीकृत बागवानी विकास के लिए मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगना घटक (₹14.18 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान, (iv) आय समर्थन स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक हेतु (₹13464 करोड़), एससीएसपी (₹2988 करोड़), टीएसपी (₹1548 करोड़)। 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹5.30 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (₹79.31 करोड़) के लिए अतिरिक्त अंशदान, 4. (i) एमआईएस/ पीएसएस के कार्यान्वयन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹298.80 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (₹154.80 करोड़) के लिए सब्सिडियां, (ii) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण	(a) For providing funds as 1. Grants for Creation of Capital Assets for Protection of Plant Varieties and Farmer's Right (₹2.27 crore) and for General Component (₹17 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹3.71 crore) under Sub-Mission on Seeds and Planting Material 2. Grants-in-aid General (i) under National Bamboo Mission (₹5.13 crore), (ii) to Agro-Economic Research Centre for payment of arrears of pension under Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics (₹4.50 crore) (iii) under Tribal Area Sub-Plan component under Mission for Integrated Developmetn of Horticulture (₹14.18 crore) (iv) for General Componant (₹13464 crore), SCSP (₹2988 crore) and TASP (₹1548 crore) under Income Support Scheme. 3. additional contribution for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹5.30 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹79.31 crore) under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 4. Subsidies for (i) Special Component Plan for Scheduled Castes (₹298.80 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹154.80 crore) under			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अभियान (पीएम-आशा) स्कीम के अंतर्गत निजी अधिप्राप्ति और थोक विप्रेला स्कीम (पीपीएसएस) (₹1 करोड़) के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए और 5. कृषि विस्तार संबंधी उप-मिशन के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक के तहत विज्ञापन और प्रचार-प्रसार हेतु (₹4.98 करोड़)।	Implementation of MIS/PSS (ii) Private Procurement and Stockist Scheme (PPSS) under the scheme Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) (₹1 crore) and 5. Advertising and Publicity under Tribal Area Sub-Plan component under Sub-Mission on Agriculture Extension (₹4.98 crore).	18000.00	-	18000.00
(ख) 1. कृषि विस्तार पर उपमिशन के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹5 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़), 2. एकीकृत बागवानी विकास के लिए मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8.52 करोड़) (ii) आय समर्थन स्कीम के तहत सामान्य घटक हेतु (₹1496 करोड़), एससीएसपी (₹332 करोड़), टीएसपी (₹172 करोड़) और 3. एमआईएस/ पीएसएस के कार्यान्वयन के अंतर्गत सामान्य घटक (₹149.60 करोड़), अनुसूचित जाति के विशेष घटक योजना (₹33.20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना घटक (₹17.20 करोड़), कल्याण स्कीमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों के वितरण के अंतर्गत सामान्य घटक (₹41.14 करोड़), अनुसूचित जाति के विशेष घटक योजना (₹9.13 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना घटक (₹4.74 करोड़) के लिए सब्सिडियों हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional funds for 1. Advertising and Publicity (₹5 crore) and Grants-in-aid General (₹5 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension 2. Grants-in-aid General under Mission for Integrated Development of Horticulture (₹8.52 crore) (ii) for General Component (₹1496 crore), SCSP (₹332 crore), TASP (₹172 crore) under Income Support Scheme, and 3. Subsidies for (i) General Component (₹149.60 crore), Special Component Plan for Scheduled Caste (₹33.20 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹17.20 crore) under Implementation of MIS/PSS and for General Component (₹41.14 crore), Special Component Plan for Scheduled Caste Component (₹9.13 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹4.74 crore) under Distribution of Pulses to State/Union Territories for Welfare Schemes.	1308.32	-	1308.32
3. पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान 1. पशु स्वास्थ्य संस्थान स्कीम के लिए (₹2.50 करोड़), 2. सामान्य घटक (₹0.75 करोड़), एससीएसपी घटक (₹0.17 करोड़) और टीएसपी घटक (₹0.90 करोड़) पशुपालन अवसरचन विकास निधि स्कीम के अंतर्गत 3. सामान्य घटक (₹321.42 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोगना घटक (₹62.72 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹37.55 करोड़), (ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹0.24 करोड़)।	(a) For providing additional funds as (i) Grants-in-aid General 1. for the scheme Animal Health Institute (₹2.50 crore), 2. for General Component (₹0.75 crore), SCSP Component (₹0.17 crore) and TASP Component (₹0.90 crore) under the scheme Animal Husbandry Infrastructure Development Fund 3. for General Component (₹321.42 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹62.72 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹37.55 crore) under the scheme Rashriya Gokul Mission (ii) Grants-in- aid Salaries to Veterinary Council of India (₹0.24 crore).	173.01	-	173.01

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा (सीएएए) नियंत्रक की बहियों में रूसी क्रेडिट के बकाया भुगतान हेतु भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि० (एनपीसी आईएल) को ऋण प्रदान करने के लिए (₹3,000 करोड़)।	4 Atomic Energy For providing loans to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹3000 crore) towards outstanding payment of Russian Credit in the books of Controller of Aid, Accounts & Audit (CAAA).	-	1,818.71	1,818.71
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹18.54 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹58.92 करोड़)।	5 Ministry of Ayurveda, Yoga And Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH) For Grants-in-aid General (₹18.54 crore) and Grants-in-aid Salary (₹58.92 crore) under the various schemes.	36.40	-	36.40
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10. कोयला मंत्रालय अनुसंधान और विकास (₹13.50 करोड़) और कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण (₹37.36 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	10 Ministry of Coal For meeting additional expenditure as Grants-in-aid General under the schemes Research and Development (₹13.50 crore) and Exploration of Coal and Lignite (₹37.36 crore).	10.93	-	10.93
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग (i) ब्याज समकरण योजना (₹100 करोड़) और शुल्क वापसी योजना (₹210 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सब्सिडियों, (ii) विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) (iii) बाजार पहुंच पहल (₹20 करोड़) परियोजना विकास निधि स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.90 करोड़)।	11 Department of Commerce For meeting additional requirement as (i) Subsidies under the schemes Interest Equalization Scheme (₹100 crore) and Duty Drawback Scheme (₹210 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) under the scheme Foreign Trade and Export Promotion (iii) Grants-in-aid General under the schemes Market Access Initiative (₹20 crore) and Project Development Fund (₹0.90 crore).	300.00		300.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (क) (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी (₹1975 करोड़) और (ii) 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां जारी करने के लिए।	16 Department of Food and Public Distribution (a) For releasing (i) food subsidy to Food Corporation of India under National Food Security Act (₹1975 crore) and (ii) Subsidies under the scheme Assistance to Sugar Mills for 2017-18 Season (₹70 crore).	1,864.71	-	1,864.71

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश के लिए।	(b) For investment in the equity capital of Food Corporation of India.	-	1,000.00	1,000.00

रक्षा मंत्रालय

20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)

(क) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (₹0.50 करोड़), जवाहर पर्वतारोहण संस्थान (₹5.29 करोड़) और राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेलकूद संस्थान (₹1.06 करोड़) को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए प्रावधान सहित वेतन (₹1156.46 करोड़), परिवहन (₹400 करोड़), निरीक्षण (₹42.76 करोड़), भण्डार (₹431.33 करोड़) और अन्य व्यय (₹165.84 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

(ख) वेतन (₹302.26 करोड़), परिवहन (₹5 करोड़), मरम्मत और पुनर्सज्जा (₹250 करोड़), भण्डार (235 करोड़), संयुक्त स्टाफ (₹51.01 करोड़) और अन्य व्यय (₹80.02 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

(ग) सिविलियन स्टाफ के वेतन और भत्ते (₹101.79 करोड़), निर्माण कार्य (₹60 करोड़) और अन्य व्यय (₹39.80 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

MINISTRY OF DEFENCE

20 Defence Services (Revenue)

(a) For meeting additional expenditure for Salaries (₹1156.46 crore), transportation (₹400 crore), inspection (₹42.76 crore), Stores (₹431.33 crore), and Other expenditure (₹165.84 crore) including provision for additional grants in aid to Nehru Institute of Mountaineering (₹0.50 crore), Jawahar Institute of Mountaineering (₹5.29 crore) and National Institute of Mountaineering and Allied Sports (₹1.06 crore).

(b) For meeting additional expenditure towards Salaries (₹302.26 crore), transportation (₹5 crore), repairs and refits (₹250 crore), Stores (₹235 crore), Joint Staff (₹51.01 crore) and Other expenditure (₹80.02 crore).

(c) For meeting additional expenditure towards pay and allowances of civilian staff (₹101.79 crore), works (₹60 crore) and other expenditure (₹39.80 crore).

1,049.15 - 1,049.15

144.17 - 144.17

201.59 - 201.59

वित्त मंत्रालय

34. प्रत्यक्ष कर

(क) स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹299.96 करोड़)।

(ख) धन, प्रतिभूतियां, संव्यवहार कर और करों पर अंतरलेखा अंतरण के लिए।

MINISTRY OF FINANCE

34 Direct Taxes

(a) For meeting additional requirement of funds under establishment & Information Technology (₹299.96 crore).

(b) For inter Account transfer on Wealth, Securities, Transaction Tax and Other Taxes.

289.96 - 289.96

10.00 - 10.00

36. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

मुंबई में 3 आवासीय फ्लेटों की खरीद हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

37. ब्याज भुगतान

बाजार ऋणों, नगद प्रबंधन ऋणों पर छूट, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड, 14/182 दिवसीय खजाना ऋणों, 364 दिवसीय खजाना ऋणों पर छूट, अर्थोपाय अग्रिमों, पुनर्पूँजीकरण पर ब्याज, विदेशी ऋणों पर ब्याज, अल्प बचत जमा राशियों पर ब्याज, प्रमाणपत्र और प्रचालन खर्चों के लिए ब्याज भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹13,420.41 करोड़)।

36 Indian Audit and Accounts Department

For meeting expenditure for purchase of 3 residential flats in Mumbai.

- 25.55 25.55

37 Interest Payments

For additional requirement towards Interest Payments for Market Loans, Discount on Cash Management Bills, Compensation and Other bonds, 14/182 days T.Bills, Discount on 364 days T.Bills, Ways and Means Advances, Interest on Recapitalization Bonds, Interest on External Debt, Interest on small savings deposits, certificates and operational expenses, Interest on Reserve Funds and Interest on Others (₹13,420.41 crore).

9,196.65 - 9,196.65

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1237.47 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹554.96 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹892.85 करोड़) (ii) विभिन्न प्रयोजन शीर्षों के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय (₹140.83 करोड़) (iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹1850.10 करोड़) और पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय निवेश निधि (₹9.15 करोड़) और (iv) आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹0.01 करोड़) को अंतरलेखा अंतरण।	(a) For (i) Grants-in-aid General (₹1237.47 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹554.96 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹892.85) Under various schemes (ii) establishment related expenditure under various object heads (₹140.83 crore) (iii) Inter Account Trasfer to Central Roads & Infrastructure Fund (₹1850.10 crore) in respect of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana and to National Investment Fund in respect of PGIMER, Chandigarh (₹9.15 crore) and (iv) Other Charges under RCH Flexible Pool (₹0.01 crore).	619.10	-	619.10
(ख) (i) विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹32.64 करोड़) (ii) एनआरएचएम के अंतर्गत शामिल क्रियाकलापों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹6.57 करोड़) और (iii) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹63.15 करोड़)।	(b) For (i) Grants-in-aid General (₹32.64 crore) under the various institutions (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹6.57 crore) under Other Health System for activities covered under NRHM and (iii) Grants-in-aid Salaries under Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹63.15 crore).	63.15	-	63.15
(ग) विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹591.40 करोड़)।	(c) For Grants-in-aid General (₹591.40 crore) under various institutions.	119.00	-	119.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
45. लोक उद्यम विभाग	45 Department of Public Enterprises			
(क) वेतन हेतु निधियां उपलब्ध कराने के लिए।	(a) For providing funds for salaries.	0.50	-	0.50
(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए तथा अन्य संबंधित व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure for implementing of Voluntary Retirement Scheme in Central Public Sector Enterprises and other related expenditure.	0.50	-	0.50
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
48. पुलिस	48 Police			
वेतन (₹4611.62 करोड़), नक्सल प्रबंधन और सहायता के अंतर्गत हेलीकाप्टर प्रचालनों के लिए वायुसेना को भुगतान (₹188 करोड़), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात और संचार नेटवर्क का विकास, सहित अन्य प्रभार (₹50 करोड़), विभिन्न संगठनों की व्यावसायिक सेवाएं (₹100 करोड़), हथियार और गोलाबारूद (₹35 करोड़) तथा बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तटीय सुरक्षा सामान्य सहायता अनुदान (₹3.57 करोड़)।	For Salaries (₹4611.62 crore), payment to Air Force for helicopter operations under Assistance to Naxal Management (₹188 crore), Other Charges including development of traffic and communication network in NCR (₹50 crore), Professional Services of various organization (₹100 crore), Arms and Ammunition (₹35 crore) and Coastal Security for UTs without legislature under Grants-in-aid General (₹3.57 crore).	4,611.62	-	4611.62

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
50. चंडीगढ़	50 Chandigarh			
(क) जलापूर्ति और स्वच्छता के अंतर्गत तैनात कर्मचारियों को भुगतान पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure on payment to staff deployed under Water Supply and Sanitation.	4.66	-	4.66
(ख) परिवहन विभाग में समयोपरि भत्ते पर व्यय (₹6 करोड़) और परिवहन बसों के लिए पीओएल (₹14 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure on overtime allowance in Transport Department (₹6 crore) and POL for the transport buses (₹14 crore).	20.00	-	20.00
54. दिल्ली को अंतरण	54 Transfers to Delhi			
जेआईसीए द्वारा सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए निधियां प्रदान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹2.59 करोड़)।	For meeting additional expenditure for providing funds for JICA assisted externally aided project (₹2.59 crore).	-	0.08	0.08
55. पुदुचेरी को अंतरण	55 Transfers to Puducherry			
एएफबी सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए पुदुचेरी को सहायता के लिए प्रावधान करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement for making provision for assistance to Puducherry for AFD assisted Externally Aided Project.	-	49.61	49.61
आवासन और शहरी मामले मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56. आवासन और शहरी मामले मंत्रालय	56 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत परियोजना समय पर पूरा करने और शेष देयताओं को निपटाने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹40 करोड़)।	(a) For Grants-in-aid General (₹5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹40 crore) for clearing the remaining liabilities and timely completion of the project under Deendayal Antyodaya Yojana - National Urban Livelihoods Mission scheme for NER States.	45.00	-	45.00
(ख) अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत भुगतान करने के लिए।	(b) For payment under Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission scheme for NER States under Other Administrative Expenses.	0.24	-	0.24
(ग) 1. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹98 करोड़) और राज्य को निर्मुक्ति (₹153.76 करोड़), 2. (i) अमृत स्कीम के अंतर्गत राज्यों की अनुमोदित एसएएपी की किस्तों को जारी करने के लिए (₹400 करोड़) तथा (ii) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी स्कीम (₹500 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। 3. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹4482.42 करोड़) 4. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी स्कीम केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से पूरी की जानी है (₹4482.42 करोड़)।	(c) For 1. Grants-in-aid General under the scheme Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission for NER States (₹98 crore) and for release to State (₹153.76 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets (i) for release of instalments of approved SAAPs of States under the scheme AMRUT (₹400 crore) and (ii) under the scheme Swachh Bharat Mission - Urban (₹500 crore) 3. Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹4482.42 crore) 4. Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban scheme is to be met from Central Road and Infrastructure Fund (₹4482.42 crore).	553.76	-	553.76

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) (i) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जारी करने के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़), (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹19.50 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹19.50 करोड़)।	(d) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission for release to Union Territory Governments (₹1 crore) (ii) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹19.50 crore) and (iii) Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (₹19.50 crore).	1.00	-	1.00
(ङ.) मुम्बई मेट्रो को पास थ्रू सहायता हेतु ऋण एवं अग्रिमों के लिए।	(e) For loans and advances for Pass Through Assistance to Mumbai Metro.	-	600.00	600.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
(क) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹671.57 करोड़), एससीएसपी (₹166.02 करोड़) और टीएसपी (₹84.03 करोड़) के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement as Grants-in-aid General (₹671.57 crore), SCSP (₹166.02 crore) and TSP (₹84.03 crore) under the scheme Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana.	921.62	-	921.62
(ख) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement as Grants-in-aid General under the scheme Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana.	103.17	-	103.17
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61. विधि एवं न्याय	61 Law and Justice			
लोक सभा चुनाव 2019 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए।	For making payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails for Lok Sabha Election, 2019.	-	1,637.14	1637.14
63. भारत का उच्चतम न्यायालय	63 Supreme Court of India			
वेतन (₹5 करोड़), चिकित्सा इलाज (₹1 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹1.47 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Salaries (₹5 crore), Medical Treatment (₹1 crore) and Professional Services (₹1.47 crore).	7.47	-	7.47
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
राज्य सरकारों को डिफरेंसियल रॉयल्टी का भुगतान स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹1929.49 करोड़)।	For providing additional funds under the scheme Payment of Differential Royalty to State Governments (₹1929.49 crore).	1,364.19	-	1364.19
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
75. राष्ट्रपति का कर्मचारीवृंद, सहायक और भत्ते	75 Staff, Household and Allowances of the President			
(i) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.20 करोड़) और (ii) बेकार घोषित	For meeting additional expenditure under (i) Other Administrative Expenses for Staff			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए अन्य व्यय (₹0.22 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Training (₹0.20 crore) and (ii) Office Expenses for replacement of condemned vehicles (₹0.22 crore).	0.42	-	0.42
77. राज्य सभा	77 Rajya Sabha			
5वीं संसदीय वेतन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए वेतन और मजदूरी पर व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on salary and wages on implementation of the recommendations of the Fifth Parliamentary Pay Committee.	23.37	-	23.37
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
(i) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मौद्रिकरण को निधियों का अंतर लेखा अंतरण (₹4840.75 करोड़), (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मौद्रिकरण में से वित्त पोषित एनएचएआई में निवेश (₹4840.75 करोड़), (iii) सीआरआईएफ में से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹2200 करोड़), (iv) सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यालय व्यय के अंतर्गत एकीकृत आईपी आधारित सुरक्षा एवं निगरानी प्रणाली की खरीद (₹2.50 करोड़) तथा (v) बोनस शेयरों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि0 में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹2 करोड़)।	For (i) Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highway Fund (₹4840.75 crore) (ii) Investment in NHAI financed from Monetization of National Highways Fund (₹4840.75 crore) (iii) additional expenditure for Major Works under National Highways Original Works financed from CRIF (₹2200 crore) (iv) purchase of integrated IP based Security and Surveillance System under Office Expenses on Information Technology (₹2.50 crore) and (v) additional equity investment in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (₹2 crore) through bonus share.	-	4,840.75	4,840.75
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
91. अंतरिक्ष विभाग	91 Department of Space			
(क) विवाचन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting arbitration expenses.	15.00	-	15.00
(ख) सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र नामक इसरो केन्द्रों/इकाइयों (₹31 करोड़), इसरो मुख्यालय (₹10.03 करोड़), मानवयुक्त मिशन पहल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) (₹100 करोड़) विभाग के प्रचालनात्मक खर्चों, सेमीक्रायोजनिक इंजन विकास परियोजना (₹22 करोड़), पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (5 करोड़), रेसपांड को सामान्य सहायता अनुदान (₹1.20 करोड़), भारतीय लूनर मिशन-चंद्रयान 1 एवं 2 (₹25.31 करोड़), इंसेट-4 उपग्रह (₹4.59 करोड़), जीसेट-29 उपग्रह (₹13.62 करोड़), जीआईसैट (₹5.09 करोड़), आरआईसैट-1बी (₹2.23 करोड़), जीसैट 22/23/24 उपग्रह (₹5.40 करोड़), नेवीगेशनल उपग्रह प्रणाली (₹3.79 करोड़) तथा जीसैट-30/31/32 उपग्रह (₹27.47 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards the operational expenses of the Department ISRO Centres/Units namely Satish Dhawan Space Centre (₹31 crore), ISRO Headquarters (₹10.03 crore), Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹100 crore), Semi Cryogenic Engine Development Project (₹22 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore) of North-Eastern Space Applications Centre, Grant-in-Aid General of RESPOND (₹1.20 crore), Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹25.31 crore), INSAT - 4 Satellite (₹4.59 crore), GSAT-29 Satellite (₹13.62 crore), GISAT (₹5.09 crore), RISAT-1B (₹2.23 crore), GSAT 22/23/24 Satellites (₹5.40 crore), Navigational Satellite System (₹3.79 crore) and GSAT-30/31/32 Satellites (₹27.47 crore).	153.07	-	153.07

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) 1. (i) पोलर उपग्रह लांच व्हीकल -सतत परियोजना (₹15 करोड़), (ii) इसरो उपग्रह केन्द्र (₹5 करोड़), (iii) सेमी क्रायोजनिक इंजन विकास (₹4.20 करोड़), (iv) इसरो टैलीमिटी, ट्रैकिंग और कमान नेटवर्क (₹11.04 करोड़), (v) दूसरा वाहन एसेम्बली भवन (₹17.40 करोड़), (vi) रिसोर्ससेट-3 और 3ए (₹0.20 करोड़), (vii) लघु उपग्रह लांच व्हीकल विकास (₹3.34 करोड़), (viii) भारतीय लूनर मिशन-चन्द्रयान 1 और 2 (₹8.17 करोड़), (ix) एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह (₹0.25 करोड़), (x) इनसेट-4/जीसैट उपग्रह (₹1.54 करोड़), (xi) जीसैट-17 उपग्रह (₹1.46 करोड़), (xii) जीसैट 29 उपग्रह (₹4.26 करोड़), (xiii) ट्राइसोनिक पवन सुरंग सुविधा (₹7.42 करोड़), (xiv) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹127.94 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर 2. (i) आरआईसैट 1बी (₹7.72 करोड़), (ii) मानवयुक्त मिशन पहल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) (₹257 करोड़), (iii) आदित्य (₹25.25 करोड़), (iv) जीसैट-20 उपग्रह (₹43.85 करोड़), (v) जीसैट 30/31 संचार अंतरिक्ष यान-लांच सेवाएं (₹17.47 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत अन्य पूंजीगत व्यय, 3. (i) सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र-एसएचएआर (₹7 करोड़), (ii) पीएसएलवी एकीकरण सुविधा (₹20 करोड़), (iii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹35 करोड़) (iv) राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र (₹17 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य, 4. (i) इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणालियां (₹1.77 करोड़) (ii) सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र-एसएचएआर (₹3.70 करोड़), (iii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹25 करोड़) (iv) आपदा प्रबंधन सहायता (₹0.60 करोड़) (v) इसरो टैलीमिटी, ट्रैकिंग और कमान नेटवर्क (₹2.37 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी-मशीनरी और उपस्कर हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment under the Schemes (i) Polar Satellite Launch Vehicle – Continuation Project (₹ 15 crore) (ii) ISRO Satellite Centre (₹ 5 crore) (iii) Semi-cryogenic Engine Development (₹ 4.20 crore) (iv) ISRO Telemetry, Tracking & Command Network (₹ 11.04 crore) (v) Realisation of Second Vehicle Assembly Building (₹ 17.40 crore) (vi) Resourcesat-3 & 3A (₹ 0.20 crore), (vii) Small Satellite Launch Vehicle Development (₹ 3.34 crore) (viii) Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹ 8.17 crore) (ix) X-Ray Polarimeter Satellite (₹ 0.25 crore) (x) INSAT-4/GSAT Satellites (₹ 1.54 crore) (xi) GSAT-17 Satellite (₹ 1.46 crore), (xii) GSAT 29 Satellite (₹ 4.26 crore) (xiii) Trisonic Wind Tunnel Facility (₹ 7.42 crore) (xiv) Space Applications Centre (₹ 127.94 crore) 2. Other Capital Expenditure under the Schemes (i) RISAT 1B (₹ 7.72 crore) (ii) Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹ 257 crore) (iii) Aditya (₹ 25.25 crore) (iv) GSAT-20 Satellite (₹ 43.85 crore) (v) GSAT-30/31 Communication Spacecrafts - Launch Services (₹ 17.47 crore) 3. Major Works under the Schemes (i) Satish Dhawan Space Centre – SHAR (₹ 7 crore) (ii) PSLV Integration Facility (₹ 20 crore) (iii) Space Applications Centre (₹ 35 crore) (iv) National Remote Sensing Centre (₹ 17 crore) 4. Information Technology - Machinery & Equipment under the Schemes (i) Laboratory for Electro Optics Systems (₹ 1.77 crore) (ii) Satish Dhawan Space Centre – SHAR (₹ 3.70 crore) (iii) Space Applications Centre (₹ 25 crore) (iv) Disaster Management Support (₹ 0.60 crore) (v) ISRO Telemetry, Tracking & Command Network (₹ 2.37 crore).	-	248.47	248.47
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
93. इस्पात मंत्रालय	93 Ministry of Steel			
वेतन और अन्य शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹3.78 करोड़)।	For meeting the additional requirement under salary and other heads (₹3.78 crore).	1.24	-	1.24
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	41,212.97	10,220.31	51,433.28

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹1,47,396.87 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुसूची बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं :	3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 1,47,396.87 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:			
तकनीकी पूरक मांग अनुदान	Technical Supplementary Demands for grants			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
1. कृषि विस्तार पर उपमिशन के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹5 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़), 2. एकीकृत बागवानी विकास के लिए मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹8.52 करोड़) (ii) आय समर्थन स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹1496 करोड़), एससीएसपी (₹332 करोड़), टीएसपी (₹172 करोड़) और 3. एमआईएस/ पीएसएस के कार्यान्वयन के अंतर्गत सामान्य घटक (₹149.60 करोड़), अनुसूचित जाति के विशेष घटक योजना (₹33.20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना घटक (₹17.20 करोड़), कल्याण स्कीमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों के वितरण के अंतर्गत सामान्य घटक (₹41.14 करोड़), अनुसूचित जाति के विशेष घटक योजना (₹9.13 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना घटक (₹4.74 करोड़) के लिए सब्सिडियों हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing additional funds for 1. Advertising and Publicity (₹5 crore) and Grants-in-aid General (₹5 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension 2. Grants-in-aid General under (i) Mission for Integrated Development of Horticulture (₹8.52 crore) (ii) for General Component (₹1496 crore), SCSP (₹332 crore), TASP (₹172 crore) under Income Support Scheme, and 3. Subsidies for (i) General Component (₹149.60 crore), Special Component Plan for Scheduled Caste (₹33.20 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹17.20 crore) under Implementation of MIS/PSS and for General Component (₹41.14 crore), Special Component Plan for Scheduled Caste Component (₹9.13 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹4.74 crore) under Distribution of Pulses to State/Union Territories for Welfare Schemes.	78.69	-	78.69
3. पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान 1. पशु स्वास्थ्य संस्थान स्कीम के लिए (₹2.50 करोड़), 2. सामान्य घटक (₹0.75 करोड़), एससीएसपी घटक (₹0.17 करोड़) और टीएसपी घटक (₹0.90 करोड़) पशुपालन अवसरंचना विकास निधि स्कीम के अंतर्गत 3. सामान्य घटक (₹321.42 करोड़), अनुसूचित जाति उपयोगना घटक (₹62.72 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹37.55 करोड़), (ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹0.24 करोड़)।	(a) For providing additional funds as (i) Grants-in-aid General 1. for the scheme Animal Health Institute (₹2.50 crore), 2. for General Component (₹0.75 crore), SCSP Component (₹0.17 crore) and TASP Component (₹0.90 crore) under the scheme Animal Husbandry Infrastructure Development Fund 3. for General Component (₹321.42 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹62.72 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹37.55 crore) under the scheme Rashriya Gokul Mission (ii) Grants-in-aid Salaries to Veterinary Council of India (₹0.24 crore).	28.13	-	28.13
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा (सीएएए) नियंत्रक की बहियों में रूसी क्रेडिट के बकाया भुगतान हेतु	For providing loans to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि० (एनपीसी आईएल) को ऋण प्रदान करने के लिए (₹3,000 करोड़)।	(₹3000 crore) to clear outstanding payment of Russian Credit in the books of Controller of Aid, Accounts & Audit.	-	556.77	556.77
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 Ministry of Ayurveda, Yoga And Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH)			
विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹18.54 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹58.92 करोड़)।	For Grants-in-aid General (₹18.54 crore) and Grants-in-aid Salary (₹58.92 crore) under various schemes.	17.00	-	17.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
8. भेषज विभाग	8 Department of Pharmaceuticals			
(क) (i) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एचए एल), पुणे को प्रदत्त सरकारी ऋण और ब्याज को बट्टे खाते डालना (₹307.23 करोड़) और (ii) क्लस्टर विकास के अंतर्गत भेषज उद्योग का विकास (₹4 करोड़) के लिए।	(a) For (i) Write-off of Government loan and Interest to Hindustan Antibiotics Limited (HAL), Pune (₹307.23 crore) and (ii) Development of Pharmaceutical Industry under Cluster Development (₹4 crore).	307.23	-	307.23
(ख) राजस्थान औषधि एवं भेषज लि० को ऋण प्रदान करने के लिए।	(b) For providing loan to Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited.	-	3.95	3.95
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमान पत्तनों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विद्युत चालित गोल्फ गाड़ियों की खरीद पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on purchase of electric operated golf carts for Senior citizens at AAI airports.	0.98	-	0.98
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(i) ब्याज समकरण योजना (₹100 करोड़) और शुल्क वापसी योजना (₹210 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सब्सिडियों, (ii) विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) (iii) बाजार पहुंच पहल (₹20 करोड़) परियोजना विकास निधि (₹0.90 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting the additional requirement as (i) Subsidies under the schemes Interest Equalization Scheme (₹100 crore) and Duty Drawback Scheme (₹210 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) under the scheme Foreign Trade and Export Promotion (iii) Grants-in-aid General under the schemes Market Access Initiative (₹20 crore) and Project Development Fund (₹0.90 crore).	10.00		10.00
12. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement towards Major Works under scheme Modernization and Strengthening of Intellectual Property Offices.	-	16.33	16.33

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
भारत डाक भुगतान बैंक में पूंजीगत निवेश के रूप में ₹150 करोड़ प्रदान करने के लिए।	For providing ₹150 crore as capital investment in India Post Payments Bank.	-	46.86	46.86
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	19 Ministry of Defence (Misc.)			
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि अधिग्रहण के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure arising out of court orders for land acquisition in Port Blair, Andaman and Nicobar Islands.	-	2.16	2.16
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (₹0.50 करोड़), जवाहर पर्वतारोहण संस्थान (₹5.29 करोड़) और राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेलकूद संस्थान (₹1.06 करोड़) को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए प्रावधान सहित वेतन (₹1156.46 करोड़), परिवहन (₹400 करोड़), निरीक्षण (₹42.76 करोड़), भण्डार (₹431.33 करोड़), और अन्य व्यय (₹165.84 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement for Salaries (₹1156.46 crore), transportation (₹400 crore), inspection (₹42.76 crore), Stores (₹431.33 crore), and Other expenditure (₹165.84 crore) including provision for additional grants in aid to Nehru Institute of Mountaineering (₹0.50 crore), Jawahar Institute of Mountaineering (₹5.29 crore) and National Institute of Mountaineering and Allied Sports (₹1.06 crore).	9.06	-	9.06
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	21 Capital Outlay on Defence Services			
वायुसेना की विशेष परियोजना (₹16.82 करोड़), आयुध निर्माणियों की मशीनरी और उपस्कर (₹0.50 करोड़), निरीक्षण कार्य (₹0.10 करोड़) तथा अनुसंधान एवं विकास कार्य (₹80 करोड़) के अंतर्गत न्यायालय के आदेश से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure arising out of court orders under Special Project of Air Force (₹16.82 crore), Machinery and Equipment of Ordnance Factories (₹0.50 crore), Works of inspection (₹0.10 crore) and Works for Research and Development (₹80 crore).	-	97.42	97.42
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
24. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	24 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधियों के अंतरण के लिए।	(a) For transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme National Rural Drinking Water Mission.	0.32	-	0.32
(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधियों के अंतरण के लिए।	(b) For transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund under the scheme National Rural Drinking Water Mission.	5,391.00	-	5,391.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
26. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology			
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एवं क्लस्टर विनिर्माण) के संवर्धन के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹40 करोड़)।	For meeting additional expenditure as Grants-in-aid General in respect of Promotion of Electronics and Information Technology Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing) (₹40 crore).	20.91	-	20.91

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	31 Department of Financial Services			
पुनर्पूंजीकरण बांड के निर्गम के माध्यम से एक्जिम बैंक में पूंजी निवेश के लिए।	For capital infusion in EXIM Bank through issuance of recapitalization bonds.	-	4,500.00	4,500.00
38. ऋण की पुनर्अदायगी	38 Repayment of Debt			
(क) बाजार ऋणों की पुनर्अदायगी, 182/364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, नकद प्रबंधन हुंडियों, अर्थोपाय अग्रिमों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियों, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड, हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹583426.57 करोड़)।	(a) For additional requirement towards repayment of Market Loans, 182/364 Days T.Bills, Cash Management Bills, Ways and Means Advances, Securities issued to International Financial Institutions, Compensation and Other Bonds (₹583426.57 crore).	-	1,04,709.12	1,04,709.12
(ख) विनिमय दर उतार-चढ़ाव की वजह से विदेशी ऋण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For additional requirement towards External Debt due to exchange rate fluctuation.	-	1,885.00	1,885.00
40. राज्यों को अंतरण	40 Transfers to States			
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए (ब्लॉक ऋण)।	For providing additional allocation under the scheme Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block Loans).	-	3,800.84	3,800.84
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1237.47 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹554.96 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹892.85 करोड़) (ii) विभिन्न प्रयोजन शीर्षों के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय (₹140.83 करोड़) (iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹1850.10 करोड़) और पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय निवेश निधि (₹9.15 करोड़) को अंतर लेखा अंतरण और (iv) आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹0.01 करोड़) के लिए।	(a) For (i) Grants-in-aid General (₹1237.47 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹554.96 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹892.85) Under various schemes (ii) establishment related expenditure under various object heads (₹140.83 crore) (iii) Inter Account Trasfer to Central Roads & Infrastructure Fund (₹1850.10 crore) in respect of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana and to National Investment Fund in respect of PGIMER, Chandigarh (₹9.15 crore) and (iv) Other Charges under RCH Flexible Pool (₹0.01 crore).	2,115.25	-	2,115.25
(ख) (i) मोटर वाहनों (एम्बुलेंस) की अधिप्राप्ति औषधालयों एवं अस्पतालों की स्थापना के लिए (₹1.35 करोड़), (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना- एम्स की तरह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सह-प्रशिक्षण संस्थान और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन (₹1922.90 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹1922.90 करोड़)।	(b) For (i) procurement of Motor Vehicles (Ambulances) for setting up of Dispensaries and Hospitals (₹1.35 crore) (ii) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana-establishment of AIIMS type super speciality Hospitals -cum-Teaching institutions and upgradation of State Govt. hospitals (₹1922.90 crore) and (iii) Inter Account Transfer to Central Roads & Infrastructure Fund to Central Roads & Infrastructure Fund under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (₹1922.90 crore).	-	1,922.90	1,922.90

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) (i) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना- एम्स की तरह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सह-प्रशिक्षण संस्थान और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन-मुख्य निर्माण कार्य (₹2 करोड़)। (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹2 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c) For meeting the additional requirement for (i) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana-establishment of AIIMS type super speciality Hospitals-cum-Teaching institutions and upgradation of State Govt. hospitals- under Major Works (CRIF) (₹2 crore) (ii) Inter Account Transfer to Central Roads & Infrastructure Fund (₹2 crore) under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.	-	2.00	2.00
(घ) (i) मुख्य निर्माण कार्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना- एम्स की तरह सुपर स्पेशियलिटी सह-प्रशिक्षण संस्थान और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन-तथा केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत (₹50 करोड़)। (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹50 करोड़)।	(d) For meeting additional requirement for (i) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana-establishment of AIIMS type super speciality Hospitals-cum Teaching institutions and upgradation of State Govt. hospitals under Major Works and Machinery & Equipments (₹50 crore) to CRIF and (ii) Inter Account Transfer to Central Roads & Infrastructure Fund (₹50 crore) under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana.	-	50.00	50.00
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय				
44. भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
(i) पुनरुद्धार और मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नेपा लि0 को जारी भारत सरकार के ऋण का इक्विटी में परिवर्तन (₹33 करोड़) और (ii) पुनरुद्धार और मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नेपा लि0 में इक्विटी के रूप में निवेश (₹16.54 करोड़)।	For (i) conversion of Government of India loan released to NEPA Limited for implementation of Revival and Mill Development Plan into equity (₹33 crore). and (ii) Investment as equity in NEPA Limited for implementation of Revival and Mill Development Plan (₹16.54 crore).	-	10.00	10.00
गृह मंत्रालय				
46. गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र की स्थापना के लिए।	For setting up of the Indian Cyber Crime Coordination Centre.	6.00	-	6.00
48. पुलिस	48 Police			
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कार्यालय भवन (₹0.10 करोड़) और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल के मोटर वाहनों (₹0.02 करोड़) के लिए।	For office building of National Security Guard (₹0.10 crore) and Motor Vehicles of Central Reserve Police Force (₹0.02 crore).	-	0.12	0.12
49. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49 Andaman and Nicobar Islands			
(क) औषधियों की खरीद हेतु बकाया भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement for making outstanding payment towards purchase of medicines.	16.39	-	16.39
(ख) (i) स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) और (ii) पोर्ट ब्लेयर नगर निगम को वेतन सहायता अनुदान (₹60 करोड़) के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement as (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) under Smart City Project and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹60 crore) to Port Blair Municipal Corporation.	70.00	-	70.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) आईओसीएल से एचएसडी आयल की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए- विद्युत उत्पादन के लिए (₹50 करोड़)।	(c) For meeting additional requirement for procuring HSD oil from IOCL - for power generation (₹50 crore).	10.00	-	10.00
(घ) पीओएल की लागत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(d) For meeting additional requirement towards cost of POL.	10.00	-	10.00
(ड.) जिला परिषद को भुगतान करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(e) For meeting additional requirement as Grants for Creation of Capital Assets for making payment to Zilla Parishad.	0.12	-	0.12
51. दादरा एवं नगर हवेली स्मार्ट सिटी के कार्यान्वयन के लिए सिलवासा नगर पालिका परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करने के लिए (₹22.49 करोड़)।	51 Dadra and Nagar Haveli For release of Grants for Creation of Capital Assets to Silvassa Municipal Council for implementation of Smart City (₹22.49 crore).	19.86	-	19.86
54. दिल्ली को अंतरण जेआईसीए द्वारा सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए निधियां प्रदान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹2.59 करोड़)।	54 Transfers to Delhi For meeting additional expenditure for providing funds for JICA assisted externally aided project (₹2.59 crore).	-	2.51	2.51
आवासन और शहरी मामले मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56. आवासन और शहरी मामले मंत्रालय (क) समूचे देश में कार्यालय भवन के जारी निर्माण कार्य और अनुरक्षण के लिए। (ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के लिए ईबीआर के माध्यम से उगाहे गए ऋण पर ब्याज की अदायगी (₹702 करोड़), संसदीय आवासों का अनुरक्षण और मरम्मत (₹10 करोड़) और समूचे देश में सामान्य पूल रिहायशी आवास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़), (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹2003.08 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से पूरी की जानी है (₹2003.08 करोड़)।	56 Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For ongoing work and maintenace of Office Building of all over country. (b) For (i) Grants-in-aid General for payment of interest on loan raised through EBR for Pradhan Mantri Awas Yojana scheme (₹702 crore), Maintenance and Repairs of Parliamentary Residences (₹10 crore) and of General Pool Residential Accommodation all over country (₹20 crore) (ii) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹2003.08 crore) and (iii) Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban scheme is to be met from Central Road and Infrastructure Fund (₹2003.08 crore).	10.00	-	10.00
(ग) 1. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹98 करोड़) और राज्य को निर्मुक्ति (₹153.76 करोड़), 2. (i) अमृत स्कीम के अंतर्गत राज्यों की अनुमोदित एसएएपी की किस्तों को जारी करने के लिए (₹400 करोड़) तथा (ii) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी स्कीम (₹500 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। 3. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹4482.42 करोड़) 4. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में से पूरी की जानी है (₹4482.42 करोड़) के लिए।	(c) For 1. Grants-in-aid General under the scheme Deendayal Antyodaya Yojana- National Urban Livelihood Mission for NER States (₹98 crore) and for release to State (₹153.76 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets (i) for release of instalments of approved SAAPs of States under the scheme AMRUT (₹400 crore) and (ii) under the scheme Swachh Bharat Mission - Urban (₹500 crore) 3. Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹4482.42 crore) 4. Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban scheme is to be met from Central Road and Infrastructure Fund (₹4482.42 crore).	2,023.08	-	2023.08
		4,982.42	-	4982.42

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) (i) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जारी करने के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) (ii) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹19.50 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹19.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission for release to Union Territory Governments (₹1 crore) (ii) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹19.50 crore) and (iii) Central Road and Infrastructure Fund under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (₹19.50 crore).	19.50	-	19.50
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) 1. नवोदय विद्यालय समिति (₹897.20 करोड़) और मिड डे मील (₹6.12 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, 2. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹211.68 करोड़) और मिड डे मील (एमडीएम) (₹14.34 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, 3. एनवीएस (₹1549.87 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान 4. सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (8 करोड़) और 5. (i) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹2925.85 करोड़) और (ii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (₹272.09 करोड़) को अंतर लेखा अंतरण के लिए।	(a) For 1. Grants-in-aid General under the schemes Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹897.20 crore) and Mid Day Meal (MDM) (₹6.12 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes NVS (₹211.68 crore) and MDM (₹14.35 crore) 3. Grants-in-aid Salary under the scheme NVS (₹1549.87 crore) 4. Professional Services (₹8 crore) under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan and 5. Inter Account Transfer to (i) Central Road and Infrastructure Fund (₹2925.85 crore) and (ii) Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (₹272.09 crore).	3,197.94	-	3197.94
(ख) (i) सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1564.80 करोड़) और (ii) प्रारम्भिक शिक्षा कोष को अंतर लेखा अंतरण (₹1564.80 करोड़) के लिए।	(b) For (i) Grants-in-aid General under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (₹1564.80 crore) and (ii) Inter Account Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh (₹1564.80 crore).	1,564.80	-	1564.80
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) (i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग (₹2 करोड़), भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान (₹10 करोड़), केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹100 करोड़), राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (₹9 करोड़) और शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान (₹2.51 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, (ii) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों सृजन के लिए अनुदान (₹8 करोड़), (iii) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान (₹10 करोड़), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता (₹200 करोड़) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹279 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान तथा (iv) माध्यमिक और उच्चतर	(a) For (i) Grants-in-aid General under the schemes National Commission for Minority Educational Institutions (₹2 crore), Grants for Promotion of Indian languages (₹10 crore), Grants to Central Universities (₹100 crore), National Mission on Teachers and Teaching (₹9 crore) and Shastri Indo-Canadian Institute (₹2.51 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants for promotion of Indian languages (₹8 crore) and (iii) Grants-in-aid Salaries under the schemes Grants for promotion of Indian languages (₹10 crore) and Support to University Grants			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
शिक्षा कोष को अंतर लेखा अंतरण (₹505.32 करोड़) के लिए।	Commission (₹200 crore) and Grants to Central Universities (₹279 crore) and (iv) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh (₹505.32 crore).	279.00	-	279.00
(ख) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹725.07 करोड़), पूंजीगत आस्तियों सृजन के लिए अनुदान (₹112.87 करोड़), और वेतन सहायता अनुदान (₹61.59 करोड़), (ii) प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वृत्तिका कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति / वृत्तिका (₹60 करोड़) और (v) राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹279 करोड़) के लिए।	(b) For (i) Grants-in-aid General (₹725.07 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹112.87 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹61.59 crore) under various schemes and (ii) Scholarships/ Stipends under the scheme Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends (₹60 crore) and (v) Inter Account Transfer to National Investment Fund (₹279 crore).	505.32	-	505.32
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59. सूचना और प्रसारण मंत्रालय अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारतीय हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्य सहायता अनुदान के रूप में व्यय पूरा करने के लिए।	59 Ministry of Information and Broadcasting For meeting expenditure as Grants-in-aid General in North Eastern Area for Prasar Bharati for Arun Prabha Channel.	11.76	-	11.76
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74. विद्युत मंत्रालय (क) 1. केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को निधियों का अंतरण (₹2850 करोड़) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹77.59 करोड़), 2. (i) राष्ट्रीय विद्युत निधि को ब्याज सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत (₹33 करोड़), (ii) विद्युत अपीलीय अधिकरण स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.02 करोड़) और (iii) स्मार्ट ग्रिड स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों सृजन के लिए अनुदान (₹7.36 करोड़) के लिए।	74 Ministry of Power (a) For 1. transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (₹2850 crore) and providing Grants for Creation of Capital Assets (₹77.59 crore) under the scheme Integrated Power Development 2. providing additional funds (i) under the schemes Interest subsidies to National Electricity Fund (₹33 crore) and (ii) Other administrative expenses under the scheme Appellate Tribunal for Electricity (₹0.02 crore) and (iii) for Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Smart Grid (₹7.36 crore).	2,850.00	-	2850.00
(ख) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत आर्बटन करने के लिए केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधियों का अंतरण के लिए।	(b) For transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund to provide allocation under the scheme Integrated Power Development Scheme.	-	900.00	900.00
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
80. रेल मंत्रालय (क) न्यायालय की डिक्रियों से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	80 Ministry of Railways (a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	46.00	-	46.00
(ख) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure arising out of court orders.	-	191.65	191.65

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
(i) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मौद्रिकरण को निधियों का अंतर लेखा अंतरण (₹4840.75 करोड़), (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मौद्रिकरण में से वित्त पोषित एनएचएआई में निवेश (₹4840.75 करोड़), (iii) सीआरआईएफ में से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹2200 करोड़), (iv) सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यालय व्यय के अंतर्गत एकीकृत आईपी आधारित सुरक्षा एवं निगरानी प्रणाली की खरीद (₹2.50 करोड़) तथा (v) बोनस शेयरों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि0 में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹2 करोड़)।	For (i) Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highway Fund (₹4840.75 crore) (ii) Investment in NHAI financed from Monetization of National Highways Fund (₹4840.75 crore) (iii) additional expenditure for Major Works under National Highways Original Works financed from CRIF (₹2200 crore) (iv) purchase of integrated IP based Security and Surveillance System under Office Expenses on Information Technology (₹2.50 crore) and (v) additional equity investment in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (₹2 crore) through bonus share.	-	4,842.75	4,842.75
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
87. पोत परिवहन मंत्रालय	87 Ministry of Shipping			
(i) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹125 करोड़), (ii) सीआरआईएफ से वित्तपोषित सागरमाला विकास कंपनी में निवेश (₹125 करोड़) और (iii) अनुदानों को निवेश में परिवर्तित करने के कारण अवधि-पूर्व लेखांकन समायोजन करने (₹90 करोड़) के लिए।	For (i) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹125 crore) (ii) Investment in Sagarmala Development Company financed from CRIF (₹125 crore) and (iii) carrying out Prior Period Accounting Adjustment on account of conversion of Grants into investment (₹90 crore).	-	125.00	125.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(a) For Grants-in-aid General under the scheme Post Matric Scholarship for SCs.	13.52	-	13.52
(ख) (i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹1366.48 करोड़), अनुसूचित जाति उप घटक को विशेष केन्द्रीय सहायता (₹100 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹15.55 करोड़), अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹100 करोड़), अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹116.75 करोड़), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹30 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) अनुसूचित जातियों के लिए बालिका छात्रावास (₹10 करोड़) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बाल एवं बालिका छात्रावास (₹10 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए।	(b) For (i) Grants-in-aid General under the schemes Post matric Scholarship for SCs (₹1366.48 crore), Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub Component (₹100 crore), Pre Matric Scholarship for SCs (₹15.55 crore), Pre Matric Scholarship for OBCs (₹100 crore), Post Matric Scholarship for OBCs (₹116.75 crore) and Post Matric Scholarship for Economically Backward Classes (₹30 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under schemes Girls Hostel for SCs (₹10 crore) and Boys and Girls Hostel for OBCs (₹10 crore).	66.48	-	66.48

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
90. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	90 Department of Empowerment of Persons with Disabilities			
(i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹15.78 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹3.75 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹28 करोड़), (ii) दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति / वृत्तिका (₹4.73 करोड़) और (iii) सहायक उपकरण और उपस्कर की खरीद/ लगाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹3.42 करोड़) के लिए।	For (i) Grants-in-aid General (₹15.78 crore), Grants-in-aid Salary (₹3.75 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹28 crore) under various schemes (ii) Scholarship/Stipend under the scheme Scholarship for Student with Disabilities (₹4.73 crore) and (iii) additional expenditure under Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids and Appliances (₹3.42 crore).	17.73	-	17.73
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
94. कपड़ा मंत्रालय	94 Ministry of Textiles			
अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional requirements towards Major Works under the scheme Infrastructure & Technology Development .	-	13.00	13.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	96 Ministry of Tribal Affairs			
(i) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.85 करोड़), मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹7.73 करोड़), मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹13.77 करोड़) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता (₹1.01 करोड़) तथा (ii) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹20 करोड़) ।	For (i) Grants-in-aid General under the schemes Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹0.85 crore), Pre-Matric Scholarship (₹7.73 crore), Post Matric Scholarship (₹13.77 crore) and Support to Tribal Research Institutes (₹1.01 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants under Article 275 (1) of the Consitution (₹20 crore).	20.00	-	20.00
कुल तकनीकी	Total Technical	23,718.49	1,23,678.38	1,47,396.87

4. नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में, ₹1 लाख की पूरक अनुदान भी लिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके सामने दर्शाए गए व्यय को संबंधित अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी खंड में बचत के पुनर्विनियोजन, जैसा भी मामला हो, से पूरा किया जाएगा।
4. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे

Token Supplementary Demands for grants

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
एकीकृत कृषि सहकारिता स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद के घाटे को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing funds as Grants-in-aid General for meeting deficit of National Council for Cooperative Training under Integrated scheme on Agriculture Cooperation.	14.68	-	14.68

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹397.15 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹40.81 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹105.60 करोड़), और अंशदान (₹0.66 करोड़) के रूप में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional funds as Grants-in-aid General (₹397.15 crore), Grants-in-aid Salaries (₹40.81 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹105.60 crore) and Contributions (₹0.66 crore) under various schemes.	526.22	-	526.22
(ख) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त निधियां (₹3.44 करोड़) और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹60.14 करोड़) के रूप में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional funds as Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under scheme ICAR Headquarter Administration (₹3.44 crore) and Grants for Creation of Capital Assets to Central Agricultural Universities Imphal (₹60.14 crore).	63.58	-	63.58
3. पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.92 करोड़), एससीएसपी घटक (₹0.42 करोड़) और टीएसपी घटक (₹0.22 करोड़) के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure as Grants-in-aid General (₹1.92 crore), SCSP (₹0.42 crore) and TASP (₹0.22 crore) under the scheme State Cooperative Dairy Federations.	2.56	-	2.56
(ख) निधियां प्रदान करने हेतु (i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹37 करोड़), एससीएसपी घटक (₹9 करोड़) और टीएसपी घटक (₹4 करोड़)।	(b) For providing funds as (i) Grants-in-aid General- General Component (₹37 crore), SCSP Component (₹9 crore) and TASP Component (₹4 crore) under the scheme Rashtriya Gokul Mission.	50.00	-	50.00
(ग) पशु स्वास्थ्य संस्थान स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Major Works under the scheme Animal Health Institutes.	1.44	1.44	
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) सचिवालय के लिए सामान्य सहायता के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure as Grants-in-aid General for Secretariat.	0.06	-	0.06
(ख) राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन के लिए सामान्य सहायता के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure as Grant-in-aid General for Rajasthan Atomic Power Station.	0.17	-	0.17
(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए सामान्य सहायता के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure as Grant-in-aid General for Bhabha Atomic Research Centre.	1.17	-	1.17
(घ) सामान्य सेवा संगठन के लिए सामान्य सहायता के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure as Grant-in-aid General for General Service Organisation.	7.00	-	7.00
(ड.) परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए मशीनरी और उपस्कर हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure towards Machinery & Equipment for Bhabha Atomic Research Centre.	-	0.33	0.33
(च) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure under Machinery & Equipment for Indira Gandhi Centre for Atomic Research.	-	0.14	0.14

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 Ministry of Ayurveda, Yoga And Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH)			
(क) निम्नलिखित के लिए (i) एनएएम स्कीम (₹7.72 करोड़) और पूर्वोत्तर आयुर्वेद तथा होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹1.62 करोड़) के अंतर्गत सहायता अनुदान, (ii) एनएएम स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹17.20 करोड़), पूर्वोत्तर आयुर्वेद तथा होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹0.70 करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर आयुर्वेद तथा होम्योपैथी संस्थान, शिलांग स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹2.40 करोड़)।	(a) For (i) Grants-in-aid under the scheme NAM (₹7.72 crore) and North-Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹1.62 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme NAM (₹17.20 crore) and North-Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹0.70 crore) and (iii) Grants-in-aid Salary under the scheme North-Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹2.40 crore).	29.64	-	29.64
(ख) एनएएम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान	(b) For Grants-in-aid General under the scheme NAM.	11.72	-	11.72
(ग) एनएएम स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान	(c) For Grants-in-aid General under the scheme NAM.	1.78	-	1.78
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
8. उर्वरक विभाग	8 Department of Fertilisers			
यूरिया के आयात के भुगतान हेतु।	For payment of import of Urea.	5,200.00	-	5,200.00
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10. कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
अनुसंधान और विकास स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure as Grants-in-aid General under the scheme Research and Development.	1.50	-	1.50
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	11 Department of Commerce			
चाय बोर्ड के तहत सब्सिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु।	For meeting the additional requirement towards Subsidies under the Tea Board.	3.77	-	3.77
12. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) परिवहन भाड़ा सब्सिडी स्कीम योजना के अंतर्गत सब्सिडियां (₹295.78 करोड़) और (ii) सहायता अनुदान वेतन (₹0.07 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹0.05 करोड़), स्वायत्त शासी संस्थाओं को सहायता के अंतर्गत।	(a) For meeting additional requirement as (i) subsidies under the scheme Transport/Freight Subsidy Scheme (₹295.78 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹0.07 crore) and Grants-in-aid General (₹0.05 crore) under the scheme Support to Autonomous Institutions.	295.90	-	295.90
(ख) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹0.53 करोड़), स्वायत्त शासी संस्थाओं को सहायता (₹8 करोड़), व्यापार करना आसान बनाने की परियोजना (₹5 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General under the schemes Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (₹0.53 crore), Support to Autonomous Institutions (₹8 crore) and Ease of Doing Business Project (₹5 crore).	13.53	-	13.53

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
आईटी इंडक्शन और आधुनिकीकरण के अंतर्गत मेल आफिस हार्डवेयर और रूरल हार्डवेयर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure for Supply of Mail Office Hardware and Rural Hardware under IT induction and modernisation.	-	42.52	42.52
14. दूर संचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) ब्याज माफी हेतु (₹427.68 करोड़) और ऋण को बट्टे खाते डालना (₹983.18 करोड़), भारत संचार निगम लि0 के विरुद्ध बकाया।	(a) For waiver of interest (₹427.68 crore) and write-off of loan (₹983.18 crore) outstanding against Bharat Sanchar Nigam Limited.	1,410.86	-	1,410.86
(ख) रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बेसेज नेटवर्क संबंधी केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण हेतु।	(b) For transfer to Central Road and Infrastructure Fund on Optical Fibre Cable bases network for Defence Services.	-	2,500.00	2,500.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15. उपभोक्ता मामले विभाग	15 Department of Consumer Affairs			
मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत समय प्रचार-प्रसार स्कीम के लिए अतिरिक्त व्यय जारी करने हेतु।	For releasing additional expenditure for the scheme Dissemination of Time under Machinery & Equipment.	-	22.27	22.27
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18. संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
(क) (i) संग्रहालय को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.25 करोड़) और (ii) संग्रहालय को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹5.45 करोड़) और शताब्दी तथा वर्षगांठ समारोह (₹15 करोड़)।	(a) For (i) Grant-in-aid General under the schemes Support to Museums (₹1.25 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Support to Museums (₹5.45 crore) and Centenary and Anniversary Celebration (₹15 crore).	21.70	-	21.70
(ख) शताब्दी तथा वर्षगांठ समारोह स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(b) For Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Centenary and Anniversary Celebration.	21.09	-	21.09
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	19 Ministry of Defence (Misc.)			
(क) व्यापक पेंशन पैकेज पर रक्षा लेखा विभाग का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹20 करोड़), रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत छावनी बोर्ड में स्वच्छता कार्य योजना का कार्यान्वयन (₹10 करोड़) और सीमा सड़क संगठन का स्थापना संबंधी व्यय (₹146 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure of Defence Accounts Department on comprehensive pension package (₹20 crore), implementation of Swachhta Action Plan in Cantonment Boards under Defence Estate Organisation (₹10 crore) and establishment related expenditure (₹146 crore) of Border Roads Organisation.	176.00	-	176.00
(ख) आपूर्ति और सामग्री के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹70 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹178.90 करोड़) और स्थापना संबंधी व्यय शीर्ष (₹51.10 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure under supplies & materials (₹70 crore), minor works (₹178.90 crore) and establishment related heads of expenditure (₹51.10 crore).	300.00	-	300.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) तटरक्षक संगठन के लिए जहाज, वायुयान और बेड़ों की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards acquisition of Ships, Aircrafts and Fleets for Coast Guard Organisation.	-	40.00	40.00
(घ) केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अतिरिक्त राशि अंतरित करने हेतु।	(d) For transferring additional amount to Central Road and Infrastructure Fund.	-	1,080.00	1080.00
(ड.) मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० को अपनी बकाया देनदारियों के निपटान के लिए ऋण देने के लिए।	(e) For providing loan to M/s. Hindustan Shipyard Limited for discharging its outstanding liabilities.	-	169.00	169.00
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
24. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	24 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
(क) सचिवालय के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional funds for establishment related expenditure under Secretariat.	1.44	-	1.44
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional funds under Externally Aided Project component of Swachh Bharat Mission (Gramin) for North Eastern Areas.	100.00	-	100.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	25 Ministry of Earth Sciences			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई स्वायत्त शासी निकाय को वेतन सहायता अनुदान (₹4.50 करोड़) और (ii) महासागर सेवा प्रौद्योगिकी प्रेक्षण संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹18 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure as (i) Grants-in-aid Salaries to Autonomous Body National Institute of Ocean Technology, Chennai (₹4.50 crore) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Ocean Services Technology Observations Resource Modelling and Sciences (₹18 crore).	22.50	-	22.50
(ख) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में व्यय पूरा करना (₹5.86 करोड़) और अनुसंधान शिक्षा एवं प्रशिक्षण पहुंच हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.53 करोड़)।	(b) For meeting expenditure as Grants in Aid General (₹ 5.86 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 1.53 crore) for Research Education and Training Outreach.	7.39	-	7.39
(ग) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) वायुमण्डल एवं जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली तथा सेवा के लिए मशीनरी और उपस्कर (₹4 करोड़)। (ii) कराड (महाराष्ट्र) में बोर होल भू-भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु भूकंप विज्ञानी और भूगर्भ विज्ञान स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (₹1.50 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipment for Atmosphere & Climate Research - Modelling Observing Systems & Services (₹4 crore) (ii) Major Works under the scheme Seismological and Geoscience for Borehole Geophysics Research Laboratory complex at Karad (Maharashtra) (₹1.50 crore).	-	5.50	5.50
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
विभिन्न परियोजना शीर्षों के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण स्कीम के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure under the scheme Control of Pollution under various object heads.	5.00	-	5.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29. आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को अंतरण।	(a) For Transfer to Senior Citizen Welfare Fund.	100.00	-	100.00
(ख) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि न्यासी लि० के लिए परामर्शी सेवाओं के भुगतान हेतु।	(b) For payment to Advisory Services for National Investment and Infrastructure Fund Trustee Ltd.	1.30	-	1.30
(ग) (i) व्यवहार्य अंतराल निधियन के तहत अवसंरचना विकास हेतु सहायता (₹100 करोड़) और (ii) आर्थिक विकास संस्थान में वेतन सहायता अनुदान (₹1.03 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹0.68 करोड़)।	(c) For (i) Assistance for Infrastructure Development under Viability Gap Funding (₹100 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹1.03 crore) and Grants-in-aid General (₹0.68 crore) to institute of Economic Growth.	101.71	-	101.71
(घ) (i) वैश्विक पर्यावरण सुविधा को अंशदान (₹6.27 करोड़) और (ii) ब्याज समकरण स्कीम के अंतर्गत भारतीय एक्जिम बैंक को भुगतान (₹779.58 करोड़)।	(d) For (i) Contribution to Global Environment Facility (₹6.27 crore) and (ii) payment to Export Import Bank of India under Interest Equilization Scheme (₹779.58 crore).	785.85	-	785.85
(ङ.) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के लिए।	(e) For National Infrastructure and Investment Fund.	-	600.00	600.00
(च) एआईडीबी के अतिरिक्त शेयर में अभिदान के लिए जीसीआई-VI के अप्रीकी विकास बैंक में अभिदान हेतु।	(f) For Subscription to African Development Bank of GCI-VI to subscribe additional shares of AIDB.	-	7.08	7.08
(छ) रियायती साझेदार ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि हेतु।	(g) For International Fund for Agricultural Development for Concessional Partner Loan.	-	48.69	48.69
35. अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes			
(क) जिला रायगढ़, मुम्बई में जवाहर लाल नेहरू कस्टम्स हाउस, नवाशेवा में कार्यालय भवन हेतु निर्माण कार्य को आसान बनाने के लिए पूर्व निर्माण पर व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure on pre-construction enabling works for office building at Jawaharlal Nehru Customs House, Nhava Sheva, Distt. Raigad, Mumbai.	-	0.41	0.41
(ख) द्वारका, दिल्ली में आवासीय क्वार्टर के निर्माण पर व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure on construction of residential quarters at Dwarka, Delhi.	-	30.00	30.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) (i) जनसंख्या स्थिरता कोष के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹5.03 करोड़) और स्थापना संबंधी व्यय (₹0.97 करोड़) और (ii) विभिन्न संस्थाओं के लिए अन्य प्रभार (₹0.05 करोड़)।	(a) For (i) Grants-in-aid General (₹5.03 crore) and establishment related expenditure (₹0.97 crore) under Jansankhya Sthirta Kosh and (ii) Other Charges (₹0.05 crore) for various institutions.	6.05	-	6.05
(ख) विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹3.55 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4 करोड़) ट्रामा सेंटर - आघात और ट्रामा देखरेख के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता।	(b) For Grants-in-aid General (₹3.55 crore) under various institutions and Grants for Creation of Capital Assets (₹4 crore) for Assistance for Capacity Building for Trauma Centres - Injury & Trauma Care.	7.55	-	7.55

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43 Department of Health Research			
(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹12 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹40 करोड़)	(a) For Grants-in-aid General (₹12 crore) and Grants-in-aid Salary (₹40 crore) under the scheme Indian Council of Medical Research.	52.00	-	52.00
(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान ।	(b) For Grants-in-aid General under the scheme Indian Council of Medical Research.	18.00	-	18.00
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44. भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
ताप विद्युत के लिए एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement as Grants for Creation of Capital Assets under the scheme R & D project for Development of Advanced Ultra Super Critical Technology for Thermal Power Plans.	50.00	-	50.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
48. गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
(क) अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं और अन्य नम्य अवसंरचना गठजोड़ स्कीम के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹0.12 करोड़)।	(a) For meeting expenditure on Union Territories without Legislature (₹0.12 crore) under the scheme Other Disaster Management Projects and Coalition on Disaster Redilient infrastructure (₹60 crore).	60.12	-	60.12
(ख) राष्ट्रीय आकस्मिक संचार योजना के अंतर्गत मोटर वाहन की खरीद (0.30 करोड़) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की स्कीम के लिए कार्यालय भवन (8 करोड़) पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure on purchase of Motor vehicle under National Emergency Communication Plan (₹0.30 crore) and Office Building scheme of National Disaster Response Force (₹8 crore).	-	8.30	8.30
48. पुलिस	48 Police			
(क) विशेष सुरक्षा समूह (₹0.10 करोड़) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (₹0.60 करोड़) के लिए न्यायालय के आदेश के कारण अन्य प्रभारों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Other Charges on account of Courts decision for Special Protection Group (₹0.10 crore) and Indo-Tibetan Border Police (₹0.60 crore).	0.70	-	0.70
(ख) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल (₹395.55 करोड़) और दिल्ली पुलिस (₹137 करोड़), राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (₹46.40 करोड़), पुलिस आवासीय भवन के लिए समन्वय बेतार निदेशालय (₹0.78 करोड़) आवासीय भवन कार्यक्रम के लिए।	(b) For Resedential Building programme of Central Reserve Police Force, Border Police Force (₹395.55 crore) and Delhi Police (₹137 crore), National Police University (₹46.40 crore), Directorate of Coordination Police Wireless for Residential Building (₹0.78 crore).	-	579.73	579.73
49. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49 Andaman and Nicobar Islands			
(क) निजी स्कूलों को सहायता के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के रूप में व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure as Grants-in-aid Salaries under assistance to private schools.	0.30	-	0.30
(ख) जिला परिषद (₹0.40 करोड़) और पंचायत समिति (₹0.10 करोड़) के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के रूप में व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure as Grants-in-aid Salaries in respect of Zila Parishad (₹0.40 crore) and Panchayat Samiti (₹0.10 crore).	0.50	-	0.50

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) सामान्य प्रशासन (₹7 करोड़) और अन्य विभागों के अंतर्गत (₹1 करोड़) के तहत चालू निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(c) For meeting additional requirement for ongoing construction works under General Administration (₹7 crore) and under other departments (₹1 crore).	-	8.00	8.00
(घ) जिला अस्पतालों के उपयोग के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(d) For meeting additional requirement to purchase of machinery and equipments for the use of District Hospitals.	-	3.00	3.00
(ङ) पाइप लाइनों को बदलने, बिछाने और पानी टंकियों के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(e) For meeting additional requirement for replacement, laying of pipelines and construction of water tanks.	-	3.00	3.00
(च) सामान्य पूल आवास के तहत आवासीय भवनों के निर्माण/पुनरुद्धार संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।	(f) For meeting expenditure on construction/renovation of residential building under General Pool Accomodation.	-	3.00	3.00
(छ) मशीनरी और उपकरणों के तहत 35 सूनामी साइरन की खरीद हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(g) For meeting additional requirement for procurement of 35 Tsunami sirens under Machinery & Equipments.	-	9.99	9.99
(ज) पशु चिकित्सा इमारत के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(h) For meeting additional requirement for construction of Veterinary building.	-	0.13	0.13
(झ) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मशीनरी और उपकरणों की खरीद संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(i) For meeting additional requirement for purchase of machinery and equipments for information technology.	-	0.02	0.02
(ञ) जिला सड़क के अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण/पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹3 करोड़), जिला और अन्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (₹2 करोड़) और सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (₹2.50 करोड़)।	(j) For meeting additional requirement for construction/renovation of Roads & Bridges under District Roads (₹3 crore), Tribal Area sub plan for District & Other Roads (₹2 crore) and Tribal Area sub plan for General Roads (₹2.50 crore).	-	7.50	7.50
50. चंडीगढ़	50 Chandigarh			
(क) पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़ के वेतन भुगतान संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(a) For meeting additional requirement towards payment of Salary related expenditure of Punjab Engineering College, Chandigarh.	15.04	-	15.04
(ख) उच्च न्यायालय में सुरक्षा कर्मियों के लिए 300 मीटर शूटिंग रेंज का पुनरुद्धार और इसकी चारदीवारी, आवास के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु, विभिन्न पुलिस थानों का उन्नयन आदि।	(b) For meeting additional requirement for renovation of 300 metre shooting range and its boundary wall, accommodation for security personnel at High Court, upgradation of various Police Stations, etc.	-	3.88	3.88
(ग) सीसीईटी 26 में कार्यशाला ब्लॉक के विस्तार और उनके मौजूदा प्रयोगशालाओं आदि के विस्तार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹1.17 करोड़) और वास्तुकला कालेज में एम-आर्क ब्लॉक का निर्माण (₹0.50 करोड़)।	(c) For meeting additional requirement for extension of workshop block in CCET, 26 and their existing labs etc. (₹1.17 crore) and construction of M.Arch Block in Architect College (₹0.50 crore).	-	1.67	1.67
(घ) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) 36 टाइप-II मकानों का निर्माण (₹11.28 करोड़), खेल आघात केन्द्र, सरकारी चिकित्सा कालेज में आपातकालीन ब्लॉक (₹8.76 करोड़) और सेक्टर-48 में 80 बेड वाला अस्पताल और (ii) जीएमएसएच 16 का उन्नयन, मनीमाजरा और सेक्टर-22 में 50 बेड (₹2.52 करोड़)	(d) For meeting additional requirement for (i) construction of 36 Type-II Houses (₹11.28 crore), Sports Injury Centre, Emergency Block in Govt. Medical College (₹8.76 crore) and of 80 bedded hospital in Sector 48 and (ii) upgradation of GMSH-16, 50 Bedded in Manimajra and sector 22 (₹2.52 crore).	-	22.56	22.56

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ड.) धरोहर संबंधी इमारतों के काले धब्बे मिटाने, स्ट्रीट लाइटें, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(e) For meeting additional requirement for removal of dark spots, street lightening, preservation and restoration of heritage buildings.	-	51.99	51.99
(च) सरकारी आईटीआई सेक्टर-28 और केन्द्रीय शिल्प संस्थान सेक्टर-11 के उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(f) For meeting additional requirement for upgradation of Govt. ITI, Sec. 28 and Central Crafts Institute Sec. 11.	-	0.46	0.46
(छ) चेन लिंक फेंसिंग लगाने और रिटेंनिंग दीवार स्टोन मेसनरी, ग्रेड स्टेबिलाइजर, रिटेंमेंट के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(g) For meeting additional requirement for installation of chain link fencing, construction of retaining walls, stone masonry, Grade stabilizer, revetment etc.	-	2.00	2.00
(ज) विभिन्न गांवों की विभिन्न संपर्क/फिरनी सड़कों को चौड़ा करने और पुनः कारपेटिंग के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(h) For meeting additional requirement for widening and recarpeting of various links/phirni roads of various villages.	-	2.30	2.30
(झ) सीटीयू कार्यशाला डिपो I और II के उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(i) For meeting additional requirement for upgradation of CTU workshop Depots I & II.	-	1.79	1.79
(ञ) पर्यावरण भवन, से.-19 के उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	(j) For meeting additional requirement for upgradation of Environment Building, Sector 19.	-	0.12	0.12
51. दादरा एवं नगर हवेली विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में 21 चेक डैम के निर्माण के भुगतान के लिए वचनबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	51 Dadra and Nagar Haveli For meeting additional requirement for committed liabilities for payment of construction of 21 Check Dams in various Wildlife Sanctuaries.	-	2.00	2.00
53. लक्षद्वीप (क) स्थापना संबंधी व्यय, खेल-कूद का आयोजन और खेल/आयोजनों, फिटनेस केन्द्रों के लिए स्वास्थ्य देखभाल उपकरण की खरीद, संघों और क्षेत्रीय खेल-कूल परिसरों को वित्तीय सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	53 Lakshadweep (a) For meeting additional expenditure as Grants-in-aid General towards establishment expenses, organizing sports & Games/events, purchase of Health Care equipment to fitness centres, Financial Assistance to Associations and Regional Sports Councils.	0.40	-	0.40
(ख) स्थापना संबंधी व्यय, लक्षद्वीप कला अकादमी के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure as Grants-in-aid General towards establishment expenses, organizing cultural programmes through Lakshadweep Kala Academy.	0.75	-	0.75
55. पुदुचेरी को अंतरण 2012-13 के सूखे के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा यथा अनुमोदित वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु।	55 Transfers to Puducherry For providing financial assistance as approved by High Level Committee for drought 2012-13.	0.01	-	0.01
आवास और शहरी मामले मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56. आवास और शहरी मामले मंत्रालय (क) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान से संबंधित कार्य के लिए।	56 Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For work related to institute of Constitutional and Parliamentary Studies.	-	5.00	5.00
(ख) श्रम भवन, चंडीगढ़ हेतु कार्यालय भवन के लिए।	(b) For office building for Labour Bhawan, Chandigarh.	-	2.00	2.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(i) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹110.10 करोड़) और आरएमएसए (₹272.09 करोड़), (ii) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50 करोड़), आरएमएसए (₹100 करोड़), और (iii) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹191.60 करोड़)।	For (i) Grants-in-aid General under the scheme Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹110.10 crore) and RMSA (₹272.09 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme NVS (₹50 crore), RMSA (₹100 crore) and (iii) Grants-in-aid Salary under the scheme NVS (₹191.60 crore).	723.79	-	723.79
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(i) अन्य संस्थानों को सहायता स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹9.80 करोड़) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता (₹262.26 करोड़) और (ii) पूंजीगत आस्तियों सृजन के लिए अनुदान (₹83.52 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹0.27 करोड़) अन्य को सहायता स्कीमों के अंतर्गत।	For (i) Grants-in-aid General under the schemes Assistance to other institutes (₹9.80 crore) and Support to University Grants Commission (₹262.26 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹83.52 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.27 crore) under the schemes Assistance to other institutes.	355.85	-	355.85
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure as Grants-in-aid General for Satyajit Ray Film and Television Institute.	1.00	-	1.00
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
62. निर्वाचन आयोग	62 Election Commission			
द्वारका में निर्वाचन आयोग के लिए भूमि की खरीद और अतिरिक्त कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु।	For purchase of land and construction work of additional Office Building for Election Commission of India at Dwarka.	-	0.01	0.01
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) क्रेडिट सहायता कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹3.67 करोड़) और (ii) खादी अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹9.53 करोड़)	(a) For meeting additional requirement for (i) contribution under the scheme Credit Support Programme (₹3.67 crore) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Khadi Grant (₹9.53 crore).	13.20	-	13.20
(ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹15 करोड़) और क्रेडिट सहायता कार्यक्रम (₹10 करोड़), (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केन्द्र स्कीम के अंतर्गत विज्ञान	(b) For meeting additional requirement towards (i) contribution under the schemes Pradhan Mantri Employment Generation Programme (₹15 crore) and Credit Support Programme (₹10 crore) (ii) Advertising and Publicity under the			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और प्रचार (₹5 करोड़) और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (₹0.01 करोड़), (iii) आंकड़ाधार का उन्नयन स्कीम के अंतर्गत प्रचार (₹0.01 करोड़), (iv) विपणन विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत विज्ञान और प्रचार (₹2.50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹0.05 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़), सब्सिडियां (₹2 करोड़) और (v) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम संवर्धन सेवाएं, संस्थान और कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत एफटीई (₹0.05 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹1.50 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) (vi) खादी अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹192.59 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान अनुसूचित जाति घटक (₹18.32 करोड़) तथा अनुसूचित जनजाति घटक (₹19.56 करोड़)।	schemes National Scheduled Caste/ Scheduled Tribes Hub Centre (₹5 crore) and National Manufacturing Competitiveness Programme (₹0.01 crore) (iii) Publications under the scheme Upgradation of Data Base (₹0.01 crore) (iv) Advertising & Publicity (₹2.50 crore), Professional Services (₹0.05 crore), Grants-in-aid General (₹1 crore) and Subsidies (₹2 crore) under the scheme Marketing Development Assistance and (v) FTE (₹0.05 crore), Professional Services (₹1.50 crore) and Grants-in-aid General (₹1 crore) under the scheme Entrepreneurship and Skill Development Programme - Promotional Service Institutions and Programme. (vi) Grants in aid General (₹192.59 crore), Grants in aid General SC component (₹18.32 crore) and ST component (₹19.56 crore) under the scheme Khadi Grant.	268.59	-	268.59
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65. खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines			
अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹73.50 करोड़) और भारतीय खान ब्यूरो (₹13.50 करोड़) और (ii) खनिज अन्वेषण निगम लि0 स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹0.88 करोड़)।	For meeting the additional requirement towards (i) Salaries under the schemes Geological Survey of India (₹73.50 crore) and Indian Bureau of Mines (₹13.50 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Mineral Exploration Corporation Ltd. (₹0.88 crore).	87.88	-	87.88
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	66 Ministry of Minority Affairs			
(क) अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (i) बहुक्षेत्रीय विकास स्कीम योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4 करोड़) और (ii) हमारी धरोहर स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़)।	(a) For providing additional funds as (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Multi Sectoral Development Scheme (MsDP) (₹4 crore) and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Hamari Dharohar (₹2 crore).	6.00	-	6.00
(ख) अनुसंधान अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन स्कीमों के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधियां देने हेतु।	(b) For providing additional funds towards Professional Services under the Research Studies, monitoring and evaluation schemes.	6.00	-	6.00
(ग) बहुक्षेत्रीय विकास स्कीम योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में अतिरिक्त निधि मुहैया कराना।	(c) For providing additional funds as Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Multi Sectoral Development Scheme.	14.60	-	14.60

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
67. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	67 Ministry of New and Renewable Energy			
(क) सौर विद्युत (ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत) स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।	(a) For providing additional funds for Grants as Creation of Capital Assets for North Eastern Region under the scheme Solar Power (Grid Interactive Renewable Power).	80.00	-	80.00
(ख) पवन विद्युत (ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत) स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional funds as subsidy under the scheme Wind Power (Grid Interactive Renewable Power).	100.00	-	100.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
73. योजना मंत्रालय	73 Ministry of Planning			
व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय श्रम, आर्थिक अनुसंधान और विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़) (ii) भारत की ऊर्जा नीतियों के लिए गहरी समीक्षा प्रस्ताव हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को 50,000 यूरो के स्वैच्छिक अंशदान हेतु (₹0.40 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.50 crore) and (ii) Contributions for voluntary contribution of EUR50,000 to the International Energy Agency (IEA) for the proposed In Depth Review for the energy policies of India (₹0.40 crore).	1.90	-	1.90
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
80. रेल मंत्रालय	80 Ministry of Railways			
(i) दक्षिणी रेलवे के लिए ऊपरी पुल निर्माण कार्य के अंतर्गत राष्ट्रीय रेल के जरिए मनमदुरई, रामेश्वरम में पुल (पम्बन वायाडक्ट) का निर्माण (₹248.97 करोड़) और (ii) पूर्व मध्य रेलवे के लिए उत्पादन यूनिटों सहित मुख्य कार्यशालाओं के अंतर्गत हजीराबाग नगर में कोच रखरखाव डिपो (चरण-I) के लिए प्रावधान (₹28.19 करोड़)।	For (i) reconstruction of bridge (Pamban Viaduct) in Manamadurai Rameswaram through Rashtriya Rail under the head Bridge Works for Southern Railway (₹248.97 crore) and (ii) provision for coach maintenance depot (Phase-1) in Hazirabagh Town under the head Workshops including Production Units for East Central Railway (₹28.19 crore).	-	277.16	277.16
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) (i) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सड़कों के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.51 करोड़) और प्रचालन पूर्व खर्च पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि0 को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.12 करोड़)।	(a) For (i) Grants for Creation of Capital Assets for roads in Andaman & Nicobar Islands (₹2.51 crore) and (ii) Grants-in-aid General to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited for meeting pre-operative expenses (₹0.12 crore).	2.63	-	2.63
(ख) अन्य प्रभागों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा और प्रदूषण परीक्षण उपकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure for Road Safety and Pollution Testing Equipment and Programme Implementation .	0.50	-	0.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
82. ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural Development			
(क) सचिवालय के अंतर्गत कार्यालय भवन की मरम्मत हेतु आबंटन देने के लिए।	(a) For providing allocation for repairs of office building under Secretariat.	0.20	-	0.20
(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम के अंतर्गत मजदूरी संवितरण के लिए सेवा प्रभार हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए	(b) For providing additional funds for service changes for wage disbursement under the scheme National Rural Employment Guarantee Scheme.	100.00	-	100.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	84 Department of Science and Technology			
व्यय पूरा करने के लिए (i) नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और प्रति नियोजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹40 करोड़), राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली (₹0.01 करोड़), अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाली स्कीम का कार्यान्वयन (₹53.50 करोड़), विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण के अंतर्गत आईएनएसपीआईआईआई पंचाट मानक के अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना (₹1 करोड़) और नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रति नियोजन के अंतर्गत अभिचिह्नावित स्वच्छता कार्ययोजना को (₹0.01 करोड़), (ii) नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और प्रति नियोजन हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3 करोड़) और राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली को (₹0.01 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Innovation Technology Development and Deployment (₹40 crore), National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System (₹0.01 crore), Impacting Research, Innovation and Technology (₹53.50 crore), Special Component Plan for Schedule Castes of INSPIRE Award -Manak under Science & Technology Institutional and Human Capacity Building (₹1 crore) and to Swachhata Action Plan identified under Innovation Technology Development and Deployment (₹0.01 crore) (ii) Grants for creation of capital Assets for Innovation Technology Development and Deployment (₹30 crore) and to National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System (₹0.01 crore)	124.53	-	124.53
85. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	85 Department of Biotechnology			
(क) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए व्यय पूरा करना।	(a) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets for Biotechnology Research & Development.	12.08	-	12.08
(ख) व्यय पूरा करना। (i) स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता हेतु सहायता अनुदान वेतन (₹0.70 करोड़) और (ii) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹20.90 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salary for Assistance to Autonomous Institutions (₹0.70 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets for Biotechnology Research & Development (₹20.90 crore)	21.60	-	21.60
86. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	86 Department of Scientific and Industrial Research			
व्यय पूरा करने के लिए (i) सीएसआईआर के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए सहायता अनुदान वेतन (₹21.78 करोड़), (ii) सब्सिडी (₹0.54 करोड़) और औद्योगिक अनुसंधान और विकास स्कीम के पेटेंट अधिप्राप्ति एवं सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.27 करोड़), (iii) औद्योगिक अनुसंधान और विकास स्कीम के औद्योगिक अनुसंधान और विकास भवन तथा सामान्य अनुसंधान सुविधाओं के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.50 करोड़), (iv) प्रौद्योगिकी विकास के ज्ञान की	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 21.78 crore) for National Laboratories of CSIR (ii) Subsidy (₹ 0.54 crore) and Grants-in-Aid General (₹ 0.27 crore) under Patent Acquisition and Collaborative Research & Technology Development of Industrial Research & Development Scheme (iii) Grants for creation of capital assets (₹ 2.50 crore) under Building Industrial R&D and Common Research Facilities (BIRD) of Industrial Research & Development Scheme (iv) Other			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सुलभता और औद्योगिक अनुसंधान और विकास स्कीम के प्रचार-प्रसार (ए2के+) के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय।	Administrative Expenses (₹ 0.01 crore) under Access to Knowledge for Technology Development & Dissemination (A2K+) of Industrial Research & Development Scheme.	25.10	-	25.10
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
87. पोत परिवहन मंत्रालय	87 Ministry of Shipping			
निम्नलिखित हेतु 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय अंतरदेशीय जल परिवहन प्राधिकरण को (₹1.95 करोड़) और (ii) बांग्लादेश को सहायता जारी करने के लिए (₹0.64 करोड़)। 2. जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत एमएमटी, हल्दिया तथा अन्य परियोजनाओं का निर्माण (ईएपी-₹26.95 करोड़) और काउंटर पार्ट वित्तपोषण-₹25 करोड़)	For providing 1. Grants-in-aid General (i) to Inland Water Transport Authority of India (₹1.95 crore) and (ii) for releasing aid to Bangladesh (₹0.64 crore) 2. Grants for creation of capital assets for implementation and commissioning of four sub projects and other ancillary projects under Jal Marg Vikas Project (EAP - ₹ 26.95 crore and Counterpart funding - ₹ 25 crore).	54.54	-	54.54
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
88. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	88 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
(क) वर्ष 2018-19 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा विभाग से हस्तांतरित जन शिक्षण संस्थान के निदेशालय के अंतर्गत सचिवालय-सामाजिक के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards Secretariat-Social under Directorate of Jan Shikshan Sansthan transferred from Department of School Education, Ministry of HRD during the year 2018-19.	0.38	-	0.38
(ख) व्यय पूरा करने हेतु (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2016-20) के केन्द्रीय प्रायोजित, केन्द्रीय प्रबंधन घटक के अंतर्गत मांगों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹143.01 करोड़) और (ii) अरुणाचल प्रदेश में 9 नए आईटीआई की स्थापना करने और सिक्किम में 3 मौजूदा आईटीआई का उन्नयन करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹15 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for meeting demands under Centrally Sponsored Central Management (CSCM) component of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) (₹143.01 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets for establishing 9 new ITIs in Arunachal Pradesh and upgradation of 3 existing ITIs in Sikkim (₹15 crore).	158.01	-	158.01
(ग) औद्योगिक मूल्य वर्धन हेतु कौशल सुदृढीकरण उपयोजना के अंतर्गत आईटीआई को आदर्श आईटीआई में उन्नत करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for upgradation of ITIs to Model ITIs under sub-scheme Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE).	40.00	-	40.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹10 करोड़), अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (₹50 करोड़), और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (₹20 करोड़)।	(a) For Grants-in-aid General under schemes Assistance to Voluntary Organisations for SCs (₹10 crore), National fellowship for OBCs and EBCs (₹50 crore) and National Commission for Backward Classes (₹20 crore).	80.00	-	80.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ स्कीम के अंतर्गत विज्ञान और प्रचार के लिए।	(b) For Advertising and Publicity under the scheme Information and Mass Education Cell.	10.00	-	10.00
90. दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग	90 Department of Empowerment of Persons with Disabilities			
(i) राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक कमजोरी और अस्थि विकलांग संस्थान का विस्तार और सुधार स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और (ii) दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा / वृत्तिका (₹2.61 करोड़)।	For (i) Grants-in-aid General under the scheme Expansion and Improvement of National Institutes for the blind, deaf, mantally retarded and orthopaediacally handicapped (₹2 crore) and (ii) Scholarship/ Stipend under the scheme Scholarship of Students with Disabilities (₹2.61 crore).	4.61	-	4.61
सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
92. सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	92 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) सांख्यिकीय सुदृढीकरण हेतु सहायता के लिए क्षमता विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Capacity Development for Support for Statistical Strengthening.	6.73	-	6.73
(ख) घरेलू यात्रा खर्च के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹0.27 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹13 करोड़) आर्थिक जनगणना के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Domestic Travel Expenses (₹0.27 crore) and Professional Services (₹13 crore) for Economic Census	13.27	-	13.27
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
94. कपड़ा मंत्रालय	94 Ministry of Textiles			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) पूर्वोत्तर कपड़ा संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹30 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.30 करोड़) और (ii) सिल्क कपड़ा विकास स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹26 करोड़)।	(a) For meeting the additional requirement towards (i) Grants-in-aid General (₹30 crore) and Professional Services (₹0.30 crore) under the scheme North Eastern Textiles Promotion Schemes and (ii) Grants-in-aid General under the scheme Development of Silk Textiles (₹26 crore).	56.30	-	56.30
(ख) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) मानव संसाधन विकास- हस्तशिल्प स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़), विपणन सहायता और सेवाएं (₹5.80 करोड़) और धागा आपूर्ति स्कीम (₹0.91 करोड़), (ii) लघु निर्माण कार्य (₹0.74 करोड़) और अन्य हस्तशिल्प स्कीम योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹0.80 करोड़) और (iii) अन्य हथकरघा स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.62 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Human Resource Development-Handicraft (₹1 crore), Marketing Support and Services (₹5.80 crore) and Yarn Supply scheme (₹0.91 crore) (ii) Minor Works (₹0.74 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.80 crore) under the scheme Other Handicraft schemes and (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹3.62 crore) under the scheme Other Handloom scheme.	12.87	-	12.87
(ग) एकीकृत क्रियान्वयन विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹7 करोड़)। कामगार (₹0.34 करोड़) और चौरस कारखाना सह उष्मायित्र (₹0.47 करोड़)।	(c) For meeting additional requirement towards Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Integrated Processing Development scheme (₹7 crore), Workers (₹0.34 crore) and Flatted Factory cum Incubators (₹0.47 crore).	7.81	-	7.81

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	96 Ministry of Tribal Affairs			
(क) जनजातीय त्यौहार, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(a) For Grants-in-aid General under the scheme Tribal Festival, Research Information and Mass Education.	2.50	-	2.50
(ख) जनजातीय उपयोजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid General under the scheme Special Central Assistance to Tribal sub schemes.	7.50	-	7.50
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
97. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	97 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid General to Cauvery Water Management Authority.	2.00	-	2.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
98. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	98 Ministry of Women and Child Development			
देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For Grants-in-aid General under the scheme Welfare of Working Children in Need of Care and Protection.	2.50	-	2.50
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
99. युवा मामले और खेल मंत्रालय	99 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) (i) नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्कीमों के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹16.66 करोड़) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹2.11 करोड़) और (ii) नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹34.03 करोड़) और खेलो इंडिया स्कीम (iii) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹4.45 करोड़) तथा खेलो इंडिया स्कीम (₹90 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत अंशदान (₹71 करोड़)।	(a) For (i) Grants-in-aid General under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹16.66 crore) and National Dope Test Laboratory (₹ 2.11 crore) (ii) Grants-in-aid Salary under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹34.03 crore) and (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes National Dope Test Laboratory (₹4.45 crore) and Khelo India Scheme (₹90 crore) and (iv) Contribution under National Sports Development Fund (₹71 crore).	218.25	-	218.25
(ख) खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए।	(b) For Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Khelo India.	10.00	-	10.00
कुल सांकेतिक	Total Token	0.82	0.39	1.21
कुल योग	GRAND TOTAL	64,932.28	1,33,899.08	1,98,831.36
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	41,212.97	10,220.31	51,433.28
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	23,718.49	1,23,678.38	1,47,396.87
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.82	0.39	1.21

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE					
कल्याण मंत्रालय							
1	कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग स्वीकृत	1.	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Voted	19387.02	...	19387.02 1-2
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	2.	Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.02	...	0.02 3-4
3.	पशु पालन, डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग स्वीकृत	3.	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	201.16	0.01	201.17 5-6
आणविक ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4.	आणविक ऊर्जा स्वीकृत	4.	Atomic Energy	Voted	0.04	2375.50	2375.54 7-8
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय स्वीकृत	5.	Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	53.43	...	53.43 9-10
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
7.	उर्वरक विभाग स्वीकृत	7.	Department of Fertilisers	Voted	0.01	...	0.01 11
8.	भेषज विभाग	8.	Department of Pharmaceuticals	Voted	307.23	3.95	311.18 12
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9.	नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	9.	Ministry of Civil Aviation	Voted	0.98	...	0.98 13
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
10.	कोयला मंत्रालय	10.	Ministry of Coal	Voted	10.94	...	10.94 14
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11.	वाणिज्य विभाग स्वीकृत	11.	Department of Commerce	Voted	310.01	...	310.01 15
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग स्वीकृत	12.	Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.02	16.33	16.35 16
संचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
13.	डाक विभाग स्वीकृत	13.	Department of Posts	Voted	...	46.87	46.87 17
14.	दूरसंचार विभाग भारित	14.	Department of Telecommunications	Voted	0.01	0.01	0.02 18
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15.	उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	15.	Department of Consumer Affairs	Voted	...	0.01	0.01 19
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्वीकृत	16.	Department of Food and Public Distribution	Voted	1864.71	1000.00	2864.71 20
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18.	संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	18.	Ministry of Culture	Voted	0.02	...	0.02 21
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
19.	रक्षा मंत्रालय (विविध) भारित	19.	Ministry of Defence (Misc.)	Charged	...	2.16	2.16 22-23
	स्वीकृत			Voted	0.02	0.03	0.05
20.	रक्षा सेवाएं (राजस्व) स्वीकृत	20.	Defence Services (Revenue)	Voted	1403.97	...	1403.97 24
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय भारित	21.	Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	97.42	97.42 25
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय		MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION					
24.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय स्वीकृत	24.	Ministry of Drinking Water and Sanitation	Voted	5391.34	...	5391.34 26-27
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
25.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत	25.	Ministry of Earth Sciences	Voted	0.02	0.01	0.03 28

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
26.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	20.91	...	20.91	29
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
27.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.01	...	0.01	30
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
29.	आर्थिक कार्य विभाग	29. Department of Economic Affairs	Voted	0.04	0.03	0.07	31-32
31.	वित्तीय सेवाएं विभाग	31. Department of Financial Services	Voted	...	4500.00	4500.00	33
34.	प्रत्यक्ष कर	34. Direct Taxes	Voted	299.96	...	299.96	34
35.	अप्रत्यक्ष कर	35. Indirect Taxes	Voted	...	0.02	0.02	35
36.	भारतीय लेखा विभाग	36. Indian Audit and Accounts Department	Voted	...	25.55	25.55	36
37.	ब्याज अदायगियां	37. Interest Payments	Charged	9196.65	...	9196.65	37
38.	ऋण की अदायगी	38. Repayment of Debt	Charged	...	106594.12	106594.12	38
40.	राज्यों को अंतरण	40. Transfers to States	Charged	...	3800.84	3800.84	39
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	2916.52	1974.90	4891.42	40-43
43.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43. Department of Health Research	Voted	0.02	...	0.02	44
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
44.	भारी उद्योग विभाग	44. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	10.00	10.01	45
45.	लोक उद्यम विभाग	45. Department of Public Enterprises	Voted	1.00	...	1.00	46
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46.	गृह मंत्रालय	46. Ministry of Home Affairs	Voted	6.01	0.01	6.02	47
48.	पुलिस	48. Police	Charged	0.01	0.12	0.13	48
49.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	4611.62	0.01	4611.63	
50.	चंडीगढ़	50. Chandigarh	Voted	106.53	0.08	106.61	49-50
51.	दादरा और नगर हवेली	51. Dadra and Nagar Haveli	Voted	24.67	0.09	24.76	51-52
53.	लक्षद्वीप	53. Lakshadweep	Voted	19.86	0.01	19.87	53
54.	दिल्ली को अंतरण	54. Transfers to Delhi	Voted	0.02	...	0.02	54
55.	पुडुचेरी को अंतरण	55. Transfers to Puducherry	Voted	...	2.59	2.59	55
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
56.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	56. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	0.01	49.61	49.62	56
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57. Department of School Education and Literacy	Voted	7635.00	600.02	8235.02	57-58
58.	उच्चतर शिक्षा विभाग	58. Department of Higher Education	Voted	4762.75	...	4762.75	59-60
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	784.33	...	784.33	61-62
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	11.77	...	11.77	63
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61.	विधि और न्याय मंत्रालय	61. Law and Justice	Voted	...	1637.14	1637.14	65
62.	चुनाव आयोग	62. Election Commission	Voted	...	0.01	0.01	66
63.	भारत का उच्चतम न्यायालय	63. Supreme Court of India	Charged	7.47	...	7.47	67

मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)				
					राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय			MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	68
खान मंत्रालय			MINISTRY OF MINES						
65.	खान मंत्रालय	स्वीकृत	65.	Ministry of Mines	Voted	0.01	...	0.01	69
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय			MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
66.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	66.	Ministry of Minority Affairs	Voted	0.03	...	0.03	70
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	67.	Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.02	...	0.02	71
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	72.	Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	1364.19	...	1364.19	72
योजना मंत्रालय			MINISTRY OF PLANNING						
73.	योजना मंत्रालय		73.	Ministry of Planning	Voted	0.01	...	0.01	73
विद्युत मंत्रालय			MINISTRY OF POWER						
74.	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	74.	Ministry of Power	Voted	2850.00	900.00	3750.00	74-75
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय			THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT						
75.	राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद आवास और भत्ते	भारित	75.	Staff, Household and Allowances of the President	Charged	0.42	...	0.42	76
77.	राज्य सभा	स्वीकृत	77.	Rajya Sabha	Voted	23.37	...	23.37	77
रेल मंत्रालय			MINISTRY OF RAILWAYS						
80.	रेल मंत्रालय	भारित	80.	Ministry of Railways	Charged	46.00	191.65	237.65	78
		स्वीकृत			Voted	...	0.01	0.01	
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय			MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
81.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	81.	Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.02	9683.50	9683.52	79-80
ग्रामीण विकास मंत्रालय			MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
82.	ग्रामीण विकास विभाग		82.	Department of Rural Development	Voted	0.02	...	0.02	81
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY						
84.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	84.	Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	82
85.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85.	Department of Biotechnology	Voted	0.02	...	0.02	83
86.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	86.	Department of Scientific and Industrial Research	Voted	0.01	...	0.01	84
पोत परिवहन मंत्रालय			MINISTRY OF SHIPPING						
87.	पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	87.	Ministry of Shipping	Voted	0.01	125.00	125.01	85-86
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय			MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP						
88.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	स्वीकृत	88.	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.03	...	0.03	87
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT						
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	89.	Department of Social Justice and Empowerment	Voted	80.02	...	80.02	88
90.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	स्वीकृत	90.	Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	17.74	...	17.74	89

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
91. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	91. Department of Space	Voted	168.07	248.47	416.54	90-91
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.02	...	0.02	92
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
93. इस्पात मंत्रालय		93. Ministry of Steel	Voted	1.24	...	1.24	93
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
94. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Textiles	Voted	0.03	13.00	13.03	94-95
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	भारित	96. Ministry of Tribal Affairs	Charged	20.00	...	20.00	96
	स्वीकृत		Voted	0.02	...	0.02	
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION					
97. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.01	...	0.01	97
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
98. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.01	...	0.01	98
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
99. युवा मामले और खेल मंत्रालय		99. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.02	...	0.02	99
कुल जोड़		GRAND TOTAL		64932.28	133899.08	198831.36	
	भारित		Charged	9270.55	110686.31	119956.86	
	स्वीकृत		Voted	55661.73	23212.77	78874.50	
अनुबंध		ANNEXURE					100-103

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	46586.30
पूंजी	Capital	...	113.70
जोड़	Total	...	46700.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	1791.67
पूंजी	Capital	...	0.01
जोड़	Total	...	1791.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	19387.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	19387.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	67878.70
राजस्व	Revenue	...	67764.99
पूंजी	Capital	...	113.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	18000.00	(क) 18000.00
2425-सहकारिता	2425-Co-operation	...	0.01	(ख) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	1387.01	(ग) 1387.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	19387.02	19387.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) (i) पादप किस्म का संरक्षण और किसानों का अधिकार प्राधिकरण के अंतर्गत पूंजीगत अस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.27 करोड़)।
- (ii) बीज एवं पौध रोपण सामग्री पर उपमिशन के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 17 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना घटक (₹ 3.71 करोड़) के लिए पूंजीगत अस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।
- (iii) राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.13 करोड़)।
- (iv) कृषि संगणना और सांख्यिकी पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत पेंशन के बकायों के भुगतान के लिए कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र को सामान्य सहायता अनुदान ₹ 4.50 करोड़)।
- (v) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (₹ 5.30 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (₹ 79.31 करोड़) के लिए विशेष घटक योजना हेतु अतिरिक्त अंशदान।
- (vi) एमआईएस/पीएसएस के कार्यान्वयन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (₹ 298.80 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (₹ 154.80 करोड़) के लिए विशेष घटक योजना हेतु 'सब्सिडियां'।
- (vii) प्रधानमंत्री अन्न दाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) स्कीम के अंतर्गत निजी अधिप्राप्ति और स्टॉकिस्ट स्कीम (पीपीएसएस) के तहत 'सब्सिडियां' (₹ 1 करोड़)।
- (viii) कृषि विस्तार पर उप-मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगना घटक के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 4.98 करोड़)।
- (ix) बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगना घटक के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14.18 करोड़)।
- (x) आय सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 13464 करोड़), एससीएसपी (₹ 2988 करोड़) और टीएसपी (₹ 1548 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants for creation of Capital Assets under Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights Authority (₹ 2.27 crore).
- (ii) Grants for creation of Capital Assets for General Component (₹ 17 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹ 3.71 crore) under Sub-Mission on Seeds and Planting Material.
- (iii) Grants-in-aid General under National Bamboo Mission (₹ 5.13 crore).
- (iv) Grants-in-aid General to Agro-Economic Research Centre for payment of arrears of pension under Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics (₹ 4.50 crore).
- (v) additional contribution for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 5.30 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 79.31 crore) under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna.
- (vi) Subsidies for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 298.80 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 154.80 crore) under Implementation of MIS/PSS .
- (vii) Subsidies under Private Procurement and Stockist Scheme (PPSS) under the scheme of Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) (₹ 1 crore).
- (viii) Advertisement and Publicity under Tribal Area Sub-Plan Component under Sub-Mission on Agriculture Extension (₹ 4.98 crore).
- (ix) Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan component under Mission for Integrated Development of Horticulture (₹ 14.18 crore).
- (x) Grants-in-aid General for General Component (₹ 13464 crore), SCSP (₹ 2988 crore) and TASP (₹ 1548 crore) under Income Support Scheme.

(ख)	<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 18000 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p> <p>कृषि सहयोग पर एकीकृत स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के घाटे को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 14.68 करोड़)।</p>	(b)	<p>Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 18000 crore..</p> <p>Grants-in-aid General for meeting deficit of National Council for Cooperative Training under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (₹ 14.68 crore).</p>
(ग)	<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>	(c)	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(i)	<p>कृषि विस्तार पर उप-मिशन के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 5 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़)।</p>	(i)	<p>Advertisement and Publicity (₹ 5 crore) and Grants-in-aid General (₹ 5 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension.</p>
(ii)	<p>बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8.52 करोड़)।</p>	(ii)	<p>Grants-in-aid-General under Mission for Integrated Development of Horticulture (₹ 8.52 crore).</p>
(iii)	<p>एमआईएस/पीएसएस के कार्यान्वयन के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 149.60 करोड़), अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹ 33.20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता घटक (₹ 17.20 करोड़) के लिए 'सब्सिडियां'।</p>	(iii)	<p>Subsidies for General Component (₹ 149.60 crore), Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 33.20 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹ 17.20 crore) under Implementation of MIS/PSS .</p>
(iv)	<p>कल्याण स्कीमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों का वितरण के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 41.14 करोड़), अनुसूचित जाति घटक के लिए विशेष घटक योजना (₹ 9.13 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता घटक (₹ 4.74 करोड़) के लिए 'सब्सिडियां'।</p>	(iv)	<p>Subsidies for General Component (₹ 41.14 crore), Special Component Plan for Scheduled Caste Component (₹ 9.13 crore) and Tribal Area Sub-Plan Component (₹ 4.74 crore) under Distribution of Pulses to State/Union territories for Welfare Schemes .</p>
(v)	<p>आय सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 1496 करोड़), एससीएसपी (₹ 332 करोड़) और टीएसपी (₹ 172 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।</p>	(v)	<p>Grants-in-aid General for General Component (₹ 1496 crore), SCSP (₹ 332 crore) and TASP (₹ 172 crore) under Income Support Scheme.</p>
	<p>अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 78.69 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें ₹ 1308.32 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p>		<p>Taking into account the surrender of savings of ₹ 78.69 crore available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1308.32 crore.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 2
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग**

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	7800.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	7800.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	152.74
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	152.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7952.76
राजस्व	Revenue	...	7952.76
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.02	0.02
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2415-Agricultural Research and Education	...	0.01	0.01
2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01
Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) (i) मुख्यालय प्रशासन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 269.65 करोड़)।
- (ii) मुख्यालय प्रशासन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 40.81 करोड़)।
- (iii) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय का संघ को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 0.40 करोड़)।
- (iv) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बुंदेलखंड और पूसा में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 41.76 करोड़)।
- (v) अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह को भारत के सदस्यता योगदान के तहत योगदान प्रदान करना (₹ 0.64 करोड़)।
- (vi) एशिया प्रशांत में एक्वाकल्चर केन्द्र (एनएसीए) का नेटवर्क के तहत अंशदान प्रदान करना (₹ 0.02 करोड़)।
- (vii) फसल विज्ञान संस्थान अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 36.88 करोड़)।
- (viii) फसल विज्ञान संस्थान अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 17.23 करोड़)।
- (ix) बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 11.30 करोड़)।
- (x) बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 2.46 करोड़)।
- (xi) कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध करना (₹ 10.11 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Headquarter Administration (₹ 269.65 crore).
- (ii) Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research Headquarter Administration (₹ 40.81 crore).
- (iii) Grants-in-aid General to National Academy of Agricultural Sciences and Indian Agricultural Universities Association (₹ 0.40 crore).
- (iv) Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural Universities at Bundelkhand and Pusa (₹ 41.76 crore).
- (v) Contributions under India's Membership Contribution to Consultative Group on International Agricultural Research (₹ 0.64 crore).
- (vi) Contributions under 'Network of Aquaculture Centre in Asia Pacific' (₹ 0.02 crore).
- (vii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Crop Science Institutes Research and Education Schemes (₹ 36.88 crore).
- (viii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Crop Science Institutes Research and Education Schemes (₹ 17.23 crore).
- (ix) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 11.30 crore).
- (x) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Horticulture Institutes, Research and Education Schemes (₹ 2.46 crore).
- (xi) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes (₹ 10.11 crore).

(xii)	कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 6.95 करोड़)।	(xii)	Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes (₹ 6.95 crore).
(xiii)	कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 21.72 करोड़)।	(xiii)	Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes (₹ 21.72 crore).
(xiv)	कृषि शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 21.90 करोड़)।	(xiv)	Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes (₹ 21.90 crore).
(xv)	कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 2.15 करोड़)।	(xv)	Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Economics & Statistics Institutes, Research and Education Schemes (₹ 2.15 crore).
(xvi)	कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 0.15 करोड़)।	(xvi)	Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under scheme Agricultural Economics & Statistics Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.15 crore).
(xvii)	कृषि अभियांत्रिकी संस्थानों, अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 4.17 करोड़)।	(xvii)	Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes (₹ 4.17 crore).
(xviii)	कृषि अभियांत्रिकी संस्थानों, अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 0.77 करोड़)।	(xviii)	Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes (₹ 0.77 crore).
(xix)	कृषि में मूलभूत, नीतिगत एवं अग्रणी अनुसंधान उपयोग पर राष्ट्रीय निधि के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.93 करोड़)।	(xix)	Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic & Frontier Application Research in Agriculture (₹ 1.93 crore).
(xx)	कृषि में मूलभूत, नीतिगत एवं अग्रणी अनुसंधान उपयोग पर राष्ट्रीय निधि के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 2.28 करोड़)।	(xx)	Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under National Fund for Basic, Strategic & Frontier Application Research in Agriculture (₹ 2.28 crore).
(xxi)	कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं सहित अन्य प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएँ के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 8.95 करोड़)।	(xxi)	Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 8.95 crore).
(xxii)	कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं सहित अन्य प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएँ के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 3.35 करोड़)।	(xxii)	Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Scheme (₹ 3.35 crore).
(xxiii)	जलवायु अनुकूल कृषि पहल के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (₹ 2.88 करोड़)।	(xxiii)	Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Climate Resilient Agriculture Initiative (₹ 2.88 crore).
(xxiv)	जलवायु अनुकूल कृषि पहल के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 0.79 करोड़)।	(xxiv)	Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Climate Resilient Agriculture Initiative (₹ 0.79 crore).
(xxv)	पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएँ जिनमें डेयरी अनुसंधान संस्थान और योजनाएँ शामिल हैं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 18.31 करोड़)।	(xxv)	Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes & Schemes (₹ 18.31 crore).
(xxvi)	पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएँ जिनमें डेयरी अनुसंधान संस्थान और योजनाएँ शामिल हैं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 5.68 करोड़)।	(xxvi)	Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes & Schemes (₹ 5.68 crore).
(xxvii)	मत्स्यकी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 8.70 करोड़)।	(xxvii)	Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Fisheries Institutes, Research and Education Schemes (₹ 8.70 crore).
(xxviii)	मत्स्यकी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 2.28 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।	(xxviii)	Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Fisheries Institutes, Research and Education Schemes (₹ 2.28 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i)	आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 3.44 करोड़)।	(b) (i)	Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research under scheme ICAR Headquarter Administration (₹ 3.44 crore).
(ii)	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 60.14 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(ii)	Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural Universities Imphal (₹ 60.14 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 4 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	3536.11	3536.11
पूंजी	Capital	43.89	43.89
जोड़	Total	3580.00	3580.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	0.02	0.02
पूंजी	Capital	0.01	0.01
जोड़	Total	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	201.16	201.16
पूंजी	Capital	0.01	0.01
जोड़	Total	201.17	201.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3781.20	3781.20
राजस्व	Revenue	3737.29	3737.29
पूंजी	Capital	43.91	43.91

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	201.14	(का) 201.14
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development	0.01	(खb) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	201.16	201.16
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	0.01	(घd) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	201.17	201.17

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	पशु स्वास्थ्य संस्थान स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़)।	(a)	(i)	Grants-in-aid General for the scheme Animal Health Institute (₹ 2.50 crore).
	(ii)	पशुपालन अवसंरचना विकास कोष स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 0.75 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना घटक (₹ 0.17 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 0.90 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।		(ii)	Grants-in-aid General for General Component (₹ 0.75 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹ 0.17 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹ 0.90 crore) under the scheme of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund.
	(iii)	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.24 करोड़)।		(iii)	Grants-in-aid Salaries to Veterinary Council of India (₹ 0.24 crore).
	(iv)	राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्कीम के तहत सामान्य घटक (₹ 321.42 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना घटक (₹ 62.72 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 37.55 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।		(iv)	Grants-in-aid General for General Component (₹ 321.42 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹ 62.72 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹ 37.55 crore) under the scheme of Rashtriya Gokul Mission.
		अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 28.13 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, और अनुदान के इसी भाग के भीतर बचतों का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त व्यय के अंतर्गत ₹ 173.01 करोड़ का नकद खर्च होगा।			Taking into account the surrender of savings of ₹ 28.13 crore available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 173.01 crore..
(ख)		सामान्य घटक (₹ 1.92 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना घटक (₹ 0.42 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 0.22 करोड़) के अंतर्गत राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों को सामान्य सहायता अनुदान।	(b)		Grants-in-aid General to State Cooperative Dairy Federations under General Component (₹ 1.92 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹ 0.42 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹ 0.22 crore)..
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)		राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्कीम के तहत सामान्य घटक (₹ 37 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना घटक (₹ 9 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक (₹ 4 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।	(c)		Grants-in-aid General for General Component (₹ 37 crore), Scheduled Caste Sub Plan Component (₹ 9 crore) and Tribal Area Sub Plan Component (₹ 4 crore) under the scheme of Rashtriya Gokul Mission.

- (घ) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य संस्थानों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1.44 करोड़)।
- (d) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
meeting additional expenditure on Major Works for Animal Health Institutes (₹ 1.44 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

**परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	1.00	13928.15
पूंजी	Capital	0.50	7588.73
जोड़	Total	1.50	21516.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	0.04
पूंजी	Capital	9.50	0.04
जोड़	Total	9.50	0.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.04
पूंजी	Capital	...	2375.50
जोड़	Total	...	2375.54
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11.00	23892.50
राजस्व	Revenue	1.00	13928.23
पूंजी	Capital	10.00	9964.27

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01 (ख)
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (ग)
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	0.01 (घ)
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01 (ङ)
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	0.01 (च)
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	2375.48 (छ)
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	2375.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2375.54

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई सचिवालय) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.06 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Meeting additional expenditure (₹ 0.06 crore) towards Grant-in-aid General for Department of Atomic Energy(DAE Secretariat). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	राजस्थान परमाणु बिजली घर (आरएपीएस) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.17 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Meeting additional expenditure (₹ 0.17 crore) towards Grant-in-aid General for Rajasthan Atomic Power Station (RAPS). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1.17 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Meeting additional expenditure (₹ 1.17 crore) towards Grant-in-aid General for Bhabha Atomic Research Centre(BARC). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	सामान्य सेवा संगठन के लिए सामान्य-सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 7 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Meeting additional expenditure (₹ 7 crore) towards Grant-in-aid General for General Service Organisation. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) के लिए मशीनरी एवं उपकरण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.33 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	Meeting additional expenditure (₹ 0.33 crore) towards Machinery and Equipments for Bhabha Atomic Research Centre(BARC). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (च) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर) के लिए मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.14 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (f) Meeting additional expenditure (₹ 0.14 crore) under Machinery & Equipment for Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (छ) सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक (सीएएए) की बहियों में रूसी क्रेडिट के बकाए भुगतान हेतु भारतीय नाभिकीय बिजली निगम लि. (एनपीसीआईएल) को ऋण पूरा करने के लिए (₹ 3000 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 556.77 करोड़ की बजट के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1818.71 करोड़ का नकद व्यय होगा। (g) Meeting loans to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹ 3000 crore) towards outstanding payment of Russian Credit in the books of Controller of Aid, Accounts & Audit (CAAA). Taking into account savings available in the same section of the grant and taking into account the surrender of saving of ₹ 556.77 crore available in the Revenue Section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1818.71 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 5 of the First Supplementary

Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 7 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित	स्वीकृत	जोड़
	Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	2107.10
पूंजी	Capital	...	23.70
जोड़	Total	...	2130.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	30.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	30.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	53.43
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	53.43
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2214.25
राजस्व	Revenue	...	2190.55
पूंजी	Capital	...	23.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	53.40	(क) a	53.40
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) b	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ग) c	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(घ) d	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	53.43		53.43

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन (₹ 2.70 करोड़), (2) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (₹ 2.28 करोड़), (3) राष्ट्रीय आयुष मिशन (नाम) (₹ 4.28 करोड़), (4) आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर (₹ 1 करोड़), (5) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर (₹ 2 करोड़), (6) केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (₹ 2.28 करोड़), (7) राष्ट्रीय युनानी औषधि संस्थान, बेंगलुरु (₹ 1 करोड़), (8) केन्द्रीय युनानी औषधि अनुसंधान परिषद (₹ 0.50 करोड़), (9) केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद (₹ 0.50 करोड़) और (10) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹ 2 करोड़) और (ii) योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (₹ 3.46 करोड़), (2) केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद (₹ 8.54 करोड़), (3) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (₹ 1.56 करोड़), (4) केन्द्रीय युनानी औषधि अनुसंधान परिषद (₹ 15 करोड़) और (5) केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए अनुदान (₹ 30.36 करोड़)।</p> <p>अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 17 करोड़ की वचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें ₹ 36.40 करोड़ नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) (i) Grant-in-Aid-General, under the scheme (1) Promotion of International Cooperation (₹ 2.70 crore), (2) All India Institute of Ayurveda (₹ 2.28 crore), (3) National AYUSH Mission(NAM) (₹ 4.28 crore), (4) Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar (₹ 1 crore), (5) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 2 crore), (6) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 2.28 crore), (7) National Institute of Unani Medicine, Bangalore (₹ 1 crore), (8) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 0.50 crore), (9) Central Council for Research in Siddha (₹ 0.50 crore) and (10) National Institute of Homoeopathy, Kolkatta (₹ 2 crore) and (ii) Grant in Aid Salary under the scheme (1) Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 3.46 crore), (2) Central Council for Research in Siddha (₹ 8.54 crore), (3) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (₹ 1.56 crore), (4) Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 15 crore) and (5) Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 30.36 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings of ₹ 17 crore in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 36.40 crore.</p> |
| <p>(ख) (i) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) एनएएम (₹ 7.72 करोड़), और (2) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹ 1.62 करोड़), (ii) योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान (1) नाम (₹ 17.20 करोड़) और (2) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹ 0.70 करोड़) और (iii) योजना के अंतर्गत वेतन अनुदान सहायता - पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग (₹ 2.40 करोड़)।</p> | <p>(b) (i) Grants in Aid General, under the scheme (1) NAM (₹ 7.72 crore), and (2) North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong (₹ 1.62 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme (1) NAM (₹ 17.20 crore) and (2) North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong (₹ 0.70 crore) and (iii) Grant-in-aid Salary under the scheme North-Eastern Institute of Ayurveda & Homeopathy, Shillong (₹ 2.40 crore).</p> |

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) एनएएम योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 11.72 करोड़)। (c) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) एनएएम योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.78 करोड़)। (d) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grant-in-aid General under the scheme NAM (₹ 11.72 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grant-in-aid General under the scheme NAM (₹ 1.78 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	73485.35	73485.35
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	73485.39	73485.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2.00	2.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2.00	2.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	73487.40	73487.40
राजस्व	Revenue	...	73487.36	73487.36
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

यूरिया के आयात हेतु भुगतान (₹ 5200 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

payment of Import of Urea (₹ 5200 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	261.47	261.47
पूंजी	Capital	...	0.06	0.06
जोड़	Total	...	261.53	261.53
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	7.00	7.00
जोड़	Total	...	7.00	7.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	307.23	307.23
पूंजी	Capital	...	3.95	3.95
जोड़	Total	...	311.18	311.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	579.71	579.71
राजस्व	Revenue	...	568.70	568.70
पूंजी	Capital	...	11.01	11.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>		जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries	...	307.23	(क) a	307.23
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	...	3.95	(ख) b	3.95
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	311.18		311.18

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल), पुणे को सरकारी ऋण और व्याज की कुल राशि को बट्टे खाते डालना (दिनांक 30.09.2017 को आकलित मूलधन ₹ 186.96 करोड़ + व्याज ₹ 120.27 करोड़) (ii) कलस्टर विकास उप योजना के अंतर्गत भेषज उद्योग का विकास (₹ 4.00 करोड़)।	(a)	(i) writing off the total amount of Government loan and interest to Hindustan Antibiotics Limited(HAL), Pune (Principal ₹ 186.96 crore + Interest ₹ 120.27 crore calculated as on 30.9.2017) (ii) for Development of Pharmaceutical Industry under Sub Scheme Cluster Development (₹ 4.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और ₹ 307.23 करोड़ की समतुल्य प्राप्तियों को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant and matched by equivalent receipts of ₹ 307.23 crore, this will not entail cash outgo.
(ख)	लेखा परीक्षा की आपत्ति को हटाने के लिए राजस्थान औषधि और भेषज लिमिटेड (₹ 3.95 करोड़)।	(b)	Loan to Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (₹ 3.95 crore).
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9
नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 9 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5881.86	5881.86
पूंजी	Capital	...	721.00	721.00
जोड़	Total	...	6602.86	6602.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	798.34	798.34
पूंजी	Capital	...	3278.80	3278.80
जोड़	Total	...	4077.14	4077.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.98	0.98
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.98	0.98
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10680.98	10680.98
राजस्व	Revenue	...	6681.18	6681.18
पूंजी	Capital	...	3999.80	3999.80
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.98	0.98
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	(-)0.98	(-)0.98

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विद्युत चालित गोल्फ गाड़ियों की खरीद (₹ 0.98 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

purchase of electric Golf Carts for senior citizens at airports under Airport Authority of India (₹ 0.98 crore).

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	770.91	770.91
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	770.91	770.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10.94	10.94
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	10.94	10.94
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	781.85	781.85
राजस्व	Revenue	...	781.85	781.85
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	10.93	(ख) 10.93
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	10.94	10.94

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(II)	(I) 'अनुसंधान और विकास' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(II)	Grants-in-Aid General under the scheme of 'Research and Development' (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(I)	(I) (i) 'अनुसंधान और विकास' स्कीम के अंतर्गत (₹ 13.50 करोड़) और (ii) 'कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण' स्कीम की उप-स्कीम 'व्यापक ड्रिलिंग' (₹ 37.36 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 39.93 करोड़ की बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 10.93 करोड़ का सकल व्यय होगा।	(b)	(I)	Grants-in-Aid General under (i) the scheme 'Research and Development' (₹ 13.50 crore) and (ii) sub-scheme 'Detailed Drilling' of the scheme 'Exploration of Coal and Lignite' (₹ 37.36 crores); Taking into account the savings of ₹ 39.93 available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 10.93 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:					
राजस्व	Revenue	...	4741.70		4741.70
पूंजी	Capital	...	510.00		510.00
जोड़	Total	...	5251.70		5251.70
I. ORIGINAL GRANT:					
SUPPLEMENTARY GRANT:					
राजस्व	Revenue	...	643.61		643.61
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	643.61		643.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:					
Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	...	310.01		310.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	310.01		310.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6205.32		6205.32
राजस्व	Revenue	...	5695.32		5695.32
पूंजी	Capital	...	510.00		510.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total	
राजस्व भाग					
REVENUE SECTION					
MAJOR HEAD					
मुख्य शीर्ष					
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	0.01	(क)	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	310.00	(ख)	310.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	310.01		310.01

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) 'चाय बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सस्मिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.77 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) 'व्याज समकरण योजना' स्कीम के अंतर्गत सस्मिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 100.00 करोड़), (ii) 'शुल्क वापसी स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सस्मिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 210.00 करोड़), (iii) 'विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन' स्कीम के अंतर्गत पुंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 10.00 करोड़), (iv) 'बाजार पहुँच पहल' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 20.00 करोड़) और (v) 'परियोजना विकास निधि' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.90 करोड़)।
- अनुदान के पुंजी भाग में उपलब्ध ₹ 10.00 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, इसमें ₹ 300.00 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting the additional requirement for subsidies under the scheme 'Tea Board' (₹ 3.77 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting the additional requirement for Subsidies under the scheme 'Interest Equalization Scheme' (₹ 100.00 crores), (ii) Meeting additional requirement for Subsidies under the scheme 'Duty Drawback Scheme' (₹ 210.00 crores), (iii) Meeting the additional requirement for Grants for creation of capital assets under the scheme 'Foreign Trade and Export Promotion' (₹ 10.00 crores), (iv) Meeting the additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Market Access Initiative' (₹ 20.00 crore) and (v) Meeting the additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Project Development Fund' (₹ 0.90 crore).
Taking into account the surrender of savings of ₹ 10.00 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilizing the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 300.00 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5430.56	5430.56
पूंजी	Capital	...	709.67	709.67
जोड़	Total	...	6140.23	6140.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	16.33	16.33
जोड़	Total	...	16.35	16.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6156.61	6156.61
राजस्व	Revenue	...	5430.61	5430.61
पूंजी	Capital	...	726.00	726.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (क) (क)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (ख) (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	16.33 (ग) (ग)	16.33
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	16.35	16.35

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) 'परिवहन/भाड़ा सब्सिडी योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 295.78 करोड़), (ii) 'स्वायत्त संस्थाओं को सहायता' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.07 करोड़) और (iii) 'स्वायत्त संस्थाओं को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.05 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(i) Meeting additional requirement for subsidies under the scheme 'Transport/Freight Subsidy Scheme' (₹ 295.78 crore), (ii) Meeting additional requirement for Grants-in-aid Salaries under the scheme 'Support to Autonomous Institutions' (₹ 0.07 crore) and (iii) Meeting additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Support to Autonomous Institutions' (₹ 0.05 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) 'औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईएलडीपी)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.53 करोड़), (ii) 'स्वायत्त संस्थाओं को सहायता' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 8.00 करोड़), और (iii) 'व्यापार करने की सुगमता (ई-बिज)' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	(i) Meeting additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (ILDP)' (₹ 0.53 crore), (ii) Meeting additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Support to Autonomous Institutions' (₹ 8.00 Crores) and (iii) Meeting additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme 'Ease of Doing Business (E-Biz) Project' (₹ 5.00 Crores). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	'बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 16.33 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	Meeting additional requirement for Major Works under the scheme 'Modernization and Strengthening of Intellectual Property Offices' (₹ 16.33 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	28514.24	28515.04
पूंजी	Capital	...	757.52	757.52
जोड़	Total	0.80	29271.76	29272.56
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	2.29	600.00	602.29
पूंजी	Capital	...	20.00	20.00
जोड़	Total	2.29	620.00	622.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	46.87	46.87
जोड़	Total	...	46.87	46.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3.09	29938.63	29941.72
राजस्व	Revenue	3.09	29114.24	29117.33
पूंजी	Capital	...	824.39	824.39

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	...	0.01	(क) 0.01
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	46.86	(ख) 46.86
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	46.87	46.87

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी के समाहन और आधुनिकीकरण के अंतर्गत मेल आफिस हार्डवेयर और रूरल हार्डवेयर गतिविधि के तहत ₹ 42.52 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) भारतीय डाक भुगतान बैंक में पूंजी निवेश के रूप में ₹ 150 करोड़ मुहैया कराना। अनुदान में उपलब्ध बचतों को देखते हुए ₹ 46.86 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।
इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 42.52 crore under the activity 'Supply of Mail Office Hardware and Rural Hardware' under IT induction and modernisation.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing ₹ 150 crore as capital investment in India Post Payments Bank. Taking into account savings available within the grant, a technical supplementary for ₹ 46.86 crore is sought.
This will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	33052.53	33052.53
पूंजी	Capital	...	5002.75	5002.75
जोड़	Total	...	38055.28	38055.28
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	78.82	...	78.82
पूंजी	Capital	...	751.00	751.00
जोड़	Total	78.82	751.00	829.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	78.82	38806.30	38885.12
राजस्व	Revenue	78.82	33052.54	33131.36
पूंजी	Capital	...	5753.76	5753.76

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड से बकाया ₹ 983.18 करोड़ ऋण की माफी और ₹ 427.68 करोड़ ब्याज की माफी के लिए। चूंकि यह अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों के बराबर होगी, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए ₹ 2500 करोड़ जो रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क पर व्यय को वित्तपोषित करेगा। चूंकि यह अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के समतुल्य बचतों के बराबर होगी, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) waiver of interest of ₹ 427.68 crore and write-off of loan for ₹ 983.18 crore outstanding against Bharat Sanchar Nigam Limited. As this will be matched by equivalent savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought;

(b) for transfer of ₹ 2500 crore to Central Road and Infrastructure Fund, which will finance the expenditure on Optical Fibre Cable based network for Defence Services. As this will be matched by equivalent savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1755.93	1755.93
पूंजी	Capital	...	48.59	48.59
जोड़	Total	...	1804.52	1804.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1804.55	1804.55
राजस्व	Revenue	...	1755.95	1755.95
पूंजी	Capital	...	48.60	48.60

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

‘मशीनरी और उपस्कर’ के अंतर्गत ‘कालांतर में नष्ट’ स्कीम के लिए अतिरिक्त व्यय की राशि का निर्गम (₹ 22.27 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

additional expenditure for Machinery and Equipment under the scheme of Dissemination of Time (₹ 22.27 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14-15 देखिये)

(See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 14-15 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	173735.00	173735.00
पूंजी	Capital	...	50424.10	50424.10
जोड़	Total	...	224159.10	224159.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1383.41	1383.41
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	1383.44	1383.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1864.71	1864.71
पूंजी	Capital	...	1000.00	1000.00
जोड़	Total	...	2864.71	2864.71
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	228407.25	228407.25
राजस्व	Revenue	...	176983.12	176983.12
पूंजी	Capital	...	51424.13	51424.13

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	1864.71	(क) a	1864.71
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	1000.00	(ख) b	1000.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2864.71		2864.71

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सन्निडी (₹ 1975.00 करोड़)।
- (ii) 2017-18 के मौसम के लिए चीनी मिलों को सहायता हेतु स्कीम अंतर्गत सन्निडियां (₹ 70 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वक्तों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1864.71 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश (₹ 1000 करोड़)।
- इसमें ₹ 1000 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) food subsidy to Food Corporation of India under National Food Security Act (₹ 1975 crore).
- (ii) subsidies under the scheme for Assistance to Sugar Mills for 2017-18 Season (₹ 70 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1864.71 crore..
- (b) investment in the equity capital of Food Corporation of India (₹ 1000 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1000 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2764.28	2764.28
पूंजी	Capital	...	79.04	79.04
जोड़	Total	...	2843.32	2843.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	176.33	176.33
जोड़	Total	...	176.37	176.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3019.71	3019.71
राजस्व	Revenue	...	2764.34	2764.34
पूंजी	Capital	...	255.37	255.37
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) (i) संग्रहालयों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.25 करोड़) तथा (ii) (1) संग्रहालयों को सहायता (₹ 5.45 करोड़) और (2) शताब्दियां और वर्षगांठ समारोह (₹ 15 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) शताब्दियां और वर्षगांठ समारोह स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 21.09 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grant-in-aid General under the scheme Support to Museums (₹ 1.25 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) Support to Museums (₹ 5.45 crore) and (2) Centenary and Anniversary Celebration (₹ 15 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Centenary and Anniversary Celebration (₹ 21.09 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC.)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22-23 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 22-23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	0.76	28457.28
पूंजी	Capital	35.00	6616.73
जोड़	Total	35.76	35074.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	1057.84
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1057.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.02
पूंजी	Capital	2.16	0.03
जोड़	Total	2.16	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	37.92	36131.90
राजस्व	Revenue	0.76	29515.14
पूंजी	Capital	37.16	6616.76

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>		जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(क)	0.01
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	0.01	(ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	2.16	(ग)	0.01	(घ)
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(ङ)	0.01
6858-अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industries	...	0.01	(च)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	2.16	0.03		2.19
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	2.16	0.05		2.21

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)1080.00	(-)1080.00
--	--	-----	------------	------------

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) व्यापक पेंशन पैकेज संबंधी रक्षा लेखा विभाग (₹ 20 करोड़), रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत कैंट बोर्ड में स्वच्छता कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन (₹ 10 करोड़) और सीमा सड़क संगठन का स्थापना संबंधी व्यय (₹ 146 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) आपूर्ति और सामग्री (₹ 70 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹ 178.90 करोड़) तथा व्यय के स्थापना संबंधी शीर्षों के अंतर्गत अपेक्षित ₹ 300 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure of Defence Accounts Department on comprehensive pension package (₹ 20 crore), implementation of Swachhta Action Plan in Cantonment Boards under Defence Estate Organisation (₹ 10 crore) and establishment related expenditure (₹ 146 crore) of Border Roads Organisation; Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) additional expenditure of ₹ 300 crore required under supplies and materials (₹ 70 crore), minor works (₹ 178.90 crore) and establishment related heads of expenditure;

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ग)	पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में भूमि अधिग्रहण के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting charged expenditure arising out of court orders for land acquisition in Port Blair, Andaman and Nicobar Islands. Taking into account the surrender of savings available in the voted section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(घ)	तट रक्षक संगठन के लिए पानी के जहाज, हवाई जहाज और नौसेना वेडों की खरीद के लिए ₹ 40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	meeting additional expenditure of ₹ 40 crore towards acquisition of Ships, Aircrafts and Fleets for Coast Guard Organisation. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को ₹ 1,080 करोड़ की अतिरिक्त राशि का अंतरण। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	transferring an additional amount of ₹ 1,080 crore to Central Road and Infrastructure Fund; Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	अपनी बकाया देयताओं का निपटान करने के लिए मैसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को ₹ 169 करोड़ का ऋण प्रदान करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	providing a loan of ₹ 169 crore to M/s. Hindustan Shipyard Limited for discharging its outstanding liabilities. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	107.46	205018.34	205125.80
पूंजी	Capital
जोड़	Total	107.46	205018.34	205125.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1400.00	1400.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1400.00	1400.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1403.97	1403.97
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1403.97	1403.97
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	107.46	207822.31	207929.77
राजस्व	Revenue	107.46	207822.31	207929.77
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	1058.21 (का)	1058.21
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	144.17 (खb)	144.17
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development	...	201.59 (गc)	201.59
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1403.97	1403.97

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (₹ 0.50 करोड़), जवाहर पर्वतारोहण संस्थान (₹ 5.29 करोड़), और राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं संबद्ध क्रीड़ा संस्थान (₹ 1.06 करोड़) को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए प्रावधान सहित वेतन (₹ 1156.46 करोड़), परिवहन (₹ 400 करोड़), निरीक्षण (₹ 42.76 करोड़), भंडार (₹ 431.33 करोड़) तथा व्यय (₹ 165.84 करोड़) के लिए ₹ 2196.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, ₹ 1058.21 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के भारित भाग के अंतर्गत ₹ 9.06 करोड़ की बचत को देखते हुए, इसमें ₹ 1049.15 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(a)	meeting additional expenditure of ₹ 2,196.39 crore for salaries (₹ 1,156.46), transportation (₹ 400 crore), inspection (₹ 42.76 crore), stores (₹ 431.33 crore) and other expenditure (₹ 165.84 crore) including provision for additional grants in aid to Nehru Institute of Mountaineering (₹ 0.50 crore), Jawahar Institute of Mountaineering (₹ 5.29 crore) and National Institute of Mountaineering and Allied Sports (₹ 1.06 crore); Taking into account the savings available in the same section of the grant, supplementary for the balance amount of ₹ 1,058.21 crore is sought. Considering the saving of ₹ 9.06 crore under charged section of the grant, this will entail ₹ 1,049.15 crore as cash outgo;
(ख)	वेतन (₹ 302.26 करोड़), परिवहन (₹ 5 करोड़), मरम्मत और पुनर्सज्जा (₹ 250 करोड़), भंडार (₹ 235 करोड़), संयुक्त स्टाफ (₹ 51.01 करोड़) तथा अन्य व्यय (₹ 80.02 करोड़) के अंतर्गत ₹ 923.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, ₹ 144.17 करोड़ का पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।	(b)	meeting additional expenditure of ₹ 923.29 crore under salaries (₹ 302.26 crore), transportation (₹ 5 crore), repairs and refits (₹ 250 crore), stores (₹ 235 crore), Joint Staff (₹ 51.01 crore) and other expenditure (₹ 80.02 crore); Taking into account savings available in same section of the grant, supplementary for ₹ 144.17 crore is sought. This will entail cash outgo.
(ग)	सिविल कार्मिकों के वेतन और भत्तों (₹ 101.79 करोड़), निर्माण कार्य (₹ 60 करोड़) तथा अन्य व्यय (₹ 39.80 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	meeting additional expenditure under pay and allowances of civilian staff (₹ 101.79 crore), works (₹ 60 crore) and other expenditure (₹ 39.80 crore); This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21
रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	84.35	93897.78	93982.13
जोड़	Total	84.35	93897.78	93982.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	97.42	...	97.42
जोड़	Total	97.42	...	97.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	181.77	93897.78	94079.55
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	181.77	93897.78	94079.55
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	97.42	...	97.42

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वायु सेना (₹ 16.82 करोड़), आयुध निर्माणियों की मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.50 करोड़), निरीक्षण कार्य (₹ 0.10 करोड़) और अनुसंधान और विकास हेतु निर्माण कार्य (₹ 80 करोड़) की 'विशेष परियोजना' के अंतर्गत न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न ₹ 97.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 97.42 crore arising out of court orders under 'Special Project' of Air Force (₹ 16.82 crore), Machinery and Equipment of Ordnance Factories (₹ 0.50 crore), 'works' of inspection (₹ 0.10 crore) and works for Research and Development (₹ 80 crore);

Taking into account the savings available under voted section of this grant, this will not entail cash out go.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	22356.60
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	22356.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	5391.34
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	5391.34
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	27747.97
राजस्व	Revenue	...	27747.97
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.32 (खb)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	5391.00 (घd)
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	5391.34

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	(-)0.32
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)5391.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)5391.32

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) सचिवालय के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त निधि मुहैया कराना (₹ 1.44 करोड़); अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए संचित पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के अंतर्गत निधियन के लिए केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को निधि अंतरित करना (₹ 0.32 करोड़); चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में से पूरा किया जाएगा, अतः उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद राशि खर्च नहीं होगी।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के घटक के रूप में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन मुहैया कराना (₹ 100.00 करोड़); अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए संचित पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) establishment related expenditure under Secretariat (₹ 1.44 crore); Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) for the scheme National Rural Drinking Water Mission (₹ 0.32 crore); As the expenditure under the National Rural Drinking Water Mission will be met from the Central Road and Infrastructure Fund (CRIF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (c) providing additional allocation under Externally Aided Project (EAP) component of Swachh Bharat Mission (Gramin) for North Eastern Areas (₹ 100.00 crore); Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के अंतर्गत निधियन के लिए केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को निधि अंतरित करना (₹ 5391.00 करोड़); (d)

चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में से पूरा किया जाएगा, अतः उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

transfer of fund to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) for the scheme National Rural Drinking Water Mission (₹ 5391.00 crore);

As the expenditure under the National Rural Drinking Water Mission will be met from the Central Road and Infrastructure Fund (CRIF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 21 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	1704.28	1704.28
पूंजी	Capital	100.00	100.00
जोड़	Total	1804.28	1804.28
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	0.03	0.03
पूंजी	Capital	0.02	0.02
जोड़	Total	0.05	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	0.02	0.02
पूंजी	Capital	0.01	0.01
जोड़	Total	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1804.36	1804.36
राजस्व	Revenue	1704.33	1704.33
पूंजी	Capital	100.03	100.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research	...	0.01	(क) (a)	0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	(ख) (b)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology	...	0.01	(ग) (c)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03		0.03

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, (i) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै स्वायत्त निकाय को वेतन सहायता अनुदान (₹ 4.50 करोड़), (ii) महासागर सेवाएं प्रौद्योगिकी प्रेक्षणों संसाधन, मॉडलिंग एवं विज्ञान योजना के तहत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 18 करोड़)	(a)	Meeting additional expenditure towards (i) Grants in aid Salaries to National Institute of Ocean Technology, Chennai (₹ 4.50 crore) (ii) Grants in aid General under the scheme Ocean Services Technology Observations Resource Modelling and Sciences (₹ 18 crore)
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। सामान्य अनुदान सहायता के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5.86 करोड़) और अनुसंधान शिक्षा एवं प्रशिक्षण आउटरीच (रीच आउट) के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.53 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 5.86 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 1.53 crore) for Research Education and Training Outreach. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	निम्नलिखित के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) वातावरण एवं जलवायु अनुसंधान- मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली एवं सेवाओं के लिए मशीनरी एवं संयंत्र (₹ 4 करोड़) (ii) कराड़ (महाराष्ट्र) में बोरहोल जिओफिजिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए सीस्मोलॉजिकल एवं जिओ साइंस (सेज) योजना के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 1.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Meeting expenditure towards (i) Machinery & Equipment for Atmosphere & Climate Research –Modelling Observing Systems & Services (₹ 4 crore) (ii) Major Works under the scheme Seismological and Geoscience for Borehole Geophysics Research Laboratory complex at Karad (Maharashtra) (₹ 1.50 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 23 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5675.00	5675.00
पूंजी	Capital	...	325.00	325.00
जोड़	Total	...	6000.00	6000.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	374.84	374.84
पूंजी	Capital	...	6.17	6.17
जोड़	Total	...	381.01	381.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	20.91	20.91
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	20.91	20.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6401.92	6401.92
राजस्व	Revenue	...	6070.75	6070.75
पूंजी	Capital	...	331.17	331.17
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	20.91	20.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन (एमएसआईपीएस, इडीएफ एवं क्लस्टर विनिर्माण)' के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 40.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 20.91 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

Meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of Promotion of Electronics and Information Technology Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Cluster Manufacturing) (₹ 40 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 20.91 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2594.67	2594.67
पूंजी	Capital	...	88.75	88.75
जोड़	Total	...	2683.42	2683.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	88.76	88.76
पूंजी	Capital	0.49	0.01	0.50
जोड़	Total	0.49	88.77	89.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.49	2772.20	2772.69
राजस्व	Revenue	...	2683.44	2683.44
पूंजी	Capital	0.49	88.76	89.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विभिन्न प्रयोजन शीर्षों अर्थात् घरेलू यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाएं और सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत नई स्कीम 'प्रदूषण नियंत्रण' हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards Control of Pollution under Domestic Travel Expenses, Office Expenses, Other Administrative Expenses, Professional Services, Grants for creation of capital Assets and Grant in aid General (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 28 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4871.23	4871.23
पूंजी	Capital	...	13458.23	13458.23
जोड़	Total	...	18329.46	18329.46
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3.02	3.02
पूंजी	Capital	...	13478.39	13478.39
जोड़	Total	...	13481.41	13481.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	0.07	0.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	31810.94	31810.94
राजस्व	Revenue	...	4874.29	4874.29
पूंजी	Capital	...	26936.65	26936.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	2250-Other Social Services	...	0.01 (क) (a)	0.01
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading Institutions	...	0.01 (ख) (b)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (ग) (c)	0.01
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	0.01 (घ) (d)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	0.01 (ङ) (e)	0.01
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	0.01 (च) (f)	0.01
6416-कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	6416-Loans to Agricultural Financial Institutions	...	0.01 (छ) (g)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.03	0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.07	0.07

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) को अंतरण (₹ 100 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	Transfer to Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) (₹ 100 crores). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि हेतु वित्त मंत्रालय को परामर्शी सेवाओं के लिए परामर्शी फर्म हेतु भुगतान (₹ 1.30 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Payment for consultancy firm for rendering advisory services to M/o Finance for National Investment and Infrastructure Fund Trustee Ltd. (₹ 1.30 crores). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	व्यावहार्यता अन्तराल निधियन के अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए सहायता (₹ 100 करोड़) (ii) सहायता, अनुदान वेतन (₹ 1.03 करोड़) और आर्थिक विकास संस्थान में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.68 करोड़)	(c)	(i) Assistance for Infrastructure Development under Viability Gap Funding (VGF) (₹ 100 crores). (ii) Grant-in-aid, Salaries (₹ 1.03 crore) and Grant-in-aid general (₹ 0.68 crore) in Institute of Economic Growth.
(घ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (i) वैश्विक पर्यावरण सुविधा को अंशदान (₹ 6.27 करोड़) (ii) व्याज समकरण स्कीम के तहत भारतीय निर्यात आयात बैंक को भुगतान (₹ 779.58 करोड़)	(d)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (i) Contribution to Global Environment Facility (₹ 6.27 crores). (ii) Payment to Export Import Bank of India (EXIM) under Interest Equalization Scheme (₹ 779.58 crores).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				
(ड)	राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश निधि (₹ 600 करोड़)	(e)			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Investment to National Infrastructure and Investment Fund (NIIF) (₹ 600 crores).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	एआईडीबी के अतिरिक्त शेयर में अभिदान हेतु जीसीआई-VI के अफ्रीकी विकास बैंक के लिए अभिदान (₹ 7.08 करोड़)	(f)			Subscription to African Development Bank (AfDB) of GCI-VI to subscribe additional shares of AIDB (₹ 7.08 crores).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	रियायती साझेदार ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (₹ 48.69 करोड़)	(g)			International Fund for Agricultural Development (IFAD) for Concessional Partner Loan (CPL) (₹ 48.69 crores).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1739.05	1739.05
पूंजी	Capital	...	69838.01	69838.01
जोड़	Total	...	71577.06	71577.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.10	0.03	0.13
पूंजी	Capital	...	41020.02	41020.02
जोड़	Total	0.10	41020.05	41020.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	4500.00	4500.00
जोड़	Total	...	4500.00	4500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.10	117097.11	117097.21
राजस्व	Revenue	0.10	1739.08	1739.18
पूंजी	Capital	...	115358.03	115358.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals	...	4500.00	4500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पूर्णपूंजीकरण बंध पत्रों को निर्गम करने के जरिए एक्जिम बैंक में पूंजी लगाना
(₹ 4500 करोड़)

इक्जिम बैंक को प्रतिभूतियों के जारी होने पर अतिरिक्त पावतियों को देखते हुए इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

capital infusion in EXIM Bank through issuance of recapitalization bonds (₹ 4500 crore)

After taking into account the additional receipts on issue of securities to the EXIM Bank, this supplementary will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर
DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 35 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6728.00	6728.00
पूंजी	Capital	...	254.00	254.00
जोड़	Total	...	6982.00	6982.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	100.00	100.00
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	100.04	100.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	299.96	299.96
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	299.96	299.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7382.00	7382.00
राजस्व	Revenue	...	7127.96	7127.96
पूंजी	Capital	...	254.04	254.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	...	289.96	(क) 289.96
2031-संपत्ति करों, प्रतिभूति संबंधी संव्यवहार करों तथा अन्य करों का संग्रहण	2031-Collection of Taxes on Wealth, Securities Transaction Tax and Other Taxes	...	10.00	(ख) 10.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	299.96	299.96

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(क) स्थापना संबंधी व्यय और सूचना प्रौद्योगिकी में निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (₹ 299.96 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 10 करोड़ बचतों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 289.96 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) संपत्ति, प्रतिभूतियों, लेनदेन कर तथा अन्य करों पर अंतर लेखा अंतरण (₹ 10 करोड़)
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) additional requirement of funds in establishment related expenditure & Information Technology (₹ 299.96 crore).
Taking into account after utilizing the savings of ₹ 10 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 289.96 crore).

(b) inter Account transfer on Wealth, Securities, Transaction Tax and Other Taxes (₹ 10 crore)
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 36 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	7418.00	7418.50
पूंजी	Capital	...	407.00	407.00
जोड़	Total	0.50	7825.00	7825.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	7825.05	7825.55
राजस्व	Revenue	0.50	7418.02	7418.52
पूंजी	Capital	...	407.03	407.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (क)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, जिला रायगड, मुंबई में कार्यालय भवन के लिए निर्माण पूर्व समर्थकारी कार्य (₹ 0.41 करोड़)	(a)	pre-construction enabling works for office building at Jawaharlal Nehru Customs House, Nhava Sheva, Distt. Raigad, Mumbai (₹ 0.41 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	द्वारका, दिल्ली में रिहायशी आवासों का निर्माण (₹ 30 करोड़)	(b)	construction of residential quarters at Dwarka, Delhi (₹ 30 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	160.53	4453.59	4614.12
पूंजी	Capital	...	16.00	16.00
जोड़	Total	160.53	4469.59	4630.12
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	6.76	189.13	195.89
पूंजी	Capital
जोड़	Total	6.76	189.13	195.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	25.55	25.55
जोड़	Total	...	25.55	25.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	167.29	4684.27	4851.56
राजस्व	Revenue	167.29	4642.72	4810.01
पूंजी	Capital	...	41.55	41.55
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	25.55	25.55

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आईए एंड एस अधिकारियों के लिए मुंबई में 3 आवासीय फ्लैटों की खरीद पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on account of purchase of 3 residential flats at Mumbai for IA&AS Officers.
The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 37 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ब्याज अदायगियां
INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	590794.95	...	590794.95
पूंजी	Capital
जोड़	Total	590794.95	...	590794.95
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	9196.65	...	9196.65
पूंजी	Capital
जोड़	Total	9196.65	...	9196.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	599991.60	...	599991.60
राजस्व	Revenue	599991.60	...	599991.60
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2049-ब्याज भुगतान	2049-Interest Payments	9196.65	...	9196.65

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार ऋण, रोकड़, प्रबंधन बिलों पर छूट, क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र, 14/182 दिन टी बिल, 364 दिनों पर छूट, टी बिल्स, अग्रिमों के उपाय एवं तरीके पूर्णपूँजीकरण बंध पत्रों पर ब्याज, वाहतू ऋण पर ब्याज, लघु बचत जमा पर ब्याज, प्रमाण पत्र और परिचालन व्यय, आरक्षित निधि पर ब्याज और अन्यो पर ब्याज के लिए ब्याज के भुगतान के कारण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 13420.41 करोड़)

विनियोग में ही उपलब्ध समतुल्य बचतों का उपयोग करने के बाद इसको देखते हुए उपरोक्त में ₹ 9196.65 करोड़ नगद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

additional requirement on account of Interest payment for Market Loans, Discount on Cash Management Bills, Compensation and Other Bonds, 14 / 182 days T Bills, Discount on 364 days T. Bills, Ways and Means Advances, Interest on Recapitalization Bonds, Interest on External Debt, Interest on small savings deposits, certificates and operational expenses, Interest on Reserve Funds and Interest on Others (₹ 13420.41 crore)

Taking into account, the savings available within the Appropriation, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 9196.65 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 38 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी
REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	6084973.37	...	6084973.37
जोड़	Total	6084973.37	...	6084973.37
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	106594.12	...	106594.12
जोड़	Total	106594.12	...	106594.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6191567.49	...	6191567.49
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	6191567.49	...	6191567.49

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	6001-Internal Debt of Central Government	104709.12	(क) ...	104709.12
6002-विदेशी ऋण	6002-External Debt	1885.00	(ख) ...	1885.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	106594.12	...	106594.12

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान 182/364 दिनों वाले टी बिल्स, रोकड़ प्रबंधन बिल्स, अग्रिमों के उपाय एवं तरीके, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र के कारण अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 583426.57 करोड़)
- विनियोग में ही उपलब्ध ₹ 478717.45 करोड़, की बचतों का उपयोग करने के बाद, इसको देखते हुए ₹ 104709.12 करोड़ धनराशि का पूरक अनुदान मांगा जाता है। अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा, क्योंकि व्यय प्रतिभूतियों की प्राप्ति से पूरा हो जाएगा।
- (ख) विनियम दर में उतार-चढ़ाव के कारण बाह्य ऋण के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1885 करोड़)।
- व्यय के बराबर प्राप्ति के कारण, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) additional requirement on account of repayment of Market Loans, 182 / 364 Days T. Bills, Cash Management Bills, Ways and Means Advances, Securities issued to International Financial Institutions, Compensation and Other Bonds (₹ 583426.57 crore).
- Taking into account savings of ₹ 478717.45 crore within the Appropriation, an amount of ₹ 104709.12 crore is sought. This will not entail any cash outgo as expenditure will be matched by receipts of securities.
- (b) additional requirement on account of External Debt due to exchange rate fluctuation (₹ 1885 crore).
- Taking into account the expenditure matched by receipts, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 40

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	जोड़ <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	109373.50	32500.00	141873.50
पूंजी	Capital	20100.00	...	20100.00
जोड़	Total	129473.50	32500.00	161973.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	3800.84	...	3800.84
जोड़	Total	3800.84	...	3800.84
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	133274.34	32500.00	165774.34
राजस्व	Revenue	109373.50	32500.00	141873.50
पूंजी	Capital	23900.84	...	23900.84
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	जोड़ <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	3800.84	...	3800.84

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए 'अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता' योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन मुहैया कराना (₹ 3800.84 करोड़);

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

providing additional allocation under the scheme 'Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block Loans)' (₹ 3800.84 crore);

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32-33 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 39-41 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 32-33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 39-41 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	74349.45	74349.45
पूंजी	Capital	...	2720.40	2720.40
जोड़	Total	...	77069.85	77069.85
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1031.11	1031.11
पूंजी	Capital	...	40.03	40.03
जोड़	Total	...	1071.14	1071.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2916.52	2916.52
पूंजी	Capital	...	1974.90	1974.90
जोड़	Total	...	4891.42	4891.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	83032.41	83032.41
राजस्व	Revenue	...	78297.08	78297.08
पूंजी	Capital	...	4735.33	4735.33

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	2734.35	(क)	2734.35
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01	(ख)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	63.15	(ग)	63.15
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	119.00	(घ)	119.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(ङ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2916.52		2916.52
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	1922.90	(च)	1922.90
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	2.00	(छ)	2.00
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	50.00	(ज)	50.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1974.90		1974.90
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	4891.42		4891.42

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसुलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	(-)1859.25		(-)1859.25
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	(-)1922.90		(-)1922.90
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	(-)2.00		(-)2.00
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	(-)50.00		(-)50.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	(-)1974.90		(-)1974.90
	Total (Supplementary)	...	-3834.15		-3834.15

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) (i) 1. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई)- (₹ 515.00 करोड़), 2. एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन (₹ 25.00 करोड़), 3. राष्ट्रीय नशामुक्ति कार्यक्रम-एम्स, नई दिल्ली में नशामुक्ति केन्द्र (₹ 2.25 करोड़), एम्स, नई दिल्ली के अंतर्गत औषधि उपचार क्लीनिक (₹ 0.75 करोड़), 4. ज़िपमेर, पुडुचेरी (₹ 3.40 करोड़), 5. वल्लभभाई चैस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय (₹ 4.60 करोड़), 6. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (₹ 15.00 करोड़), 7. नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र (₹ 0.06 करोड़), 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (मुख्यालय- ₹ 0.01 करोड़), 9. राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण एवं दृष्टि बाधित कार्यक्रम (₹ 7.00 करोड़), 10. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन), (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (₹ 664.40 करोड़), स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, (ii) 1. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (₹ 120.00 करोड़), 2. राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (₹ 35.85 करोड़), 3. राष्ट्रीय नशामुक्ति कार्यक्रम-एम्स, नई दिल्ली में नशामुक्ति केन्द्र (₹ 0.50 करोड़), 4. एआईआईएसएच, मैसूर (₹ 3.61 करोड़), 5. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन), (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (₹ 395.00 करोड़), स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के मूजन के लिए अनुदान, (iii) 1. एम्स, नई दिल्ली (₹ 190.77 करोड़), ज़िपमेर, पुडुचेरी (₹ 10.00 करोड़), 3. निमहांस, बंगलूरु (₹ 29.33 करोड़), 4. लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 10.00 करोड़), 5. राष्ट्रीय नशामुक्ति कार्यक्रम-एम्स, नई दिल्ली में नशामुक्ति केन्द्र (₹ 2.00 करोड़), निमहांस, बंगलूरु में नशामुक्ति केन्द्र (₹ 0.75 करोड़), 6. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन), (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (₹ 650.00 करोड़), स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान, (iv) स्थापना संबंधी व्यय प्रयोजन शीर्ष : 1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (मुख्यालय) (₹ 0.11 करोड़, वेतन ₹ 0.01 करोड़, चिकित्सा इलाज ₹ 0.01 करोड़, घरेलू यात्रा व्यय ₹ 0.01 करोड़, विदेश यात्रा व्यय ₹ 0.01 करोड़, कार्यालय व्यय ₹ 0.01 करोड़, आरआरटी ₹ 0.01 करोड़, प्रकाशन ₹ 0.01 करोड़, अन्य प्रशासनिक व्यय ₹ 0.01 करोड़, विज्ञापन और प्रचार ₹ 0.01 करोड़, व्यावसायिक सेवाएं ₹ 0.01 करोड़, अन्य प्रभार ₹ 0.01 करोड़), 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (स्वच्छता कार्रवाई योजना) (₹ - 0.1 करोड़, कार्यालय व्यय ₹ 0.01 करोड़) 3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (सूचना प्रौद्योगिकी) ₹ 0.01 करोड़, कार्यालय व्यय ₹ 0.01 करोड़, 4. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन), (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) ₹ 140.00 करोड़, (वेतन ₹ 1.00 करोड़, एमटी ₹ 0.10 करोड़, डीटीई ₹ 0.50 करोड़, ओई ₹ 1.89 करोड़, ओएई ₹ 1.50 करोड़, पीएस ₹ 130.00 करोड़, ओसी ₹ 5.71 करोड़), (v) अंतर लेखा अंतरण 1. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (₹ 1850.10 करोड़), 2. अंतर लेखा अंतरण- पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ (एनआईएफ से सहायता) के संबंध में राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) (₹ 9.15 करोड़), (vi) अन्य प्रभार - नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)।

पूँजीभाग में उपलब्ध ₹ 256 करोड़ की वचनों और राजस्व भाग में ₹ 100.92 करोड़ के समतुल्य अभ्यर्पण तथा केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि में ₹ 1850.10 करोड़ की बसूली और राष्ट्रीय निवेश निधि में ₹ 9.15 करोड़ की समतुल्य बसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 619.10 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ख) निम्नलिखित संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (i) जनसंख्या स्थिरता कोष (₹ 5.03 करोड़), (ii) अन्य प्रभार- 1. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 2. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण-एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 3. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 4. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल-एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (जीबीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants in aid General under the scheme 1. Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY) - (₹ 515.00 Crore), 2. Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (₹ 25.00 crore), 3. National Drug Deaddiction Programme - Drug Deaddiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 2.25 crore.), Drug Treatment Clinic under AIIMS, New Delhi (₹ 0.75 Crore), 4. JIPMER, Puduchery (₹ 3.40 Crore), 5. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi, University, Delhi (₹ 4.60 Crore), 6. Food Safety & Standards Authority of India (₹ 15.00 crores), 7. New Delhi TB Centre (₹ 0.06 Crore), 8. National Health Authority (Headquarter) - (₹ 0.01 Crore), 9. National Programme for Control of Blindness & Visual Impairment (₹ 7.00 crore) and 10. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Central Roads & Infrastructure Fund (CRIF) ₹ 664.40 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme:- 1. Food Safety & Standards Authority of India (₹ 120.00 crore), 2. National Programme for Health Care of Elderly (₹ 35.85 crore), 3. National Drug Deaddiction Programme - Drug Deaddiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 0.50 crore), 4. AIISH, Mysore (₹ 3.61 crore) and 5. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Support from Central Roads & Infrastructure Fund (CRIF) ₹ 395.00 crore), (iii) Grants in aid Salaries under the scheme:- 1. AIIMS, New Delhi (₹ 190.77 crore), 2. JIPMER, Puduchery (₹ 10.00 crore), 3. NIMHANS, Bengaluru (₹ 29.33 crore), 4. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 10.00 Crore), 5. National Drug Deaddiction Programme - Drug Deaddiction Centre at AIIMS, New Delhi (₹ 2.00 crore), Drug Deaddiction Centre at NIMHANS, Bengaluru (₹ 0.75 Crore) and 6. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Central Roads & Infrastructure Fund (CRIF) ₹ 650.00 crore), iv. Establishment related expenditure object heads:- 1. National Health Authority (Headquarter) - ₹ 0.11 Crore. - Sal.-0.01 crore, Med. Treatment - 0.01 crore, Domestic Travel Expenses - 0.01 crore), Foreign Travel Expenses - 0.01 crore, Office Expenses - 0.01 crore, RRT - 0.01 crore, Publication - 0.01 crore., Other Admn. Expenses - 0.01 crore., Advertising & Publicity - ₹ 0.01 crore, Prof. Services - 0.01 Crore, Other Charges - 0.01 crore), 2. National Health Authority (Swachhta Action Plan)) - ₹ 0.1 crore - Office Expenses - 0.01 crore), 3. National Health Authority (Information Technology) - ₹ 0.01 crore - Office Expenses - 0.01 crore), 4. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Support from CRIF ₹ 140.70 crore (Salaries ₹ 1.00 crore, MT ₹ 0.10 crore, DTE ₹ 0.50 crore, OE ₹ 1.89 crore, OAE ₹ 1.50 crore, PS ₹ 130.00 crore, OC - ₹ 5.71 crore) and (v) Inter Account Transfer 1. Central Roads & Infrastructure Fund (CRIF)(₹ 1850.10 crore) and 2. National Investment Fund (NIF) of ₹ 9.15 crore) and (vi) Other Charges - RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings of ₹ 256 crore available in capital section, matching savings of ₹ 100.92 crore in Revenue Section, and recovery of ₹ 1850.10 crore in CRIF and ₹ 9.15 crore in NIF, this will entail a net cash outgo of ₹ 619.10 crore.
- (b) (i) Grants in aid General to Jansankhya Sthirta Kosh (₹ 5.03 crore), (ii) Other Charges to 1. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 0.01 Crore), 2. Health System Strengthening under NRHM - Other Health System for activities under NRHM (GBS)(0.01 crore), 3. Health System Strengthening under NRHM - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.01 crore), 4. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health Systems for

- फ्लेक्सिबलपूल- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। (iii) स्थापना संबंधी व्यय शीर्ष 1. जनसंख्या स्थिरता कोष (₹ 0.97 करोड़), (डीटीई ₹ 0.02 करोड़, आरआरटी ₹ 0.13 करोड़, ओई ₹ 0.03 करोड़, ओएई ₹ 0.07 करोड़, विज्ञापन और प्रचार ₹ 0.61 करोड़, पीएस ₹ 0.07 करोड़, ओसी ₹ 0.04 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचनों को ध्यान में रखते हुए, संचितिक पुरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान: 1. एनईआईजीआरआईएचएमएम, शिलांग (₹ 16.95 करोड़), 2. रिपंस, आइजोल (₹ 1.52 करोड़), 3. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीवीएस) (₹ 2.61 करोड़)। 4. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण -एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 5. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 6. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल-एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 7. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण-(₹ 0.01 करोड़)। 9. एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (एनआईएफ से सहायता) (ईएसी) (₹ 0.13 करोड़)। 10. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईएफ) (₹ 8.00 करोड़)। 11. एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (एनआईएफ से सहायता) (₹ 0.09 करोड़)। 12. एनयूएचएम के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख- एबी-स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केन्द्र (एनआईएफ से सहायता) (₹ 0.07 करोड़)। 13. अवसंरचना रखरखाव (₹ 3.17 करोड़)। 14. एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (एनआईएफ से सहायता) (जीवीएस) (₹ 0.05 करोड़)। (ii) निम्नलिखित संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान: 1. एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यक्रमों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (एनआईएफ से सहायता) (₹ 6.57 करोड़); (ii) निम्नलिखित संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए सहायता अनुदान वेंतन: 1. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (₹ 63.15 करोड़)।
- (घ) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचनों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 63.15 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (i) सामान्य सहायता अनुदान: निम्नलिखित संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. आशा लाभ पैकेज- ₹ 119.00 करोड़। 2. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीवीएस) (₹ 472.36 करोड़)। 3. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण - एनआरएचएम के अंतर्गत गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 4. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल-एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 6. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में प्रत्याशित ₹ 472.40 करोड़ की वचन को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 119.00 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ङ) (i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान: 1. ट्रामा सेंटर के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता-चोट और ट्रामा देखरेख (₹ 3.50 करोड़)। 2. नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सिबलपूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 3. एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण - एनआरएचएम के अंतर्गत गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 4. आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल-एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणालियां (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। 6. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सिबलपूल- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर केन्द्र (जीवीएस) (₹ 0.01 करोड़)। (ii) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान: निम्नलिखित संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए 1. ट्रामा सेंटर के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता-चोट और ट्रामा देखरेख (₹ 4.00 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध वचनों को ध्यान में रखते हुए, संचितिक पुरक अनुदान मांगा जाता है।
- activities covered under NUHM (GBS(₹ 0.01 crore)) and 5. National Urban Health Mission Flexible Pool - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS (₹ 0.01 crore)) and iii) Establishment Related Expenditure Heads under Jansankhya Shirta Kosh [(₹ 0.97 crore) - DTE 0.02 crore; RRT 0.13 crore, OE 0.03 crore, OAE ₹ 0.07 crore; Advt & Pub. ₹ 0.61 crore, P.S. ₹ 0.07 crore, & O.C. ₹ 0.04 crore)].
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (i) Grants in aid General under 1. North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences (NEIGRIHMS), Shillong (₹ 16.95 crore), 2. Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl (₹ 1.52 crore), 3. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 2.61 crore) 4. Health System Strengthening under NRHM - Other Health System for activities under NRHM (GBS)(0.01 crore), 5. Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.01 crore), 6. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health Systems for activities covered under NUHM (GBS(₹ 0.01 crore)), 7. National Urban Health Mission Flexible Pool - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres GBS(₹ 0.01 crore)), 8. National Health Authority - ₹ 0.01 crore), 9. Other Health System for activities covered under NUHM (Support from NIF) (EAC) (₹ 0.13 crore), 10. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (NIF) (₹ 8.00 crore), 11. Other Health System for activities covered under NUHM (Support from NIF) (₹ 0.09 crore), 12. Comprehensive Primary Health Care - AB - Health & Wellness Centres under NUHM (Support from NIF) (₹ 0.07 crore), 13. Infrastructure Maintenance (₹ 3.17 crore), 14. Other Health System for activities covered under NUHM (Support from NIF) (GBS) (₹ 0.05 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets under 1. Other Health System for activities covered under NRHM (Support from NIF) (₹ 6.57 crore) and (ii) Grants in aid Salaries for meeting additional requirement under Regional Institute of Medical Sciences, Imphal - (₹ 63.15 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 63.15 crore .
- Grants-in-aid General:- for meeting additional requirement under 1. Asha Benefit Package (₹ 119.00 crore), 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 472.36 crore), 3. Health System Strengthening under NRHM - Other Health System for activities under NRHM (GBS)(0.01 crore), 4. Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.01 crore), 5. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health Systems for activities covered under NUHM (GBS(₹ 0.01 crore)) and 6. National Urban Health Mission Flexible Pool - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres GBS(₹ 0.01 crore)).
- Taking into account the anticipated savings of ₹ 472.40 crore in the same section of the grant , a net cash outgo of ₹ 119.00 crore is involved.
- (i) Grants-in-aid General under 1. Assistance for Capacity Building for Trauma Centres - Injury & Trauma Care (₹ 3.50 crore), 2. RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunization Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control (GBS) (₹ 0.01 crore), 3. Health System Strengthening under NRHM - Other Health System for activities under NRHM (GBS)(0.01 crore), 4. Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres (GBS) (₹ 0.01 crore), 5. National Urban Health Mission Flexible Pool - Other Health Systems for activities covered under NUHM (GBS(₹ 0.01 crore)) and 6. National Urban Health Mission Flexible Pool - Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres GBS(₹ 0.01 crore)) and (ii) Grants for creation of Capital Assets for Assistance for Capacity Building for Trauma Centres - Injury & Trauma Care (₹ 4.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (च) 1. दवाखाना और अस्पतालों की स्थापना (₹ 1.35 करोड़) मोटर वाहन खरीदने के लिए (एमबुलेंस) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एमएस की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (सीआरआईएफ)-को अंतरखाता अंतरण (₹ 1922.90 करोड़) - (एमएंडई ₹ 612.90 करोड़) और एमडब्ल्यू (₹ 1310.00 करोड़)। 3. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एमएस की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)- ₹ 1922.90 करोड़)।
अनुदान में उपलब्ध ₹ 1922.90 करोड़ के बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (छ) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए पूरक अनुदान की आवश्यकता है : प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एमएस की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (सीआरआईएफ) (एमडब्ल्यू ₹ 2.00 करोड़)। 2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एमएस की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरखाता अंतरण (₹ 2.00 करोड़)।
सीआईआरएफ में अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 2 करोड़ के बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ज) निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता आवश्यकता : (i) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एमएस की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) (केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि) (सीआरआईएफ) (एमडब्ल्यू ₹ 40.00 करोड़ और एमएंडई ₹ 10 करोड़) और (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एमएस की तरह सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य सरकार अस्पतालों का उन्नयन) के संबंध में केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतर खाता अंतरण - (₹ 50 करोड़)।
सीआईआरएफ में ₹ 50 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (f) 1. Setting up of Dispensaries and /Hospitals (₹ 1.35 crore) for procurement of Motor Vehicles (Ambulances), 2. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Support from CRIF- ₹ 1922.90 crore) - (M&E ₹ 612.90 crore & Major Works - ₹ 1310.00 crore) and 3. Inter Account Transfer to CRIF(₹ 1922.90 crore).
- (g) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(CRIF (Major Works - ₹ 2 crore) and Inter Account Transfer to CRIF(₹ 2.00 crore).
- (h) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals)(Support from CRIF) (Major Works - ₹ 40 crore, and M&E - ₹ 10 crore) and Inter Account Transfer to CRIF (₹ 50 Crore).

Taking into account the matching recoveries of ₹ 1922.90 available in the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Taking into account the matching recoveries of ₹ 2 crore available in the CRIF, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Taking into account the matching recoveries of ₹ 50 crore in CRIF, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3216.00	3216.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	3216.00	3216.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3216.02	3216.02
राजस्व	Revenue	...	3216.02	3216.02
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12 करोड़) और (ii) आईसीएमआर के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹ 40 करोड़)	(a)	(i) Grant in Aid General under the scheme Indian Council of Medical Research (ICMR) (₹ 12 crore) and (ii) Grant in Aid Salary under ICMR (₹ 40 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(II) आईसीएमआर के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18 करोड़)	(b)	(II) Grant in Aid General under ICMR (₹ 18 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 42 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	739.24
पूंजी	Capital	...	386.49
जोड़	Total	...	1125.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	0.01
पूंजी	Capital	...	150.91
जोड़	Total	...	150.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.01
पूंजी	Capital	...	10.00
जोड़	Total	...	10.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1286.66
राजस्व	Revenue	...	739.26
पूंजी	Capital	...	547.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (क)
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4860-Capital Outlay on Consumer Industries	...	10.00 (ख)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	10.01

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) 'ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूससी) प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजना' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के मुजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 50.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 03.10.2018 के निर्णय के अनुसार पुनरुद्धार और मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नेपा लिमिटेड को जारी भारत सरकार के ऋण का इक्विटी में परिवर्तन (₹ 33.00 करोड़)।
(ii) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 03.10.2018 के निर्णय के अनुसार पुनरुद्धार और मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नेपा लिमिटेड में इक्विटी के रूप में निवेश (₹ 16.54 करोड़)।
₹ 33.00 करोड़ का आवश्यक लेखांकन समायोजन करने के लिए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 6.54 करोड़ की बचतों और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 10.00 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting the additional requirement for 'Grants for creation of Capital Asset' under the scheme "R & D project for Development of Advanced Ultra Super Critical (AUSC) Technology for Thermal Power Plants" (₹ 50.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Conversion of Gol Loan released in 2018-19 to NEPA Limited for implementation of Revival and Mill Development Plan into equity as per CCEA decision dated 03.10.2018 (₹ 33.00 crore).
(ii) Investment as equity in NEPA Limited for implementation of Revival and Mill Development Plan as per CCEA decision dated 03.10.2018 (₹ 16.54 crore).
For carrying out necessary accounting adjustment of ₹ 33.00 crore, a token supplementary is sought. Taking into account the savings of ₹ 6.54 crore available in the same section of the grant, and surrender of savings of ₹ 10.00 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 45

सरकारी उद्यम विभाग

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	20.44	20.44
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	20.44	20.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1.00	1.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1.00	1.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	21.44	21.44
राजस्व	Revenue	...	21.44	21.44
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.50 (का)	0.50
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.50 (खb)	0.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1.00	1.00

ये पूरक अनुदानें निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

(क) वेतन के तहत अतिरिक्त प्रावधान (₹ 0.50 करोड़)
इसमें नकद व्यय होगा।(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा अन्य संबंधित व्यय (₹ 0.50 करोड़)
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) additional provision under salaries (₹ 0.50 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) Voluntary Retirement Scheme in CPSEs and other establishment related expenditure (₹ 0.50 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 44-45 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 44-45 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	4468.89	4468.91
पूंजी	Capital	...	324.45	324.45
जोड़	Total	0.02	4793.34	4793.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	8.50	130.95	139.45
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	8.50	130.96	139.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	6.01	6.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	6.02	6.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8.52	4930.32	4938.84
राजस्व	Revenue	8.52	4605.85	4614.37
पूंजी	Capital	...	324.47	324.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	6.00	(क) 6.00
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	6.01	6.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	6.02	6.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र की स्थापना के लिए लघु निर्माण कार्य (₹ 6 करोड़)। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	Minor Works on account of setting up of the Indian Cyber Crime Coordination Centre (₹ 6 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं की योजना बिना विधान मंडल वाले केन्द्रीय क्षेत्रों पर व्यय (₹ 0.12 करोड़) और आपदा लचीली अवसंरचना पर सम्मिलित (सीडीआरआई) (₹ 60 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Scheme of Other Disaster Management Projects- Expenditure on Union Territories without legislature (₹ 0.12 crore) and 'Coalition on Disaster Resilient infrastructure' (CDRI)(₹ 60 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	राष्ट्रीय आपातकालीन संसूचना योजना के अंतर्गत मोटर वाहन (₹ 0.30 करोड़) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) स्कीम (₹ 8 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Motor Vehicle under National Emergency Communication Plan (₹ 0.30 crore) and Office Building Scheme of National Disaster Response Force(NDRF) (₹ 8 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58-59 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37-38 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47-48 देखिये)

(See page 58-59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 37-38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 47-48 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	9.56	77305.24	77314.80
पूंजी	Capital	6.10	11057.35	11063.45
जोड़	Total	15.66	88362.59	88378.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2051.66	2051.66
पूंजी	Capital	...	25.65	25.65
जोड़	Total	...	2077.31	2077.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	4611.62	4611.63
पूंजी	Capital	0.12	0.01	0.13
जोड़	Total	0.13	4611.63	4611.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15.79	95051.53	95067.32
राजस्व	Revenue	9.57	83968.52	83978.09
पूंजी	Capital	6.22	11083.01	11089.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	0.01 (का)	4611.62 (खb)	4611.63
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	0.12 (गc)	0.01 (घd)	0.13
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.13	4611.63	4611.76

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	विशेष सुरक्षा ग्रुप (₹ 0.10 करोड़) और आईटीबीपी (₹ 0.60 करोड़) के लिए अदालती फैसलों के कारण अन्य प्रभार। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Other Charges on account of Courts decision for Special Protection Group (₹ 0.10 crore) and ITBP (₹ 0.60 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	वेतन (₹ 4611.62 करोड़), नक्सली प्रबंधन को सहायता के अंतर्गत हेलिकाप्टर परिचालन के लिए वायु सेना को भुगतान (₹ 188 करोड़), एनसीआर में यातायात और संचार नेटवर्क का विकास सहित अन्य प्रभार (₹ 50 करोड़), विभिन्न संगठनों को व्यवसायिक सेवाएं (₹ 100 करोड़), शस्त्र एवं बारूद (₹ 35 करोड़) बिना विधान मंडल वाले केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए तटीय सुरक्षा - सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.57 करोड़)।	(b)	Salaries (₹ 4611.62 crore), payment to Air Force for helicopter operations under 'Assistance to Naxal Management' (₹ 188 crore), Other Charges including development of traffic and Communication Network in NCR (₹ 50 crore), Professional Services of various organization (₹ 100 crore), Arms and Ammunition (₹ 35 crore) and Coastal Security for UTs without legislature - Grants in Aid- General (₹ 3.57 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 4611.62 crore .
(ग)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 4611.62 करोड़ का नकद व्यय होगा। एनएसजी का कार्यालय भवन (₹ 0.10 करोड़) और सीआरपीएफ के लिए मोटर वाहन (₹ 0.02 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	Office building of NSG (₹ 0.10 crore) and Motor Vehicles of CRPF (₹ 0.02 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(घ)	सीआरपीएफ, बीएसएफ के लिए रिहायशी भवन निर्माण कार्यक्रम (₹ 395.55 करोड़ और दिल्ली पुलिस (₹ 137 करोड़), राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (₹ 46.40 करोड़), रिहायशी भवन निर्माण के लिए समन्वित पुलिस बेतार निदेशालय (₹ 0.78 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Residential Building programme of CRPF, BSF (₹ 395.55 crore) and Delhi Police (₹ 137 crore), National Police University- (₹ 46.40 crore), Directorate of Coordination Police Wireless (DCPW) for Residential Building (0.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 49
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	3992.99	3993.00
पूंजी	Capital	...	600.86	600.86
जोड़	Total	0.01	4593.85	4593.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	86.00	86.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	86.00	86.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	106.53	106.53
पूंजी	Capital	...	0.08	0.08
जोड़	Total	...	106.61	106.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	4786.46	4786.47
राजस्व	Revenue	0.01	4185.52	4185.53
पूंजी	Capital	...	600.94	600.94

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (क) 0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	16.39 (ख) 16.39
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	70.00 (ग) 70.00
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01 (घ) 0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	10.00 (ङ) 10.00
3052-नौवहन	3052-Shipping	...	10.00 (च) 10.00
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	0.12 (छ) 0.12
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	106.53
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (ज) 0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (झ) 0.01
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	...	0.01 (ञ) 0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (ट) 0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01 (ड) 0.01
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.01 (डम) 0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01 (डन) 0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01 (ण) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.08
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	106.61

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	निजी स्कूलों को सहायता हेतु लेखा शीर्ष के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु अतिरिक्त अनुदानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.30 करोड़)।	(a)	Meeting the additional grants required for meeting expenditure for GIA-Salaries under head of account towards assistance to private schools (₹ 0.30 crore).
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आपूर्ति और सामग्री के अंतर्गत दवाइयों की खरीद हेतु जीएमएसडी को बकाया भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹16.39 करोड़)।	(b)	Meeting the additional requirement for making outstanding payment to GMSD towards purchase of medicine under supplies & materials on Medical & Public Health. (₹ 16.39 crore).
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a Technical Supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत 'स्मार्ट सिटी परियोजना' हेतु नया उपशीर्ष खोलने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने (₹ 10 करोड़) और	(c)	Meeting the additional requirement for opening of new sub head for 'Smart City Project' under 'Grants for Creation of Capital Assets'

	पोर्टेबल नगरनिगम के कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि पर व्यय को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 60 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।		
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		
(घ)	जिला परिषद (₹ 0.40 करोड़) और पंचायत समिति (₹ 0.10 करोड़) के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(d)	Meeting the additional requirement for meeting expenditure for GIA-Salaries in respect of Zilla Parishad (₹ 0.40 crore) & Panchayat Samiti (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	विद्युत उत्पादन के लिए आईओसीएल से एचएसडी ऑयल की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹10 करोड़)।	(e)	Meeting the additional requirement for procuring HSD oil from IOCL for power generation (₹ 50 crore). Taking into account the savings of ₹ 10 crore available in the Capital Section of the Grant and ₹ 40 crore is available in the same Section of the grant, a Technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(च)	नए जहाज के अधिष्ठापन एवं जहाज को किराए पर लेना - कोरल क्वीन की वजह से पीओएल की लागत हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 10 करोड़)।	(f)	Meeting the additional requirement towards cost of POL due to induction of new vessel & chartering of vessel - Coral Queen (₹ 10 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		
(छ)	पूंजीगत अस्तित्वों के सृजन के लिए अनुदान के अंतर्गत जिला परिषद को भुगतान करने के लिए नया शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.12 करोड़)।	(g)	Meeting the additional requirement under Grants-in-Aid for creation of Capital Assets for Zilla Parishad (₹ 0.12 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		
(ज)	सामान्य प्रशासन (₹7 करोड़) और अन्य विभागों (₹1.00 करोड़) के अंतर्गत जारी निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(h)	Meeting the additional requirement for ongoing construction works under General Administration (₹ 7 crore) and under other departments (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(झ)	जिला अस्पतालों के उपयोगार्थ मशीनरी और उपकरणों की खरीद की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.00 करोड़)।	(i)	Meeting the additional requirement for purchase of machinery and equipments for the use of District Hospitals (₹ 3 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ञ)	पाइप लाइनों को बदलने, बिछाने तथा पानी के टंकियों के निर्माण की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.00 करोड़)।	(j)	Meeting the additional requirement for replacement, laying of pipelines and construction of water tanks (₹ 3 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ट)	'सामान्य पुल आवास' के अंतर्गत आवासीय भवन के निर्माण/नवीकरण पर व्यय को पूरा करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3 करोड़)।	(k)	Meeting the additional requirement for meeting expenditure on construction/ renovation of residential building under 'General Pool Accommodation' (₹ 3 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ठ)	35 सुनामी सायरन की अधिप्राप्ति, प्रयोजन शीर्ष - 'मशीनरी और उपकरण' के अंतर्गत अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 9.99 करोड़)।	(l)	Meeting the additional requirement for procurement of 35 Tsunami sirens, additional fund is required under the object head - 'Machinery & Equipments' (₹ 9.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ड)	पशुचिकित्सा भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.13 करोड़)।	(m)	Meeting the additional requirement for construction of Veterinary building (₹ 0.13 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ढ)	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.02 करोड़)।	(n)	Meeting the additional requirement for purchase of machinery and equipments for information technology (₹ 0.02 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ण)	जिला सड़कों (83 करोड़) के अंतर्गत सड़कों एवं पुलों के निर्माण/नवीकरण, जिला एवं अन्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹2 करोड़) तथा सामान्य सड़कों के लिए जनजातीय क्षेत्र उप-योजना हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹2.50 करोड़)।	(o)	Meeting the additional requirement for construction/ renovation of Roads & Bridges under District Roads (₹ 3 crore), Tribal Area sub-plan for District & Other Roads (₹ 2 crore) and Tribal Area sub plan for General Roads (₹ 2.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	44.41	3962.47	4006.88
पूंजी	Capital	75.00	430.03	505.03
जोड़	Total	119.41	4392.50	4511.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	24.67	24.67
पूंजी	Capital	...	0.09	0.09
जोड़	Total	...	24.76	24.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	119.41	4417.26	4536.67
राजस्व	Revenue	44.41	3987.14	4031.55
पूंजी	Capital	75.00	430.12	505.12

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (क) (क)	0.01
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	4.66 (ख) (ख)	4.66
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	20.00 (ग) (ग)	20.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	24.67	24.67
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01 (घ) (घ)	0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (ङ) (ङ)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (च) (च)	0.01
4217-शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01 (छ) (छ)	0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01 (ज) (ज)	0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01 (झ) (झ)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01 (ञ) (ञ)	0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport	...	0.01 (ट) (ट)	0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01 (ड) (ड)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.09	0.09
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	24.76	24.76

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़ के कर्मचारियों को वेतन, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतनवृद्धि और पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 15.04 करोड़)	(a)	Meeting the additional requirement for the payment of Salary, DA, Annual Increment and pensionary benefits to the employees of the Punjab Engineering College, Chandigarh (₹ 15.04 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, संकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(b)	Meeting the additional requirement for the making the payment to the outsourced staff deployed under Water Supply and Sanitation (₹ 4.66 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.
(ग)	जल आपूर्ति एवं सफाई के अंतर्गत तैनात आउटसोर्स करके नियुक्त कर्मचारियों को भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 4.66 करोड़)।	(c)	Meeting the additional requirement for making the payment to the Overtime allowance to the driver and conductors of Transport Department (₹ 6 crore) and POL for the transport buses due to enhancement in the rates of POL and increase in its consumption (₹ 14 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.
	इसमें नकद व्यय होगा।		
	परिवहन विभाग के ड्राइवर और कंडक्टरों को समयोपरि भत्ते का भुगतान (₹ 6 करोड़) और पीओएल की दरों में संवर्धन और इसकी खपत में वृद्धि (₹ 14 करोड़) के कारण बसों के परिवहन के लिए तेल की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।		
	इसमें नकद व्यय होगा।		

(घ)	300 मीटर शूटिंग रेंज और इसकी चाहरदीवारी के नवीकरण, उच्च न्यायालय में सुरक्षा कार्मिकों के लिए आवास, विभिन्न पुलिस स्टेशनों का उन्नयन इत्यादि (₹ 3.88 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Meeting the additional requirement for renovation of 300 Metre shooting Range and its boundary wall, accommodation for security personnel at High Court, upgradation of various Police Stations etc. (₹ 3.88 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	सीसीईटी, 26 में वर्कशाप ब्लॉक और इसके मौजूदा प्रयोगशालाओं का विस्तारण (₹ 1.17 करोड़) और वास्तुविद कालेज में एम आर्क ब्लॉक के निर्माण (₹ 0.50 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	Meeting the additional requirement for extension of workshop block in CCET, 26 and their existing labs etc. (₹ 1.17 crore) and construction of M. Arch Block in Architect College (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	36 अदद टाइप-II आवासों का निर्माण (₹ 11.28 करोड़), सरकारी मेडिकल कालेज क्रीडा में आघात केन्द्र, आपातकालीन ब्लॉक आदि (₹ 8.76 करोड़) और सेक्टर 48 में 80 बिस्तरों वाले चिकित्सालय का निर्माण और जीएमएसएच-16 का उन्नयन, मनीमाजरा और सेक्टर 22 में 50 बिस्तर वाले चिकित्सालय इत्यादि (₹ 2.52 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	Meeting the additional requirement for Construction of 36 No. Type-II Houses (₹ 11.28 crore), Sports Injury Centre, Emergency Block etc. in Govt. Medical College (₹ 8.76 crore) and Construction of 80 bedded hospital in Sector 48 and upgradation of GMSH-16, 50 Bedded in Manimajra and Sector 22 etc. (₹ 2.52 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	अंधेरे स्थानों पर रोशनी, सड़कों पर रोशनी, पुरातत्व भवनों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, सेक्टर 17 में शहरी पार्कों का पुनरुद्धार, सेक्टर 9 में सूटी कार्यालय के लिए सरकारी भवन का निर्माण, विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण एवं मरम्मत विभिन्न सरकारी भवनों का उन्नयन, साइकिल ट्रैक, बस पंक्ति शेल्टर्स और आईटी पार्क के विभिन्न विकासात्मक कार्यों इत्यादि (₹ 51.99 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(g)	Meeting the additional requirement for removal of dark spots, street lighting; preservation and restoration of heritage buildings; revitalization of Urban Parks in Sector 17, Construction of Government Building for UT Office in Sector 9, widening and recarpeting of various roads, upgradation of various Govt. buildings, cycle tracks, bus que shelters and various developments works of IT Park etc. (₹ 51.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	सरकारी आईटीआई, सेक्टर 28 और सेक्टर 11 में केन्द्रीय हस्तशिल्प संस्थान के उन्नयन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.46 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(h)	Meeting the additional requirement for upgradation of Govt. ITI, Sec. 28 and Central Crafts Instt. Sec. 11 etc. (₹ 0.46 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	चेन लिंक बाड़ की स्थापना रिटेनिंग दीवारों का निर्माण, पत्थर की चिनाई, ग्रेड स्टैबलाइजर, पुश्ता इत्यादि के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(i)	Meeting the additional requirement for installation of chain link fencing, construction of retaining walls, stone masonry, Grade stabilizer, revetment etc. (₹ 2 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ञ)	उत्तर मार्ग से कैबाला और रेलवे लाइट प्वाइंट से दरिया गांव तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत सहित विभिन्न गांवों की विभिन्न लिंक/फिर्नी सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 2.30 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(j)	Meeting the additional requirement for widening and recarpeting of various links/phirni roads of various villages including recarpeting of roads leading from Uttar Marg to Kaimbala and Railway Light Point to village Daria (₹ 2.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	सीटीयू वर्कशाप डिपो I एवं II के उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 1.79 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(k)	Meeting the additional requirement for upgradation of CTU workshop Depots I & II (₹ 1.79 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	पर्यावरण भवन, सेक्टर 19 के उन्नयन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.12 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(l)	Meeting the additional requirement for upgradation of Environment Building, Sector 19 (₹ 0.12 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51
दादरा और नगर हवेली
DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	802.99	803.00
पूंजी	Capital	...	318.34	318.34
जोड़	Total	0.01	1121.33	1121.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	19.86	19.86
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	19.87	19.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	1141.20	1141.21
राजस्व	Revenue	0.01	822.85	822.86
पूंजी	Capital	...	318.35	318.35

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2217-शहरी विकास	...	19.86	(क)	19.86
पूंजी भाग				
मुख्य शीर्ष				
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	...	0.01	(ख)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	19.87	19.87

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) स्मार्ट सिटी के कार्यान्वयन के लिए सिलवासा नगरपालिका परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 22.49 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 19.86 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Meeting the additional requirement for release of Grant in Aid for Creation of Capital Asset to Silvassa Municipal Council for implementation of Smart City (₹ 22.49 crore). Taking into account the saving available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में 21 चैक बांधों के निर्माण के भुगतान हेतु अतिरिक्त देनदारियों को पूरी करने के लिए (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Meeting the additional liabilities to pay for construction of 21 Check Dams in various wildlife sanctuaries (₹ 2 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 51 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1130.61	1130.61
पूंजी	Capital	...	266.70	266.70
जोड़	Total	...	1397.31	1397.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1397.35	1397.35
राजस्व	Revenue	...	1130.64	1130.64
पूंजी	Capital	...	266.71	266.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.01	(क) 0.01
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	स्थापना व्यय, खेलकूद एवं क्रीड़ा/कार्यक्रमों का आयोजन, फिटनेस केंद्रों के लिए स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की खरीद, एसोसिएशनों तथा क्षेत्रीय खेलकूद परिषदों को वित्तीय सहायता हेतु प्रयोजन शीर्ष सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.40 करोड़)।	(a)	Meeting the additional expenditure under object head Grant-in-aid, towards Establishment Expenses, Organizing Sports & Games/events, purchase of Health Care equipment to fitness centres, Financial Assistance to Associations and Regional Sports Councils (₹ 0.40 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	स्थापना व्यय, लक्षद्वीप कला अकादमी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रयोजन शीर्ष सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.75 करोड़)।	(b)	Meeting the additional expenditure under object head Grant-in-aid, towards Establishment Expenses, Organizing Cultural Programmes etc. through Lakshadweep Kala Academy (₹ 0.75 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 54

दिल्ली को अंतरण

TRANSFERS TO DELHI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	790.00	790.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	790.00	790.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	77.41	77.41
जोड़	Total	...	77.41	77.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	2.59	2.59
जोड़	Total	...	2.59	2.59
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	870.00	870.00
राजस्व	Revenue	...	790.00	790.00
पूंजी	Capital	...	80.00	80.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602-Loans and Advances to Union Territory Governments	...	2.59	2.59

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जेआईसीए से सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए निधियां मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 2.59 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 2.51 करोड़ की बचत को देखते हुए, तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें ₹ 0.08 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

For meeting additional requirement for providing funds for JICA assisted Externally Aided Project. (₹ 2.59 crore).

Taking into account the savings of ₹ 2.51 crore available in the Revenue Section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 0.08 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 55
पुदुचेरी को अंतरण
TRANSFERS TO PUDUCHERRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1476.00	1476.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1476.00	1476.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	49.61	49.61
जोड़	Total	...	49.62	49.62
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1525.62	1525.62
राजस्व	Revenue	...	1476.01	1476.01
पूंजी	Capital	...	49.61	49.61

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3602-संच राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(क)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7602-संच राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602-Loans and Advances to Union Territory Governments	...	49.61	(ख)	49.61
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	49.62		49.62

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	2012-13 के सूखे के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता देना (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	For providing financial assistance as approved by High Level Committee for drought 2012-13 (₹ 0.01 crore) Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
(ख)	एएफडी से सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना हेतु नया लेखा शीर्ष खोलने और पुदुचेरी को सहायता हेतु प्रावधान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 49.61 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।	(b)	For meeting additional requirement for opening of new head of account and making provision for assistance to Puducherry for AFD assisted Externally Aided Project (₹ 49.61 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 0 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 0 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	88.22	25509.93	25598.15
पूंजी	Capital	101.16	16314.69	16415.85
जोड़	Total	189.38	41824.62	42014.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	4.00	1.63	5.63
पूंजी	Capital	...	0.05	0.05
जोड़	Total	4.00	1.68	5.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	7635.00	7635.00
पूंजी	Capital	...	600.02	600.02
जोड़	Total	...	8235.02	8235.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	193.38	50061.32	50254.70
राजस्व	Revenue	92.22	33146.56	33238.78
पूंजी	Capital	101.16	16914.76	17015.92

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	10.00	(क) 10.00
2216-आवास	2216-Housing	...	2023.08	(ख) 2023.08
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	45.00	(ग) 45.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.24	(घ) 0.24
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	5536.18	(ङ) 5536.18
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	20.50	(च) 20.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	7635.00	7635.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(छ) 0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(ज) 0.01
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	6217-Loans for Urban Development	...	600.00	(झ) 600.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	600.02	600.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	8235.02	8235.02

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2216-आवास	2216-Housing	...	(-)2003.08	(-)2003.08
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)4482.42	(-)4482.42
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)19.50	(-)19.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)6505.00	(-)6505.00

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं
(क) समूचे देश में कार्यालय भवन के जारी निर्माण कार्य और अनुरक्षण के लिए (₹ 10 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:
(a) ongoing work and maintenance of Office Building all over country (₹ 10 crore)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	
(ख) (i)	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) स्कीम के लिए ईबीआर के माध्यम से उगाहे गए ऋण पर व्याज के भुगतान (₹ 702 करोड़), संसदीय आवासों का अनुरक्षण और मरम्मत (₹ 10 करोड़), समूचे देश में सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) का अनुरक्षण और मरम्मत (₹ 20 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
(ii)	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को "अंतर लेखा अंतरण" (₹ 2003.08 करोड़)।
(iii)	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई) स्कीम केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की जाएगी (₹ 2003.08 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग तथा अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के बाद इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	
(ग)	शेष देयताओं को पूरा करने के लिए और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 40 करोड़)।
इसमें नकद व्यय होगा।	
(घ)	अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के अंतर्गत भुगतान करने के लिए (₹ 0.24 करोड़)।
इसमें नकद व्यय होगा।	
(ङ) (i)	(i) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 98 करोड़) (ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के अंतर्गत राज्यों को जारी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 153.76 करोड़) और अमृत स्कीम के अंतर्गत राज्यों की अनुमोदित एसएएपी के किस्तों की निर्मुक्ति के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 400 करोड़), (iii) स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एमबीएम-यू) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 500 करोड़)।
(ii)	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को "अंतर लेखा अंतरण" (₹ 4484.42 करोड़)।
(iii)	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई) स्कीम केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की जाएगी (₹ 4482.42 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग तथा अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के बाद इसमें ₹ 553.76 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।	
(च) (i)	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) स्कीम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निर्मुक्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)।
(ii)	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को "अंतर लेखा अंतरण" (₹ 19.50 करोड़)
(iii)	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई) स्कीम केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की जाएगी (₹ 19.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों की समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।	
(छ)	सांविधिक और संसदीय अध्ययन संस्थान से संबंधित कार्य (₹ 5 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(ज)	श्रम भवन, चंडीगढ़ के लिए कार्यालय भवन (₹ 2 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(झ)	मुंबई मेट्रो को पास-श्रू सहायता के लिए ऋण एवं अग्रिम (₹ 600 करोड़)।
इसमें नकद व्यय होगा।	
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;	
(b) (i)	Grants in Aid General for payment of interest on loan raised through EBR for Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Scheme (₹ 702 crore), Maintenance and Repairs of Parliamentary Residences (₹ 10 crore), Maintenance and Repairs of General Pool Residential Accommodation (GPRA) all over country (₹ 20 crore).
(ii)	"Inter Account Transfer" to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 2003.08 crore)
(iii)	Pradhan Mantri Awas Yojana -Urban (PMAY) Scheme is to be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 2003.08 crore).
Taking into account the matching recoveries of ₹ 2003.08 crore in the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant and surrender of savings of ₹ 20 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.	
(c)	Grants in Aid General (₹ 5 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 40 crore) for clearing the remaining liabilities and timely completion of the projects under Deendayal Antyodaya Yojana - National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) Scheme for NER States.
The above expenditure will entail a cash outgo;	
(d)	payment under Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) Scheme for NER States under Other Administrative Expenses (₹ 0.24 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;	
(e) (i)	(i) Grants in Aid General for Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) Scheme for NER States (₹ 98 crore) (ii) Grants in Aid General for release to State under Deendayal Antyodaya Yojana -National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) (₹ 153.76 crore) and Grants for creation of capital assets for release of instalments of approved SAAPs of States under AMRUT Scheme (₹ 400 crore) (iii) Grants for creation of capital assets for the Scheme Swachh Bharat Mission-Urban (SBM-U) (₹ 500 crore).
(ii)	"Inter Account Transfer" to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 4482.42 crore).
(iii)	Pradhan Mantri Awas Yojana -Urban (PMAY) Scheme is to be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 4482.42 crore).
Taking into account the matching recoveries of ₹ 4482.42 crore in the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant and surrender of savings of ₹ 500 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail ₹ 553.76 crore additional cash outgo.	
(f) (i)	Grants in Aid General for release to Union Territory Governments under Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) Scheme (₹ 1 crore).
(ii)	"Inter Account Transfer" to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 19.50 crore).
(iii)	Pradhan Mantri Awas Yojana -Urban (PMAY) Scheme is to be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 19.50 crore).
Taking into account the matching recoveries of ₹ 19.50 crore in the Grant, the above expenditure will entail ₹ 1 crore additional cash outgo.	
(g)	works related to Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (₹ 5 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(h)	Office Building for Labour Bhawan, Chandigarh (₹ 2 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(i)	Loans and Advances for Pass Through Assistance to Mumbai Metro (₹ 600 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55-56 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 55-56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	82516.30	82516.30
पूंजी	Capital
जोड़	Total	82516.30	82516.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	113.81	113.81
पूंजी	Capital
जोड़	Total	113.81	113.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	4762.75	4762.75
पूंजी	Capital
जोड़	Total	4762.75	4762.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	87392.86	87392.86
राजस्व	Revenue	87392.86	87392.86
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	3197.94	(का) 3197.94
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	1564.80	(गक) 1564.80
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	4762.75	4762.75

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	(-)2628.75	(-)2628.75
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	(-)569.19	(-)569.19
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)1564.80	(-)1564.80
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)4762.74	(-)4762.74

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) (i) (1) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹ 897.20 करोड़) और (2) मध्याह्न भोजन (एमडीएम) (₹ 6.12 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता-अनुदान, (ii) इन स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) नवोदय विद्यालय समिति (₹ 211.68 करोड़) और (2) मध्याह्न भोजन (₹ 14.35 करोड़), (iii) एनवीएस के अंतर्गत वेतन सहायता-अनुदान (₹ 1549.87 करोड़), (iv) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम में व्यावसायिक सेवाएं (वस्तु शीर्ष 28) - ₹ 8.00 करोड़, (v) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतर लेखा अंतरण (₹ 2925.85 करोड़), (vi) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतर लेखा अंतरण - ₹ 272.09 करोड़।

केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में उपलब्ध ₹ 2925.85 करोड़, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में उपलब्ध ₹ 272.09 करोड़ की समतुल्य वसूली तथा आंतरिक बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grant-in-Aid General under the Scheme (1) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹ 897.20 crore) and (2) Mid Day Meal (MDM) (₹ 6.12 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (1) NVS (₹ 211.68 crore) and (2) MDM (₹ 14.35 crore), (iii) Grant-in-Aid Salary under the Scheme NVS (₹ 1549.87 crore), (iv) Professional Services (Object Head 28) in the Scheme of Sarva Shiksha Abhiyan - ₹ 8.00 crore, (v) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (₹ 2925.85 crore) and (vi) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK) - ₹ 272.09 crore.

Taking into account the matching recovery of ₹ 2925.85 crore available in Central Road and Infrastructure Fund , ₹ 272.09 crore available in Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh and internal savings , the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (ख) (i) (1) एनवीएस (₹ 110.10 करोड़), और (2) आरएमएसए (₹ 272.09 करोड़) (b) (i) Grant-in-Aid General under the Scheme (1) NVS (₹ 110.10 crore) and (2) RMSA (₹ 272.09 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (1) NVS (₹ 50 crore), and (2) RMSA (₹ 100 crore) and (iii) Grants-in-Aid Salary under the Scheme NVS (₹ 191.60 crore).
स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता-अनुदान। (ii) एनवीएस (₹ 50 करोड़), और (2) आरएमएसए (₹ 100 करोड़), स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (iii) एनवीएस (₹ 191.60 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता-अनुदान।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ग) (I) (i) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम में सामान्य सहायता-अनुदान (प्रयोजन शीर्ष-31) (₹ 1564.80 करोड़) और (ii) प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतर लेखा अंतरण- (₹ 1564.80 करोड़). (c) (I) (i) Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) - (₹ 1564.80 crore) and (ii) Inter Account Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh - (₹ 1564.80 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44-45 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57-58 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 44-45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 57-58 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue ...	46778.08	46778.08
पूँजी	Capital ...	2752.00	2752.00
जोड़	Total ...	49530.08	49530.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue ...	0.07	0.07
पूँजी	Capital
जोड़	Total ...	0.07	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue ...	784.33	784.33
पूँजी	Capital
जोड़	Total ...	784.33	784.33
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary) ...	50314.48	50314.48
राजस्व	Revenue ...	47562.48	47562.48
पूँजी	Capital ...	2752.00	2752.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	279.00 (क) 279.00
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	505.32 (ख) 505.32
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	784.33

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	(-)279.00 (-)279.00
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	(-)505.32 (-)505.32
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)784.32 (-)784.32

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	(i) योजना के अन्तर्गत अनुदान सहायता (1) नेशनल कमीशन फार माइनाटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स (₹ 2 करोड़), (2) भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़), (3) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 100 करोड़), (4) नेशनल मिशन आन टीचर्स एण्ड टीचिंग (₹ 9 करोड़) (5) शास्त्री इण्डो कनेडियन इंस्टीट्यूट (₹ 2.51 करोड़), तथा (ii) भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 8 करोड़) तथा (iii) योजनाओं के अन्तर्गत वेतन अनुदान सहायता (1) भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु अनुदान (₹ 10.00 करोड़), (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता (₹ 200 करोड़) और (3) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 279.00 करोड़) (iv) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष को अंतः लेखा अंतरण (एमयूएसके) (₹ 505.32 करोड़)।	(a)	(i)	(i) Grants-in-aid General under the schemes (1) National Commission for Minority Educational Institutions (₹ 2 crore), (2) Grants for promotion of Indian languages [₹ 10 crore], (3) Grants to Central Universities [₹ 100 crore], (4) National Mission on Teachers and Teaching [₹ 9 crore], and (5) Shastri Indo- Canadian Institute [₹ 2.51 crore] , (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme Grants for promotion of Indian languages [₹ 8 crore], (iii) Grant-in-aid Salaries under the schemes (1) Grants for promotion of Indian languages [₹ 10.00 crore], (2) Support to University Grants Commission [₹ 200 crore] and (3) Grants to Central Universities [₹ 279.00 crore] and (iv) Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh (MUSK) [₹ 505.32 crore].
		₹ 279.00 करोड़ की समतुल्य वसूली को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।			Taking into account matching recovery of ₹ 279 crore, this will not entail any additional cash outgo.
(ख)	(i)	(i) योजना के तहत सामान्य सहायता में अनुदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) (₹ 18.16 करोड़) (2) भारतीय	(b)	(i)	(i) Grants-in-aid General under the scheme (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 18.16

अभियांत्रिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) (बेसू और कसट) (₹ 10 करोड़) (3) प्रशिक्षण बोर्ड, बोम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई (₹ 4.53 करोड़) (4) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, निफ्ट, राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 13.79 करोड़) (5) छात्र शोध पहल का कार्यान्वयन (₹ 11 करोड़) (6) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 10 करोड़), पीएम फेलोशिप अनुसंधान (₹ 1.50 करोड़) (7) भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) (₹ 25 करोड़) (8) नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना (आईआईएम) (₹ 51 करोड़) और (9) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (₹ 580.09 करोड़) (ii) योजनाओं के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) (₹ 7.50 करोड़) (2) प्रशिक्षण बोर्ड, बोम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई (₹ 0.64 करोड़) (3) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 17.73 करोड़) (4) छात्र शोध पहल का कार्यान्वयन (₹ 7.00 करोड़) (5) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 1.00 करोड़) (6) उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्टार्ट-अप इंडिया पहल (₹ 37 करोड़), (7) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद (ईएपी) (₹ 27 करोड़) और (8) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश (₹ 15 करोड़), (iii) इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता-अनुदान वेतन - (1) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) (₹ 28 करोड़) (2) भारतीय अभियांत्रिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) का उन्नयन (बीईएसयू और सीयूएसएटी) (₹ 25 करोड़) (3) प्रशिक्षण बोर्ड, बोम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई (₹ 1.96 करोड़), (4) स्लैट, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 2.63 करोड़) और (5) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 4.00 करोड़) और (iv) प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति के लिए योजना कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति (₹ 60 करोड़) (v) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में अंतर लेखा अंतरण (₹ 279.00 करोड़)।

- ₹ 505.32 करोड़ की समतुल्य वसूली को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
- (ग) इन योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 9.80 करोड़) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता (₹ 262.26 करोड़), (ii) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 83.52 करोड़) और (iii) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी राँची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.27 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

crore], (2) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (BESU & CUSAT) [₹ 10 crore], (3) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 4.53 Crore], (4) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 13.79 crore], (5) Implementation of the IMPRINT Research Initiative [₹ 11.00 crore], (6) National Testing Agency [₹ 10.00 crore], PM Research Fellowship [₹ 1.50 crore], (7) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [₹ 25 crore], (8) Setting up of new Indian Institute of Management (IIMs) [₹ 51 crore] and (9) National Institutes of Technology (NITs) [₹ 580.09 crore], (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 7.50 crore], (2) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 0.64 crore], (3) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 17.73 crore], (4) Implementation of the IMPRINT Research Initiative [₹ 7.00 crore], (5) National Testing Agency [₹ 1.00 crore], (6) Startup India Initiative for Higher Educational Institutions [₹ 37.00 crore], (7) Indian Institute of Technology (IIT), Hyderabad (EAP) [₹ 27 crore] and (8) Indian Institute of Technology, Andhra Pradesh [₹ 15 crore], (iii) Grants-in-aid Salaries under the scheme (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [₹ 28 crore], (2) Upgradation of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (IIEST) (BESU & CUSAT) [₹ 25 crore], (3) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 1.96 crore], (4) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 2.63 crore] and (5) National Testing Agency [₹ 4.00 crore], (iv) Scholarships /Stipends under the scheme Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends [₹ 60 crore] and (v) Inter Account Transfer to National Investment Fund (NIF) [₹ 279.00 crore].

Taking into account matching recovery of ₹ 505.32 crore, this will not entail any additional cash outgo.

- (i) Grants-in-aid General under the schemes (1) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 9.80 crore] and (2) Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 262.26 crore], (ii) Grants for creation of capital assets under the schemes Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 83.52 crore] and (iii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar [₹ 0.27 crore].

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4065.58	4065.58
पूंजी	Capital	...	23.40	23.40
जोड़	Total	...	4088.98	4088.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	11.77	11.77
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	11.77	11.77
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4100.78	4100.78
राजस्व	Revenue	...	4077.37	4077.37
पूंजी	Capital	...	23.41	23.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	11.76 (ख)	11.76
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	11.77	11.77

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एस.आर.एफ.टी.आई.) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 1.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, संकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹ 11.76 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्ण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Satyajit Ray Film and Television Institute(SRFTI) under the Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Prasar Bharati for Arun Prabha Channel under the Grants-in-aid General in North Eastern Area (₹ 11.76 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 60 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7677.75	7677.75
पूंजी	Capital	...	22.25	22.25
जोड़	Total	...	7700.00	7700.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1038.29	1038.29
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1038.29	1038.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1024.79	1024.79
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1024.79	1024.79
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	9763.08	9763.08
राजस्व	Revenue	...	9740.83	9740.83
पूंजी	Capital	...	22.25	22.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	921.62	(क) 921.62
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	103.17	(ख) 103.17
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1024.79	1024.79

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 671.57 करोड़), एससीएसपी (₹ 166.02 करोड़) और टीएसपी (₹ 84.03 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a)	Meeting additional requirement for Grants-in-Aid General (₹ 671.57 crore), Schedule Caste Sub Plan (₹ 166.02 crore) and Tribal Sub Plan (₹ 84.03 crore) under the scheme of 'Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana'.
(ख)	इसमें नकद व्यय होगा। 'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 103.17 करोड़)।	(b)	The above expenditure will entail a cash outgo; Meeting additional requirement for Grants-in-aid General under the scheme of 'Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana' (₹ 103.17 crore).
	इसमें नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 61 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2586.33	2586.33
पूंजी	Capital	...	1800.00	1800.00
जोड़	Total	...	4386.33	4386.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	535.00	535.00
जोड़	Total	...	535.03	535.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	1637.14	1637.14
जोड़	Total	...	1637.14	1637.14
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6558.50	6558.50
राजस्व	Revenue	...	2586.36	2586.36
पूंजी	Capital	...	3972.14	3972.14
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	1637.14	1637.14

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लोक सभा चुनाव, 2019 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए (₹ 1637.17 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.03 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1637.14 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

making payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails for Lok Sabha Election, 2019 (1637.17 crore)

Taking into account savings of ₹ 0.03 crore available in the same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 1637.14 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	248.66	248.66
पूंजी	Capital	...	19.30	19.30
जोड़	Total	...	267.96	267.96
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	267.97	267.97
राजस्व	Revenue	...	248.66	248.66
पूंजी	Capital	...	19.31	19.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

द्वारा में भारत के निर्वाचन आयोग के लिए भूमि की खरीद और अतिरिक्त कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के लिए शीर्ष खोलने हेतु (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

opening of head for purchase of land and construction work of additional Office Building for Election Commission of India at Dwarka (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 63 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	251.06	...	251.06
पूंजी	Capital
जोड़	Total	251.06	...	251.06
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	7.47	...	7.47
पूंजी	Capital
जोड़	Total	7.47	...	7.47
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	258.53	...	258.53
राजस्व	Revenue	258.53	...	258.53
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	7.47	...	7.47

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹ 5.00 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹ 1.00 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं
(₹ 1.47 करोड़) पर व्यय पूरा करने के लिए।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting expenditure on Salaries (₹ 5.00 crore), Medical
Treatment (₹ 1.00 crore) and Professional Services (₹ 1.47 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 63 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6540.04	6540.04
पूंजी	Capital	...	12.57	12.57
जोड़	Total	...	6552.61	6552.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	8.50	8.50
जोड़	Total	...	8.54	8.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6561.17	6561.17
राजस्व	Revenue	...	6540.10	6540.10
पूंजी	Capital	...	21.07	21.07

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (क)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.02	0.02
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2552-North Eastern Areas	...	0.01 (क)	0.01
2851-Village and Small Industries	...	0.01 (ख)	0.01
Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) 'क्रेडिट सहायता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत अंशदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.67 करोड़) तथा (ii) 'खादी अनुदान' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 9.53 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(i) Meeting additional requirement for contribution under the scheme 'Credit Support Programme' (₹ 3.67 crore) and (ii) Meeting additional requirement for Grant-in-aid General under the scheme 'Khadi Grant' (₹ 9.53 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत अंशदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 15.00 करोड़), (ii) 'क्रेडिट सहायता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत अंशदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 10.00 करोड़), (iii) 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र' स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5.00 करोड़), (iv) 'आंकड़ा आधार का उन्नयन' स्कीम के अंतर्गत प्रकाशन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.01 करोड़), (v) 'राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.01 करोड़), (vi) 'विपणन विकास सहायता' स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 2.50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.05 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) और सस्मिडियां (₹ 2.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए और (vii) 'उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम-संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत एफटीई (₹ 0.05 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1.50 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए तथा (viii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 192.59 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान अनुसूचित घटक (₹ 18.32 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 19.56 करोड़)।	(b)	(i) Meeting additional requirement for contribution under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' (₹ 15.00 crore), (ii) Meeting additional requirement for contribution under the scheme 'Credit Support Programme' (₹ 10.00 crore), (iii) Meeting additional requirement for Advertising and Publicity under the scheme 'National Scheduled Caste / Scheduled Tribes Hub Centre' (₹ 5.00 crore), (iv) Meeting additional requirement for Publications under the scheme 'Up gradation of Data Base' (₹ 0.01 crore), (v) Meeting additional requirement for Advertising and publicity under the scheme 'National Manufacturing Competitiveness Programme' (₹ 0.01 crore), (vi) Meeting additional requirement for Advertising & Publicity (₹ 2.50 crore), Professional Services (₹ 0.05 crore), Grants in aid General (₹ 1.00 crore) and subsidies (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Marketing Development Assistance' (vii) Meeting the additional requirement for FTE (₹ 0.05 crore), Professional Services (₹ 1.50 crore) and Grants in Aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Entrepreneurship and Skill Development Programme - Promotional Service Institutions and Programme' and (viii) Meeting additional requirement for Grant-in-aid General (₹ 192.59 crore), Grant-in-aid General SC Component (₹ 18.32 crore) and Grant-in-aid General ST Component (₹ 19.56 crore) under the scheme 'Khadi Grant'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.05	1899.25	1899.30
पूंजी	Capital	...	170.22	170.22
जोड़	Total	0.05	2069.47	2069.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	95.01	95.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	95.01	95.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.05	2164.49	2164.54
राजस्व	Revenue	0.05	1994.27	1994.32
पूंजी	Capital	...	170.22	170.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) 'भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण' स्कीम के अंतर्गत वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 73.50 करोड़), (ii) 'भारतीय खान ब्यूरो' स्कीम के अंतर्गत वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 13.50 करोड़) और (iii) 'खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.88 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Meeting the additional requirement for Salaries under the scheme 'Geological Survey of India' (₹ 73.50 crore), (ii) Meeting the additional requirement for Salaries under the scheme 'Indian Bureau of Mines' (₹ 13.50 crore) and (iii) Meeting the additional requirement for Grants in aid Salaries under the scheme 'Mineral Exploration Corporation Ltd.' (₹ 0.88 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 66 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	4534.96	4534.96
पूंजी	Capital	165.04	165.04
जोड़	Total	4700.00	4700.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	0.02	0.02
पूंजी	Capital	8.18	8.18
जोड़	Total	8.20	8.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4708.23	4708.23
राजस्व	Revenue	4535.01	4535.01
पूंजी	Capital	173.22	173.22

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	0.01	(क)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	0.01	(ख)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01	(ग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.03		0.03

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) बहुक्षेत्रीय विकास स्कीम (एमएसडीपी) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4 करोड़) तथा (ii) हमारी धरोहर स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Multi Sectorial Development Scheme (MsDP) (₹ 4 crore) and (ii) GIA General under the scheme Hamari Dharohar (₹ 2 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	अनुसंधान अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन स्कीमों के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 6 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Professional Services under the Research Studies, monitoring and evaluation schemes (₹ 6 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	बहुक्षेत्रीय विकास स्कीम (एमएसडीपी) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 14.60 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Multi Sectorial Development Scheme (MsDP) (₹ 14.60 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 67

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 67 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5106.23	5106.23
पूंजी	Capital	...	40.40	40.40
जोड़	Total	...	5146.63	5146.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5146.66	5146.66
राजस्व	Revenue	...	5106.26	5106.26
पूंजी	Capital	...	40.40	40.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	सौर ऊर्जा (ग्रिड इंटरैक्टिव पुनर्मुजित ऊर्जा) योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अतिरिक्त निधि मुहैया कराना (₹ 80.00 करोड़);	(a)	providing additional fund for Grant for Creation of Capital Assets for North Eastern Region under the Scheme 'Solar Power' (Grid Interactive Renewable Power) (₹ 80.00 crores);
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	'वाइन्ड पावर' (ग्रिड इंटरैक्टिव पुनर्मुजित ऊर्जा) योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 100.00 करोड़)।	(b)	providing additional funds for subsidy under the Scheme 'Wind Power (Grid Interactive Renewable Power)' (₹ 100.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 72

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 71 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	27391.55	27391.55
पूंजी	Capital	...	3709.00	3709.00
जोड़	Total	...	31100.55	31100.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1708.03	1708.03
पूंजी	Capital	...	250.18	250.18
जोड़	Total	...	1958.21	1958.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1364.19	1364.19
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1364.19	1364.19
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	34422.95	34422.95
राजस्व	Revenue	...	30463.77	30463.77
पूंजी	Capital	...	3959.18	3959.18

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	1364.19	1364.19

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्य सरकारों को विभेदक रायल्टी का भुगतान योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां मुहैया कराने के लिए (₹ 1929.49 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 565.30 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 1364.19 करोड़ नगद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

providing additional funds under the scheme 'Payment of Differential Royalty to State Governments' (₹ 1929.49 crore).

Taking into account the savings of ₹ 565.30 crore are available with in the same section of the grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1364.19 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 72 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	338.97	338.97
पूंजी	Capital	...	0.68	0.68
जोड़	Total	...	339.65	339.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	146.86	146.86
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	146.86	146.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	486.52	486.52
राजस्व	Revenue	...	485.84	485.84
पूंजी	Capital	...	0.68	0.68

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान' (₹ 1.50 करोड़) तथा (ii) भारत की ऊर्जा नीतियों के लिए प्रस्तावित 'गहन समीक्षा' के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण (आईईए) को 50000 यूरो के स्वैच्छिक अंशदान के व्यय को पूरा करने के लिए 'अंशदान' (₹ 0.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) 'Grant in Aid General' for National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD) (₹ 1.50 crore) and (ii) 'Contributions' for meeting the expenditure of voluntary contribution of EUR50,000 to the International Energy Agency (IEA) for the proposed 'In Depth Review' for the energy policies of the India (₹ 0.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 74

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 73 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	13434.97	13434.97
पूंजी	Capital	...	2334.95	2334.95
जोड़	Total	...	15769.92	15769.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	713.74	713.74
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	713.75	713.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2850.00	2850.00
पूंजी	Capital	...	900.00	900.00
जोड़	Total	...	3750.00	3750.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	20233.67	20233.67
राजस्व	Revenue	...	16998.71	16998.71
पूंजी	Capital	...	3234.96	3234.96

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2801-विद्युत	2801-Power	...	2850.00	(का)	2850.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	900.00	(खब)	900.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3750.00		3750.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2801-विद्युत	2801-Power	...	(-)2850.00		(-)2850.00
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	(-)900.00		(-)900.00

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधियों का अंतरण (₹ 2850.00 करोड़) और 'समेकित विद्युत विकास योजना' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 77.59 करोड़)।
- (ii) 'राष्ट्रीय विद्युत निधि को व्याज सब्सिडी' स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 33.00 करोड़)
- (iii) 'विद्युत अपीलीय अधिकरण' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 0.02 करोड़)
- (iv) 'स्मार्ट ग्रिड' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 7.36 करोड़)।
- चूंकि केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में से ₹ 2850.00 करोड़ का व्यय पूरा किया जाएगा और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 117.97 करोड़ की बचतों का उपयोग कर लिया जाएगा इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 2850.00 crore) and providing Grant for creation of Capital Assets (₹ 77.59 crore) under the scheme 'Integrated Power Development Scheme';
- (ii) providing additional funds under the scheme 'Interest subsidies to National Electricity Fund' (₹ 33.00 crore);
- (iii) providing additional funds for Other administrative expenses under the scheme 'Appellate Tribunal for Electricity' (₹ 0.02 crore);
- (iv) providing additional funds for Grant for creation of Capital Assets under the scheme 'Smart Grid' (₹ 7.36 crore);
- As the expenditure of ₹ 2850.00 crore will be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) and utilising the savings of ₹ 117.97 crore available in the same Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(ख) 'समेकित विद्युत विकास योजना' स्कीम के अंतर्गत आबंटन हेतु केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को निधियों का अंतरण (₹ 900.00 करोड़)। (b)

चूंकि समेकित विद्युत विकास योजना स्कीम के अंतर्गत व्यय केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में से पूरा किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) to provide allocation under the scheme 'Integrated Power Development Scheme' (₹ 900.00 crore)

As the expenditure under the scheme Integrated Power Development Scheme will be met from Central Road and Infrastructure Fund (CRIF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 75 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		भारित Charged	(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	60.05	...	60.05
पूंजी	Capital
जोड़	Total	60.05	...	60.05
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.42	...	0.42
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.42	...	0.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	60.47	...	60.47
राजस्व	Revenue	60.47	...	60.47
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	0.42	...	0.42

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अन्य प्रशासनिक व्यय' के तहत व्यय पूरा करना (₹ 0.20 करोड़) (ii) खराब वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु 'कार्यालय' व्यय के तहत व्यय पूरा करना (₹ 0.22 करोड़)।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

- (i) meeting expenditure under 'Other Admn. Expenditure' on Staff Training (₹ 0.20 crore) (ii) meeting expenditure under 'Office Expenses' for replacement of condemned vehicles (₹ 0.22 crore).
The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 77

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.22	386.72	387.94
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.22	386.72	387.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.13	23.84	24.97
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.13	23.84	24.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	23.37	23.37
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	23.37	23.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.35	433.93	436.28
राजस्व	Revenue	2.35	433.93	436.28
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	...	23.37	23.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पांचवें संसदीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन और मजदूरी का व्यय पूरा करना।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on salary and wages on implementation of the recommendations of the Fifth Parliamentary Pay Committee.

The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 80

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 77 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	395.93	252703.08	253099.01
पूंजी	Capital	167.46	193103.31	193270.77
जोड़	Total	563.39	445806.39	446369.78
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	46.00	...	46.00
पूंजी	Capital	191.65	0.01	191.66
जोड़	Total	237.65	0.01	237.66
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	801.04	445806.43	446607.47
राजस्व	Revenue	441.93	252703.09	253145.02
पूंजी	Capital	359.11	193103.34	193462.45

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3002-भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्यशील व्यय	3002-Indian Railways - Commercial Lines - Working Expenses	46.00 (का)	...	46.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	191.65 (खब)	0.01 (गc)	191.66
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	237.65	0.01	237.66

य पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	अदालती डिफ्रियों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के राजस्व-स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting additional expenditure arising out of court decrees; Taking into account the savings available in the revenue - voted section of the Grant, a technical supplementary is sought;
(ख)	अदालती फैसलों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के राजस्व-स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting additional expenditure arising out of court orders. Taking into account the savings available in the capital - voted section of the Grant, a technical supplementary is sought.;
(ग)	(i) मनामदुरै-रामेश्वरम - दक्षिण रेलवे के लिए पुल निर्माण कार्य शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 248.97 करोड़ की लागत से नेविगेशनल लिफ्ट स्पैन सहित पुल (पंबन वायाडक्ट) का पुनर्निर्माण (ii) हजारीबाग नगर-पूर्व मध्य रेलवे के लिए 'उत्पादन इकाइयों सहित कारखाने' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 28.19 करोड़ की लागत से कोच अनुरक्षण डिपो (चरण-1) का प्रावधान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	(i) Manamadurai-Rameswaram - Reconstruction of bridge (Pamban Viaduct) with navigational lift span, costing ₹ 248.97 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, under the head 'Bridge Works' for Southern Railway; (ii) Hazaribagh Town - Provision for coach maintenance depot (Phase-1), costing ₹ 28.19 crore under the head 'Workshops including Production Units' for East Central Railway; Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 81

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 81 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	23153.10
पूंजी	Capital	10.00	118170.50
जोड़	Total	10.00	141323.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	0.01
पूंजी	Capital	...	8565.40
जोड़	Total	...	8565.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.02
पूंजी	Capital	...	9683.50
जोड़	Total	...	9683.52
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	159572.53
राजस्व	Revenue	...	23153.13
पूंजी	Capital	10.00	136419.40

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>		जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(क) (a)	0.01
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	0.01	(ख) (b)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	9683.50	(ग) (c)	9683.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	9683.52		9683.52

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)4840.75	(-)4840.75
--	--	-----	------------	------------

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सड़कों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.51 करोड़)।	(a)	(i)	Grants for creation of Capital Assets for roads in Andaman & Nicobar Islands (₹ 2.51 crore).
	(ii)	प्रचालन-पूर्व खर्चों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.12 करोड़)।		(ii)	Grants-in-aid General to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited for meeting pre-operative expenses (₹ 0.12 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)		सड़क सुरक्षा और प्रदूषण जांच उपकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पर अन्य प्रभागों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 0.50 करोड़)।	(b)		additional expenditure under Other Charges on account of Road Safety and Pollution Testing Equipment and Programme Implementation (₹ 0.50 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i)	राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मौद्रिकरण को निधियों का अंतर लेखा अंतरण (₹ 4840.75 करोड़)।	(c)	(i)	Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highways Fund (₹ 4840.75 crore).

- (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मौद्रिकरण में से वित्तपोषित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश (₹ 4840.75 करोड़)। इसकी पूर्ति समतुल्य वसूलियों से हो जाएगी।
- (iii) सीआरआईएफ में से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (₹ 2200 करोड़)।
- (iv) एकीकृत आईपी आधारित सुरक्षा एवं निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यालयी व्यय (₹ 2.50 करोड़)।
- (v) बोनस शेयरों के अभिदान के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 2 करोड़)। इसकी पूर्ति समतुल्य नोशनल प्राप्तियों से हो जाएगी।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और समतुल्य वसूलियों और प्राप्तियों को ध्यान में रखने के पश्चात, इसमें ₹ 4840.75 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ii) Investment in NHAI financed from Monetization of National Highways Fund (₹ 4840.75 crore). This will be matched by recoveries.
- (iii) additional expenditure for Major Works under the National Highways Original Works financed from CRIF (₹ 2200 crore).
- (iv) Office Expenses on Information Technology for purchase of integrated IP based Security and Surveillance System (2.50 crore).
- (v) additional equity investment in National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited by way of subscribing bonus shares (₹ 2 crore). This will be matched by notional receipts.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant and after matching recoveries and receipts, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 4840.75 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 82

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 83 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	183393.17	183393.17
पूंजी	Capital	...	5.25	5.25
जोड़	Total	...	183398.42	183398.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6084.16	6084.16
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	6084.17	6084.17
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	189482.61	189482.61
राजस्व	Revenue	...	189477.35	189477.35
पूंजी	Capital	...	5.26	5.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) सचिवालय के अंतर्गत कार्यालय भवन की मरम्मत के लिए आवंटन मुहैया कराने के लिए नए प्रयोजन शीर्ष को खोलना (₹ 0.20 करोड़);
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए संकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी वितरण के लिए सेवा प्रभागों के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना (₹ 100 करोड़);
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए संकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) opening of new object head for providing allocation for repairs of office building under secretariat (₹ 0.20 crore);
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional fund for service charges for wage disbursement under the scheme National Rural Employment Guarantee Scheme (₹ 100 crore);
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 85 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5067.36	5067.38
पूंजी	Capital	...	67.50	67.50
जोड़	Total	0.02	5134.86	5134.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	5134.90	5134.92
राजस्व	Revenue	0.02	5067.39	5067.41
पूंजी	Capital	...	67.51	67.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन (₹ 40 करोड़), राष्ट्रीय अंतर्विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन (₹ 0.01 करोड़), अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाली स्कीम का कार्यान्वयन (₹ 53.50 करोड़), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण के अंतर्गत इंस्पायर पुरस्कार-मानक के अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 1 करोड़), तथा नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन के अंतर्गत स्वच्छता कार्यवाई योजना (₹ 0.01 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान (ii) नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन (₹ 30 करोड़) और राष्ट्रीय अंतर्विषयक साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन (₹ 0.01 करोड़) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards (i) Grants in Aid General for Innovation Technology Development and Deployment (₹ 40 crore), National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System (₹ 0.01 crore), Impacting Research, Innovation and Technology (₹ 53.50 crore), Special Component Plan for Schedule Castes of INSPIRE Award -Manak under Science & Technology Institutional and Human Capacity Building (₹ 1 crore) and to Swachhata Action Plan identified under Innovation Technology Development and Deployment (₹ 0.01) (ii) Grants for creation of capital Assets for Innovation Technology Development and Deployment (₹ 30 crore) and to National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System (₹ 0.01 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2411.53	2411.53
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2411.53	2411.53
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2411.57	2411.57
राजस्व	Revenue	...	2411.57	2411.57
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों के लिए व्यय पूरा करना (₹ 12.08 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वायत्त संस्थानों को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.70 करोड़), (ii) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 20.90 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets for Biotechnology Research & Development (₹ 12.08 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure towards (i) Grants in Aid Salary to Assistance to Autonomous Institutions (₹ 0.70 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets for Biotechnology Research & Development (₹ 20.90 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	4786.97	4786.97
पूंजी	Capital	9.00	9.00
जोड़	Total	4795.97	4795.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4795.98	4795.98
राजस्व	Revenue	4786.98	4786.98
पूंजी	Capital	9.00	9.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सीएसआईआर के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 21.78 करोड़) (ii) औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के पेटेंट अधिग्रहण एवं सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (पेस) के अंतर्गत सन्निडी (₹ 0.54 करोड़) (iii) औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के पेटेंट अधिग्रहण एवं सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.27 करोड़) (iv) औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के औद्योगिक आरएण्डी एवं सामान्य अनुसंधान सुविधाओं (बीआईआरडी) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़)। (v) औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के तकनीकी विकास एवं प्रसार के लिए ज्ञान प्रामि (ए2के+) के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards (i) Grants-in-Aid Salaries (₹ 21.78 crore) for National Laboratories of CSIR (ii) Subsidy (₹ 0.54 crore) under Patent Acquisition and Collaborative Research & Technology Development (PACE) of Industrial Research & Development Scheme (iii) Grants-in-Aid General (₹ 0.27 crore) under Patent Acquisition and Collaborative Research & Technology Development (PACE) of Industrial Research & Development Scheme (iv) Grants for creation of capital assets (₹ 2.50 crore) under Building Industrial R&D and Common Research Facilities (BIRD) of Industrial Research & Development Scheme (v) Other Administrative Expenses (₹ 0.01 crore) under Access to Knowledge for Technology Development & Dissemination (A2K+) of Industrial Research & Development Scheme.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 86 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	1839.47	1839.47
पूंजी	Capital	421.66	421.66
जोड़	Total	2261.13	2261.13
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	343.61	343.61
पूंजी	Capital
जोड़	Total	343.61	343.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	0.01	0.01
पूंजी	Capital	125.00	125.00
जोड़	Total	125.01	125.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2729.75	2729.75
राजस्व	Revenue	2183.09	2183.09
पूंजी	Capital	546.66	546.66

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>		जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport	...	0.01	(क)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	125.00	(ख)	125.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	125.01		125.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजी परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	(-)125.00	(-)125.00
--	---	-----	-----------	-----------

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.95 करोड़)।	(a)	(i)	Grant-in-aid General to Inland Water Transport Authority of India (₹ 1.95 crore).
	(ii)	निम्नलिखित के लिए उप परियोजनाओं को कार्यान्वित और शुरू करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) मल्टी मॉडल टर्मिनल, का निर्माण (एमएमटी), वाराणसी (ii) एमएमटी, साहिबगंज का निर्माण (iii) फरक्का में नैविगेशनल लॉक और (iv) एमएमटी, हल्दिया का निर्माण और जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत अन्य आनुषांगिक परियोजनाएं (ईएपी- ₹ 26.95 करोड़ और प्रतिरूप निधियन - ₹ 25 करोड़)।		(ii)	Grants for creation of Capital Assets for implementation & commissioning of sub projects (i) Construction of Multi-Modal Terminal (MMT), Varanasi (ii) Construction of MMT, Sahibganj (iii) Navigational lock at Farakka and (iv) Construction of MMT, Haldia and other ancillary projects under Jal Marg Vikas Project (EAP - ₹ 26.95 crore and Counterpart funding - ₹ 25 crore).
	(iii)	बांग्लादेश को सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.64 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		(iii)	Grants-in-aid General for release of aid to Bangladesh (₹ 0.64 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को निधियाओं का अंतर लेखा अंतरण (₹ 125 करोड़)	(b)	(i)	Inter Account Transfer of funds to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 125 crore).
	(ii)	सीआरआईएफ से वित्त पोषित सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) में निवेश (₹ 125 करोड़)।		(ii)	Investment in Sagarmala Development Company (SDC) financed from CRIF (₹ 125 crore).

- (iii) वर्ष 2016-17 में सागरमाला विकास कंपनी को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों का निवेश में परिवर्तन के कारण पूर्व आवधिक लेखा समायोजन (पीपीएए) करना (₹ 90 करोड़)। इसकी पूर्ति नोशनल प्राप्तियों से हो जाएगी और कोई नकद व्यय नहीं होगा।

अनुदान के इसी भाग भाग में उपलब्ध समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (iii) Carrying out Prior Period Accounting Adjustment (PPAA) on account of conversion of Grants for creation of Capital Assets released to Sagarmala Development Company in the year 2016-17 into Investment (₹ 90 crore). This will be matched by notional receipts and will not entail any cash outgo. Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 87 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3141.00	3141.00
पूंजी	Capital	...	259.00	259.00
जोड़	Total	...	3400.00	3400.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3400.04	3400.04
राजस्व	Revenue	...	3141.04	3141.04
पूंजी	Capital	...	259.00	259.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित <i>Charged</i>	स्वीकृत <i>Voted</i>	जोड़ <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01	(क) 0.01
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	(ख) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	वर्ष 2018-19 के दौरान स्कूली शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय से स्थानांतरित जन शिक्षण संस्थान निदेशालय के अंतर्गत प्रयोजन-शीर्षों को खोलने के लिए 'सचिवालय-समाज सेवा' हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.38 करोड़)।	(a)	meeting expenditure towards 'Secretariat-Social Service' for opening object-heads under the Directorate of Jan Shikshan Sansthan transferred from Department of School Education, Ministry of HRD during the year 2018-19 (₹ 0.38 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधन (सीएससीएम) घटक के अंतर्गत मांगों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 143.01 करोड़) और (ii) अरुणाचल प्रदेश में 09 नए आईटीआई की स्थापना तथा सिक्किम में विद्यमान 03 आईटीआई के उन्नयन के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 15 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b)	meeting expenditure towards (i) 'Grants-in-aid-General' for meeting demands under Centrally Sponsored Central Management (CSCM) component of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) (₹ 143.01 crore) and (ii) 'Grant for Creation of Capital Assets' for establishing 9 new ITIs in Arunachal Pradesh and upgradation of 3 existing ITIs in Sikkim (₹ 15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) उप-स्कीम के अंतर्गत आईटीआई का उन्नयन आदर्श आईटीआई में करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने लिए (₹ 40 करोड़)।	(c)	meeting expenditure towards 'Grant-in-Aid General' for upgradation of ITIs to Model ITIs under sub-scheme Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) (₹ 40 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 89
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 88 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	7342.60	7342.60
पूंजी	Capital	407.40	407.40
जोड़	Total	7750.00	7750.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	2419.77	2419.77
पूंजी	Capital	0.01	0.01
जोड़	Total	2419.78	2419.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	80.02	80.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	80.02	80.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10249.80	10249.80
राजस्व	Revenue	9842.39	9842.39
पूंजी	Capital	407.41	407.41

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	0.01	(क) 0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	0.01	(ख) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	13.52	(ग) 13.52
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	66.48	(घ) 66.48
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	80.02	80.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

		The supplementary Grants are required for:
(क)	योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) अ.जा. के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 10 करोड़), (2) अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (₹ 50 करोड़) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (₹ 20 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a) GIA General under the Scheme (1) Assistance to Voluntary Organisations for SCs (₹ 10 crore), (2) National fellowship for OBCs and EBCs (₹ 50 crore) and (3) National Commission for Backward Classes (₹ 20 crore). Taking into account the matching savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	सूचना और जनशिक्षा सेल योजना के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 10.00 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b) Advertising and Publicity under Scheme of Information and Mass Education Cell (₹ 10.00 crore) Taking into account the matching savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	अ.जा. के लिए दसवीं (मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 13.52 करोड़) अनुदान के पूंजी मांग में उपलब्ध ₹ 13.52 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c) GIA General under the Scheme Post Matric Scholarship for SCs (₹ 13.52 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 13.52 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(घ)	योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (1) अ.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 1366.48 करोड़), (2) अनुसूचित जाति उपघटक को विशेष केन्द्रीय सहायता (₹ 100 करोड़), (3) अनुसूचित जातियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 15.55 करोड़), (4) अपिबों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 100 करोड़), (5) अपिबों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 116.75 करोड़), और (6) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹ 30 करोड़) और (ii) योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) महिला अनुसूचित जाति के लिए हास्टल (₹ 10 करोड़) और अपिबों के लिए पुरुष एवं महिला हास्टल (₹ 10 करोड़) अनुदान के पूंजी मांग में उपलब्ध ₹ 66.48 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपरोक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d) (1) GIA General under the scheme (i) Post matric Scholarship for SCs (₹ 1366.48 crore), (ii) Special Central Assistance to Scheduled Caste Sub Component (₹ 100 crore), (iii) Pre Matric Scholarship for SCs (₹ 15.55 crore), (iv) Pre Matric Scholarship for OBCs (₹ 100 crore), (v) Post Matric Scholarship for OBCs (₹ 116.75 crore) and (vi) Post Matric Scholarship for Economically Backward Classes (₹ 30 crore) and (2) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (i) Girls Hostel for SCs (₹ 10 crore) and (ii) Boys and Girls Hostel for OBCs (₹ 10 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 66.48 crore, available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 90 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1031.52	1031.52
पूंजी	Capital	...	38.48	38.48
जोड़	Total	...	1070.00	1070.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	17.74	17.74
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	17.74	17.74
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1087.75	1087.75
राजस्व	Revenue	...	1049.27	1049.27
पूंजी	Capital	...	38.48	38.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	17.73	(क) 17.73
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	17.74	17.74

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(क) योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (1) राष्ट्रीय संस्थान (सामान्य के लिए) [(₹ 6 करोड़), (अ.जा. के लिए ₹ 1.70 करोड़), और (अ.ज.जा. के लिए ₹ 0.50 करोड़), (2) राष्ट्रीय न्यास को वजटीय सहायता (₹ 3 करोड़) (3) कृत्रिम अंग निर्माण निगम (₹ 4.58 करोड़) (ii) योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय संस्थान (₹ 3.50 करोड़) और (2) सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (₹ 0.25 करोड़), (iii) राष्ट्रीय संस्थान योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान (₹ 8 करोड़ सामान्य के लिए), (₹ 13 करोड़ अ.जा. के लिए और (₹ 7 करोड़ अ.ज.जा. के लिए), (iv) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (₹ 4.73 करोड़, सामान्य के लिए) और सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 3.42 करोड़)।	(a)	(i) Grant in Aid General under the scheme (1) National Institutes [(₹ 6 crore for General), (₹ 1.70 crore for SC), and (₹ 0.50 crore for ST)] , (2) Budgetary Support to National Trust (₹ 3 crore) and (3) Artificial Limbs Manufacturing Corporation (₹ 4.58 crore), (ii) Grant in Aid Salary under the scheme (1) National Institutes (₹ 3.50 crore) and (2) Establishment of Institute of Sign Language Research and Training Centre (₹ 0.25 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Institutes [(₹ 8 crore for General), (₹ 13 crore for SC) and (₹ 7 crore for ST)], (iv) Scholarship/Stipend under the Scheme Scholarship for Student with Disabilities (₹ 4.73 crore for General) and (v) Additional Expenditure under Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances (₹ 3.42 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 17.73 करोड़ बचतों के अभ्यर्ण को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account savings available in the same section of the grant and surrender of ₹ 17.73 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.
(ख)	दृष्टि बाधित, बधिर, मानसिक रूप से विकलांग और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के विस्तार एवं सुधार योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 2 करोड़) और (ii) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/वजीफा (₹ 2.61 करोड़)।	(b)	(i) Grant in Aid General under the scheme Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthopaedically Handicapped (₹ 2 crore) and (ii) Scholarship/Stipend under the scheme of Scholarship for Students with Disabilities (₹ 2.61 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 91 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5495.58	5496.18
पूंजी	Capital	0.40	5286.84	5287.24
जोड़	Total	1.00	10782.42	10783.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	168.07	168.07
पूंजी	Capital	...	248.47	248.47
जोड़	Total	...	416.54	416.54
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	11199.00	11200.00
राजस्व	Revenue	0.60	5663.67	5664.27
पूंजी	Capital	0.40	5535.33	5535.73

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	15.00	(का) 15.00
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	153.07	(खब) 153.07
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	168.07	168.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	248.47	(गक) 248.47
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	416.54	416.54

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	मध्यस्थता व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 15 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।	(a)	meeting arbitration expenses (₹ 15 crore) The above expenditure will entail a cash outgo;
(ख)	अ.वि./इसरो केंद्र/इकाइयों के परिचालनिक व्यय को पूरा करने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर (₹ 31.00 करोड़), इसरो मुख्यालय (₹ 10.03 करोड़), मानव मिशन कार्य/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) (₹ 100 करोड़), सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास परियोजना (₹ 22 करोड़), पूर्वोत्तर क्षेत्र अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र के पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5.00 करोड़) रेस्पांड को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 1.20 करोड़), भारतीय चंद्र मिशन – चंद्रयान 1 एवं 2 (₹ 25.31 करोड़), इनसैट- 4 उपग्रह (₹ 4.59 करोड़), जी सैट-29 उपग्रह (₹ 13.62 करोड़), जी आई सैट (₹ 5.09 करोड़), रिसैट-1बी (₹ 2.23 करोड़), जी सैट 22/23/24 उपग्रह (₹ 5.40 करोड़), नैविगेशनल उपग्रह प्रणाली (₹ 3.79 करोड़) और जी सैट-30/31/32 उपग्रह (₹ 27.47 करोड़)।	(b)	Meeting expenditure towards the operational expenses of DOS/ISRO Centres/Units namely Satish Dhawan Space Centre (₹ 31.00 crore), ISRO Headquarters (₹ 10.03 crore), Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹ 100 crore), Semi Cryogenic Engine Development Project (₹ 22 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 5.00 crore) of North-Eastern Space Applications Centre, Grant-in-Aid General of RESPOND (₹ 1.20 crore), Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹ 25.31 crore), INSAT - 4 Satellite (₹ 4.59 crore), GSAT-29 Satellite (₹ 13.62 crore), GISAT (₹ 5.09 crore), RISAT-1B (₹ 2.23 crore), GSAT 22/23/24 Satellites (₹ 5.40 crore), Navigational Satellite System (₹ 3.79 crore) and GSAT-30/31/32 Satellites (₹ 27.47 crore).
(ग)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 153.07 करोड़ का नकद व्यय होगा। निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना के लिए 1. योजनाओं के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण (i) पोलर सेटेलाइट लुआंच वेहिकल-जारी (पीएसएलवी-सी) परियोजना (₹ 15.00 करोड़) (ii) इसरो सेटेलाइट सेंटर (आईएसएसी) (₹ 5.00 करोड़) (iii) सेमी-क्रियोजेनिक इंजन विकास (₹ 4.20 करोड़) (iv) इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) (₹ 11.04 करोड़) (v) द्वितीय राकेट समुच्चयन भवन का निर्माण (एसवीएवी) (₹ 17.40 करोड़) (vi) रिसोर्ससैट-3 एवं 3ए (₹ 0.20 करोड़), (vii) लघु उपग्रह संचार वाहन विकास (एसएसएलवी) (₹ 3.34 करोड़) (viii) भारतीय चंद्र मिशन-चंद्रयान-1 एवं 2 (₹ 8.17 करोड़) (ix)	(c)	Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 153.07 crore. Meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment under the Schemes (i) Polar Satellite Launch Vehicle – Continuation (PSLV-C) Project (₹ 15.00 crore) (ii) ISRO Satellite Centre (ISAC) (₹ 5.00 crore) (iii) Semi-cryogenic Engine Development (₹ 4.20 crore) (iv) ISRO Telemetry, Tracking & Command Network (ISTRAC) (₹ 11.04 crore) (v) Realisation of Second Vehicle Assembly Building (SVAB) (₹ 17.40 crore) (vi) Resourcesat-3 & 3A (₹ 0.20 crore), (vii) Small Satellite Launch

एक्स रे पोलरिमीटर उपग्रह (एक्सपोसोट) (₹ 0.25 करोड़) (x) इनसैट-4/जी सैट उपग्रह (₹ 1.54 करोड़) (xi) जी सैट-17 उपग्रह (₹ 1.46 करोड़), (xii) जी सैट 29 उपग्रह (₹ 4.26 करोड़) (xiii) ट्राइसोनिक वाइन्ड टनल सुविधा (₹ 7.42 करोड़) (xiv) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹ 127.94 करोड़) 2. योजनाओं के अंतर्गत अन्य पूंजीगत व्यय (i) रिसैट 1बी (₹ 7.72 करोड़) (ii) मानव मिशन पटल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) (₹ 257 करोड़) (iii) आदित्य (₹ 25.25 करोड़) (iv) जी सैट-20 उपग्रह (₹ 43.85 करोड़) (v) जी सैट-30/31 संचार स्पेसक्राफ्ट-लुआंच सेवाएं (₹ 17.47 करोड़) 3. योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख कार्य (i) सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र – एसएचएआर (एसडीएससी-शार) (₹ 7 करोड़) (ii) पीएसएलवी समेकन सुविधा (पीआईएफ) (₹ 20 करोड़) (iii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी) (₹ 35 करोड़) (iv) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) (₹ 17 करोड़) 4. सूचना प्रौद्योगिकी योजनाओं के अंतर्गत मशीनरी एवं उपस्कर (i) विद्युत प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला (लियोस) (₹ 1.77 करोड़) (ii) सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र – शार (एसडीएससी-शार) (₹ 3.70 करोड़) (iii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी) (₹ 25 करोड़) (iv) आपदा प्रबंधन सहायता (डीएमएस) (₹ 0.60 करोड़) (v) इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रैक) (₹ 2.37 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग भाग में उपलब्ध वचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 248.47 करोड़ का नकद व्यय होगा।

Vehicle (SSLV) Development (₹ 3.34 crore) (viii) Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹ 8.17 crore) (ix) X-Ray Polarimeter Satellite (Xposat) (₹ 0.25 crore) (x) INSAT-4/GSAT Satellites (₹ 1.54 crore) (xi) GSAT-17 Satellite (₹ 1.46 crore), (xii) GSAT 29 Satellite (₹ 4.26 crore) (xiii) Trisonic Wind Tunnel Facility (₹ 7.42 crore) (xiv) Space Applications Centre (₹ 127.94 crore) 2. Other Capital Expenditure under the Schemes (i) RISAT 1B (₹ 7.72 crore) (ii) Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹ 257 crore) (iii) Aditya (₹ 25.25 crore) (iv) GSAT-20 Satellite (₹ 43.85 crore) (v) GSAT-30/31 Communication Spacecrafts - Launch Services (₹ 17.47 crore) 3. Major Works under the Schemes (i) Satish Dhawan Space Centre – SHAR (SDSC-SHAR) (₹ 7 crore) (ii) PSLV Integration Facility (PIF) (₹ 20 crore) (iii) Space Applications Centre (SAC) (₹ 35 crore) (iv) National Remote Sensing Centre (NRSC) (₹ 17 crore) 4. Information Technology - Machinery & Equipment under the Schemes (i) Laboratory for Electro Optics Systems (LEOS) (₹ 1.77 crore) (ii) Satish Dhawan Space Centre – SHAR (SDSC-SHAR) (₹ 3.70 crore) (iii) Space Applications Centre (SAC) (₹ 25 crore) (iv) Disaster Management Support (DMS) (₹ 0.60 crore) (v) ISRO Telemetry, Tracking & Command Network (ISTRAC) (₹ 2.37 crore) Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 248.47 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 93 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4844.00	4844.00
पूंजी	Capital	...	15.00	15.00
जोड़	Total	...	4859.00	4859.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	69.64	69.64
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	69.64	69.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4928.66	4928.66
राजस्व	Revenue	...	4913.66	4913.66
पूंजी	Capital	...	15.00	15.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

- (क) 'सांख्यिकीय सुदृढीकरण हेतु सहायता' के लिए 'क्षमता विकास योजना' के सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 6.73 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) आर्थिक जनगणना की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए "घरेलू यात्रा व्यय" (₹ 0.27 करोड़) और (ii) आर्थिक जनगणना की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए "व्यावसायिक सेवाएं" (₹ 13.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards 'Grant-in-Aid General' of 'Capacity Development Scheme' for 'Support for Statistical Strengthening' (₹ 6.73 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards (i) 'Domestic Travel Expenses' for additional requirement of Economic Census (₹ 0.27 crore) and (ii) 'Professional Service' for additional requirement of Economic Census (₹ 13.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 94 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	47.90	47.90
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	47.90	47.90
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	105.76	105.76
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	105.76	105.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1.24	1.24
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1.24	1.24
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	154.90	154.90
राजस्व	Revenue	...	154.90	154.90
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	1.24	1.24

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन और गैर वेतन शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए
(₹ 3.78 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 1.24 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Meeting the additional requirement under salary and other heads
(₹ 3.78 crore.)

Taking into account savings available within same section of Grant,
this will entail cash outgo of ₹ 1.24 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 70 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 95 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7109.84	7109.84
पूंजी	Capital	...	37.89	37.89
जोड़	Total	...	7147.73	7147.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1500.05	1500.05
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1500.06	1500.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	13.00	13.00
जोड़	Total	...	13.03	13.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8660.82	8660.82
राजस्व	Revenue	...	8609.92	8609.92
पूंजी	Capital	...	50.90	50.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (क) a	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (ख) b	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (ग) c	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	13.00 (घ) d	13.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	13.03	13.03

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) 'पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 30.00 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.30 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए और (ii) 'सिल्क वस्त्रों का विकास' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 26.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(i) Meeting additional requirement for Grants in Aid General (₹ 30.00 crore) and Professional Services (₹ 0.30 crore) under the scheme "North Eastern Textiles Promotion Schemes" and (ii) Meeting additional requirement for Grants in Aid General under the scheme "Development of Silk Textiles" (₹ 26.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) 'मानव संसाधन विकास-हस्तशिल्प' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.00 करोड़), (ii) 'विपणन सहायता और सेवाएं' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5.80 करोड़), (iii) 'अन्य हस्तशिल्प स्कीम' स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.74 करोड़), (iv) 'अन्य हस्तशिल्प स्कीम' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.80 करोड़), (v) 'अन्य हथकरघा' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.62 करोड़) और (vi) 'धागा आपूर्ति स्कीम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.91 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	(i) Meeting additional requirement for Grants in Aid General under the scheme "Human Resource Development - Handicraft" (₹ 1.00 crore), (ii) Meeting additional requirement for Grants in Aid General under the Scheme "Marketing Support and Services" (₹ 5.80 crore), (iii) Meeting additional requirement for Minor Works under the scheme "Other Handicraft schemes" (₹ 0.74 crore), (iv) Meeting additional requirement for Grants in aid Salaries under the scheme "Other Handicraft schemes" (₹ 0.80 crore), (v) Meeting additional requirement for Grants for creation of Capital Assets under the scheme "Other Handloom Scheme" (₹ 3.62 crore) and (vi) Meeting additional requirement for Grants in aid General under the scheme "Yarn Supply Scheme" (₹ 0.91 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) 'एकीकृत प्रोसेसिंग विकास स्कीम' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 7.00 करोड़), (ii) 'श्रमिक आवास' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए	(c)	(i) Meeting additional requirement for Grants for creation of Capital Assets under the Scheme "Integrated Processing Development Scheme" (₹ 7.00 crore), (ii) Meeting additional requirement for

	अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.34 करोड़) और (iii) 'फ्लैटेड फैक्टरी सह इंक्यूबेटर्स' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 0.47 करोड़)।		Grants for creation of Capital Assets under the scheme "Workers' Hostel" (₹ 0.34 crore) and (iii) Meeting additional requirement for Grants for creation of Capital Assets under the scheme "Flatted Factory cum Incubators" (₹ 0.47 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	'अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास स्कीम' स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 13.00 करोड़)।	(d)	Meeting additional requirement for Major Works under the scheme "Infrastructure & Technology Development Scheme" (₹ 13.00 crore).
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 98-99 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 73 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 98-99 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित	स्वीकृत	जोड़	
	Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4935.92	999.08	5935.00
पूंजी	Capital	...	65.00	65.00
जोड़	Total	4935.92	1064.08	6000.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	1.71	1.72
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.01	1.71	1.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	20.00	0.02	20.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	20.00	0.02	20.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4955.93	1065.81	6021.74
राजस्व	Revenue	4955.93	1000.81	5956.74
पूंजी	Capital	...	65.00	65.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित	स्वीकृत	जोड़	
	Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	20.00 (ग)	...	20.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	20.00	0.02	20.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान, सूचना और जनसमूह शिक्षा स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	GIA General under the scheme Tribal Festival, Research Information and Mass Education (₹ 2.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	जनजातीय उप-स्कीमों को विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	GIA General under the scheme Special Central Assistance to Tribal Sub Schemes (₹ 7.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) (1) जनजातीय उत्पादों का विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता (₹ 0.85 करोड़), (2) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 7.73 करोड़), (3) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 13.77 करोड़) और (4) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता (₹ 1.01 करोड़) तथा (ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के मृजन के लिए अनुदान (₹ 20 करोड़)। अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध ₹ 20 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	(i) GIA General under the scheme (1) Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 0.85 crore), (2) Pre-Matric Scholarship (₹ 7.73 crore), (3) Post Matric Scholarship (₹ 13.77 crore) and (4) Support to Tribal Research Institutes (₹ 1.01 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Grants under Article 275 (1) of the Constitution (₹ 20 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 20 crore available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122-123 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 122-123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 100 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	8188.51	8189.51
पूंजी	Capital	0.01	730.87	730.88
जोड़	Total	1.01	8919.38	8920.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.05	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.01	8919.44	8920.45
राजस्व	Revenue	1.00	8188.56	8189.56
पूंजी	Capital	0.01	730.88	730.89
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को सामान्य अनुदान सहायता जारी करना (₹ 2 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

release of Grants-in-aid General to Cauvery Water Management Authority (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75-76 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 101-102 देखिये)

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 75-76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 101-102 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25199.99	25199.99
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	25200.00	25200.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	58.69	58.69
पूंजी	Capital	...	45.12	45.12
जोड़	Total	...	103.81	103.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	25303.82	25303.82
राजस्व	Revenue	...	25258.69	25258.69
पूंजी	Capital	...	45.13	45.13

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

देखभाल और संरक्षण से वंचित श्रमजीवी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

GIA General under the scheme for Welfare of Working Children in Need of Care and Protection (₹ 2.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये और वर्ष 2018-2019 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 77 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 and page 103 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	2138.31		2138.31
पूंजी	Capital	...	58.04		58.04
जोड़	Total	...	2196.35		2196.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	0.23		0.23
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.23		0.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	...	0.02		0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2196.60		2196.60
राजस्व	Revenue	...	2138.56		2138.56
पूंजी	Capital	...	58.04		58.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.01	(क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02

ये पूरक अनुदान निम्न लिखित हेतु अपेक्षित हैं

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) (1) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 16.66 करोड़) और (2) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 2.11 करोड़), (ii) नेहरू युवा केंद्र संगठन स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 34.03 करोड़), (iii) (1) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 4.45 करोड़) और (2) खेलो इंडिया स्कीम (₹ 90 करोड़) तथा (iv) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि के अंतर्गत अंशदान (₹ 71 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(a)	(1) GIA General under the scheme (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 16.66 crore) and (ii) National Dope Test Laboratory (₹ 2.11 crore), (2) GIA Salary under the scheme Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 34.03 crore), (3) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) National Dope Test Laboratory (₹ 4.45 crore) and (ii) Khelo India Scheme (₹ 90 crore i.e. ₹ 74.12 crore- Gen., ₹ 9.13 crore -SC and ₹ 6.75 crore - ST) and (4) Contribution under National Sports Development Fund (₹ 71 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		
(ख)	खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10 करोड़ अर्थात् ₹ 7.60 करोड़ - सामान्य और ₹ 2.40 करोड़ - अनुसूचित जनजाति)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Khelo India Scheme (₹ 10 crore i.e. ₹ 7.60 crore - Gen. and ₹ 2.40 crore - ST). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध

वर्ष 2018-19 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

(₹ करोड़)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2210.06.001.09 - संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल	67.45	11.20	आईईसी गतिविधियों पर अतिरिक्त व्यय के कारण
		2210.06.001.09.10 - आपूर्ति और सामग्री की खरीद - आरएनटीसीपी	1500.00	300.00	आपूर्ति की खरीद पर अतिरिक्त व्यय के कारण
		2211.00.109.13 - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लैक्सिबल पूल	4.30	3.10	संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक मांग के कारण
		2211.00.109.13.07 - एनयूएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र - ईएसी (राष्ट्रीय निवेश निधियों से सहायता)	3.24	2.64	संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.101.13.09- एनआरएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - संघ राज्य क्षेत्र (राष्ट्रीय निवेश निधियों से सहायता)	4904.68	245.26	राज्यों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.101.14 - परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुसंधान	3490.50	247.73	राज्यों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.101.20.05 - नए चिकित्सा कालेजों को स्थापित करना (जिला चिकित्सालयों का उन्नयन)	1598.91	280.00	राज्यों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.101.04.08 - राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली - फ्लैक्सिबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधियों से सहायता)	514.81	10.10	राज्यों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.789.04.07 - नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम इत्यादि सहित आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल - (राष्ट्रीय निवेश निधियों से सहायता)	968.78	382.58	राज्यों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.789.04.09 - एनआरएचएम के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली-संघ राज्य क्षेत्र (राष्ट्रीय निवेश निधियों से सहायता)	1854.39	116.58	राज्यों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.789.05 - परिवार कल्याण - अवसंरचना अनुसंधान	1217.95	179.81	राज्यों से अधिक मांग के कारण

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2018-19.

(Rupees in Crore)

Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates	Amount of Re-appropriation	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Department of Health & Family Welfare	2210.06.001.09 - Flexible Pool for Communicable Diseases	67.45	11.20	Due to additional expenditure on IEC activities.
		2210.06.001.09.10 - Procurement of Supplies and Materials - RNTCP	1500.00	300.00	Due to additional expenditure on procurement of supplies.
		2211.00.109.13 - National Urban Health Mission - Flexible Pool	4.30	3.10	Due to more demand from UTs.
		2211.00.109.13.07 - Other Health System for activities covered under NUHM - UTs w/o legislature - EAC (Support from National Investment Fund - NIF)	3.24	2.64	Dut to more demand from UTs.
		3601.06.101.13.09 - Other Health System for activities covered under NRHM- UTs (Support from National Investment Fund - NIF)	4904.68	245.26	Dut to more demand from States.
		3601.06.101.14 - FW - Infrastructure Maintenance	3490.50	247.73	Dut to more demand from States.
		3601.06.101.20.05 - Establishing New Medical Colleges (Upgrading District Hospitals)	1598.91	280.00	Dut to more demand from States.
		3601.06.101.04.08 - Other Health System for activities covered under NUHM - Flexible Pool (Support from National Investment Fund - NIF)	514.81	10.10	Dut to more demand from States.
		3601.06.789.04.07 - RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (Support from National Investment Fund - NIF)	968.78	382.58	Dut to more demand from States.
		3601.06.789.04.09 - Other Health System for activities covered under NRHM- UTs (Support from National Investment Fund - NIF)	1854.39	116.58	Dut to more demand from States.
		3601.06.789.05 - FW - Infrastructure Maintenance	1217.95	179.81	Dut to more demand from States.

		(₹ करोड़)			
1	2	3	4	5	6
		3601.06.789.13.05-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली-फ्लैक्सिबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	71.97	2.54	राज्यों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.789.13.06 - व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	27.22	2.10	राज्यों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.796.04.07-नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	445.81	155.84	राज्यों से अधिक मांग के कारण
		3601.06.796.05 - परिवार कल्याण-अवसंरचना अनुरक्षण	560.23	93.37	राज्यों से अधिक मांग के कारण
2.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	3.00	3.15	भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 में किए गए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ी, जो कि मूल रूप से केवल लगभग ₹ 3.00 करोड़ अनुमानित की गई थी।

(Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601.06.789.13.05 - Other Health System for activities covered under National Urban Health Mission - Flexible Pool (Support from National Investment Fund - NIF)	71.97	2.54	Dut to more demand from States.
		3601.06.789.13.06- Comprehensive Primary Health Care - (Support from National Investment Fund - NIF)	27.22	2.10	Dut to more demand from States.
		3601.06.796.04.07 - RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (Support from National Investment Fund - NIF)	445.81	155.84	Dut to more demand from States.
		3601.06.796.05 - FW - Infrastructure Maintenance	560.23	93.37	Dut to more demand from States.
2. Department of Science and Technology		Innovation, Technology Development and Deploymentg	3.00	3.15	Additional funds are required for catering to excess expenditure incurred in India International Science Festival 2018 which was originally estimated only at around Rs. 3.00 crore.

